आवास भारती

वर्ष 13, अंक 50, जनवरी–मार्च, 2014

50वां अंक

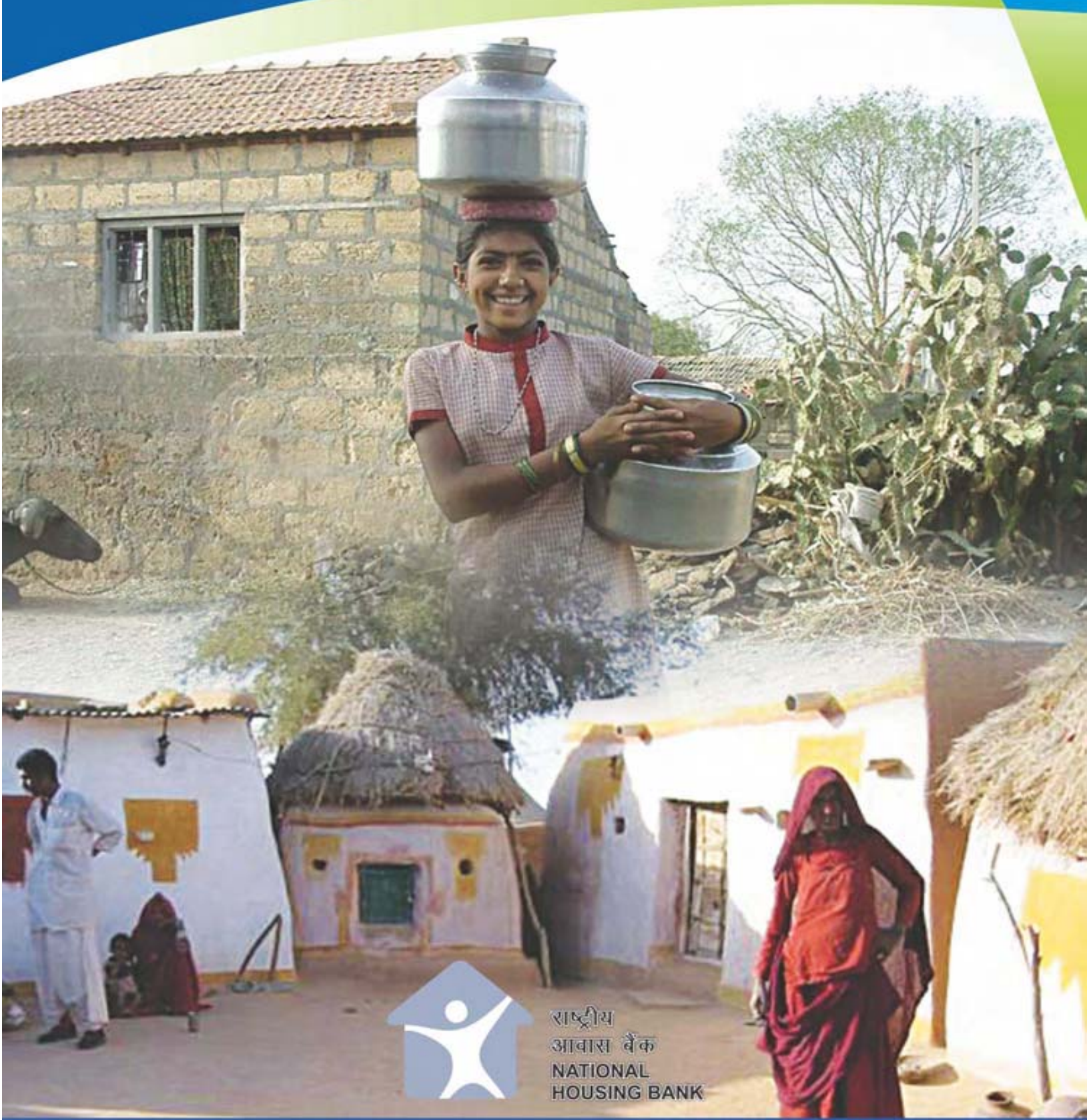

राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका "आवास भारती" का अंक – अक्टूबर–दिसंबर, 2013 पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उक्त अंक के प्रेषण के लिए हार्दिक धन्यवाद।

इस अंक में दी गई समस्त रचनाएं ज्ञानवर्धक होने के साथ–साथ शिक्षाप्रद भी है। आवासीय नीतियों से संबंधित उपर्युक्त मूलभूत विभागीय जानकारी सुधी पाठकों को उपलब्ध कराई गई है। पत्रिका में प्रकाशित अन्य लेख, कहानी एवं कविताएं भी पठनीय एवं प्रशंसनीय है। विद्वान लेखकों की सुंदर एवं ज्ञानवर्धक कृतियों के समावेश से वास्तव में यह अंक धरोहर स्वरूप संजोने योग्य बन गया है। आशा करते हैं कि आपके द्वारा प्रकाशित आगामी पत्रिकाओं के नवीन अंक हमें निरंतर प्राप्त होते रहेंगे।

भवदीय
(कैलाश चन्द)
राजभाषा अधिकारी,
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
ओरिएण्टल हाउस, पो.बॉ. न0 7037 , ए–25 / 27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002

महोदय,

पत्रिका का अक्टूबर–दिसम्बर 13 अंक 49 हाथों में है। निश्चय ही यह हर्ष का विषय है कि अपनी अनूठी और मोहक साज–सज्जा ही नहीं अपितु सारगर्भित सामग्री के समावेश ने इसे संग्रहणीय बना दिया है। इस हेतु रचनाकारों को साधुवाद। इस आशा के साथ कि भविष्य में भी ऐसे अंक प्राप्त होते रहेंगे।

भवदीय,
(संजय कोटिया)
प्रभारी राजभाषा
भारतीय स्टेट बैंक,
प्रशासनिक कार्यालय, 5, यशवंत निवास रोड,
इंदौर – 452003, ओरिएण्टल हाउस, पो.बॉ. न0 7037
ए–25 / 27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002

महोदय,

हमें राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह पत्रिका–आवास भारती का अक्टूबर–दिसंबर, 2013 अंक 49 की एक प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई है।

इस पत्रिका का अनूठापन यह है कि इसकी विभिन्न विषयों से संबंधित रचनाएं पढ़कर ज्ञान–वृद्धि तो होती ही है साथ ही मन को असीम संतुष्टि भी मिलती है। दिल्ली बैंक नराकास की ओर से गृह पत्रिका आवास भारती को प्रथम पुरस्कार मिलने पर राष्ट्रीय आवास बैंक बधाई का पात्र है। हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ यह पत्रिका–लेख, कहानी, कविता आदि पठनीय सामग्री अपने अंदर समाहित किए है। आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपकी पत्रिका नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय,
(राकेश कुमार सुन्दरियाल)
हिंदी अधिकारी,
सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज, कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह पत्रिका "आवास भारती" अक्टूबर–दिसम्बर, 2013 प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका के इस अंक में भी आवास, वाणिज्य, विकास, पर्यावरण, जीवन दर्शन, भाषा, स्वास्थ्य एवं अंधविश्वास जैसे विषयों पर दिए गए लेख स्तरीय एवं सारगर्भित हैं। निगम की विविध गतिविधियों में राजभाषा गतिविधियां, कहानी एवं कविताओं के समाविष्ट होने पर यह अंक अच्छा बन पड़ा है। आशा है कि भविष्य में भी पत्रिका हमें नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी।

भवदीय,
(विजय पाटनी)
सहायक प्रबंधक (हिंदी)
दि हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम (वस्त्र मंत्रालय)

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपने बैंक की गृह पत्रिका – आवास भारती का पचासवां अंक प्रकाशन के लिए तैयार है। इसमें सर्वाधिक गर्व की बात यह है कि पत्रिका बिना एक भी अंक चूके नियमित आधार पर प्रत्येक तिमाही के पश्चात प्रकाशित हो रही है। लगभग इस तेरह वर्ष की अवधि में हमारी गृह पत्रिका अपने बैंक के साथ–साथ दुनिया भर के आर्थिक उतार–चढ़ावों की साक्षी भी रही है।

हमारा यह सदैव प्रयास रहा है कि अपनी गृह पत्रिका – आवास भारती का हर अंक बैंक की विभिन्न गतिविधियों एवं प्रगति को प्रतिबिंवित करता रहे। पत्रिका के माध्यम से जहां बैंक के अधिकारियों ने लेख, कहानी एवं कविता आदि के माध्यम से बैंक एवं बैंकिंग जगत से जुड़े तमाम विषयों को समेटा है, वहीं इक्कीसवीं सदी में बैंक ने जितने भी नए प्रतिमान बनाए एवं नवाचारी कदम उठाकर नई परियोजनाओं को प्रारंभ किया है, उन सबकी गवाह भी रही है। हमारी पत्रिका ने अपने लेखों के माध्यम से आ.वि.कंपनियों की विकास यात्रा, रेजीडेक्स की महत्ता एवं आवश्यकता, बैंक की वेबसाइट एवं पोर्टल के साथ–साथ सरसाई (भारतीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री) तथा ऋण जोखिम प्रबंधन निधि न्यास (सीआरजीएफटी) तथा ऊर्जा कुशल एवं पर्यावरण मैत्री आवास जैसी तमाम पहलों पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबिंब का काम किया है। इसके साथ ही पत्रिका ने परियोजना वित्त एवं पुनर्वित्त, मार्टगेज गारंटी स्कीम जैसी बैंक की योजनाओं के बारे में भी अपने पाठकों का ज्ञान वर्धन किया है।

मैं आप सभी को बड़े हर्ष के साथ यह भी बताना चाहूंगा कि प्रारंभ में पत्रिका की शुरूआत चौबीस पृष्ठों के साथ की गई और कालांतर में धीरे–धीरे यह चालीस पृष्ठों की हुई और आज यह चवालीस पृष्ठों के साथ प्रकाशित की जा रही है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि पत्रिका के पृष्ठों में वृद्धि के बावजूद उसके लेखादि का स्तर एवं पृष्ठ सज्जा, प्रस्तुति एवं कागजादि की गुणवत्ता ने निरंतर प्रगति ही की है। पत्रिका की निरंतर प्रगति का ही परिणाम है कि हमारी पत्रिका – आवास भारती ने न सिर्फ दिल्ली प्रदेश स्तर पर कई बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं, बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक की गृह पत्रिका प्रतियोगिता में तीन बार चतुर्थ, एक बार द्वितीय और दो बार (वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 हेतु) प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

मैं पत्रिका के निरंतर एवं सफल प्रकाशन के लिए बैंक के सभी अधिकारियों के साथ–साथ संपादक मंडल की प्रशंसा करता हूं तथा राजभाषा अनुभाग से जुड़े अधिकारी, संपादक एवं सहायक संपादक को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिनके सफल प्रयासों से आवास भारती निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आवास भारती अभी कई बुलंदियों को हासिल करते हुए अपने नूतन लक्ष्यों की ओर सदैव प्रगतिशील रहेगी।

सधन्यवाद

(राज विकास वर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संदेश

यह बड़े ही हर्ष एवं गर्व का विषय है कि अपने बैंक की गृह पत्रिका – आवास भारती ने उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए पचास अंक पूरे कर लिए हैं। किसी संस्थान के लिए यह क्षण असीम आनंद का होता है जब उसके द्वारा रोपित एक पौधा देखते ही देखते एक वृक्ष का रूप ले लेता है। रा.आ.बैंक का यह वृक्ष हमारे बैंक के सभी अधिकारियों के परिश्रम का प्रतिरूप है। जिस दौरान आवास भारती की शुरूआत की गई थी, उस समय बैंक में लगभग 35 अधिकारी थे, जिसमें लगभग सभी ने किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया। आज भले ही हम लगभग 100 पर पहुंच गए हैं। प्रारंभ में आवास भारती चौबीस पृष्ठों के साथ प्रकाशित हुई और धीरे–धीरे प्रगति करते हुए लगभग चवालीस पृष्ठों तक आ गई। प्रारंभ में पत्रिका की पृष्ठ सज्जा भी साधारण होती थी किन्तु जल्द ही इसकी डिजायन एवं साजसज्जा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया जिसका परिणाम यह रहा कि पत्रिका ने जल्द ही बैंकिंग जगत की राजभाषायी गृह पत्रिकाओं में अपना एक स्थान बना लिया।

मुझे यह बात कहते हुए संकोच नहीं, बल्कि गौरव महसूस हो रहा है कि पिछले तीन–चार वर्षों में हमारे वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के द्वारा आवास भारती के प्रकाशन में गहन रूचि लेने एवं निरंतर प्रोत्साहित करने का परिणाम यह रहा कि पत्रिका में हर क्षेत्र में एक आमूल–चूल परिवर्तन आया। पत्रिका को सही अर्थों में राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया। पत्रिका के पृष्ठों की संख्या में वृद्धि तो हुई ही, बल्कि उसकी पृष्ठ सज्जा एवं डिजायन में बहुत ध्यान दिया गया। इसके साथ ही लेखों की गुणवत्ता, विषय की व्यापकता, भाषा की सहजता एवं सरलता पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका नतीजा यह रहा कि हमारी गृह पत्रिका – आवास भारती ने लगातार कई पुरस्कार प्राप्त किए।

बैंक की गृह पत्रिका के लिए मैं बैंक के कार्यपालक निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में जहां अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, वहीं मैं पत्रिका के प्रकाशन से जुड़ी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो अंक दर अंक अपने अथक परिश्रम के द्वारा पत्रिका को सही समय पर प्रकाशित करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं।

मैं बैंक के सभी अधिकारियों को पचासवें अंक के प्रकाशन पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं यह भी आशा एवं अपेक्षा करता हूं कि हम सब आगे भी पत्रिका को प्रगति के सोपान पर चढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इसी कामना एवं आकांक्षा के साथ आप सभी को साधुवाद।

(अर्णव रॉय)
कार्यपालक निदेशक

50वां अंक

संपादकीय

मैं आवास भारती के सभी पाठकों को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि आवास भारती ने बिना किसी अवरोध के अपने पचास अंक पूरे कर लिए हैं। पत्रिका का 50वां अंक आपके हाथों में सौंपते हुए मैं अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। यह प्रसन्नता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस बीज को आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व रोपित किया गया था आज वह एक पादप का स्वरूप धारण कर चुका है। पत्रिका ने अंकों की इस यात्रा के दौरान अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगातार दूसरे वर्ष गृह पत्रिका वर्ग में प्रथम पुरस्कार दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में हमने जिस पत्रिका को चौबीस पृष्ठों से प्रकाशित करना शुरू किया था आज वह 44 पृष्ठों + कवर की हो चुकी है। पत्रिका की पृष्ठ सज्जा एवं ले–आउट में निरंतर प्रगति हुई, जो आप सभी पाठकों के द्वारा भेजी गई समीक्षाओं, समालोचनाओं एवं प्रशंसा का परिणाम है।

अब मैं आप से देश में राजभाषा की रस्मी प्रगति के बारे भी कुछ कहना चाहता हूं जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत में अंग्रेजी को किस तरह से थोपा गया, इसका इतिहास सभी को मालूम है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। एक छोटा–सा ब्रिटिश द्वीप समूह, जिसकी सन् 1900 में जनसंख्या महज 1.30 लाख थी, वह 30 करोड़ से ज्यादा भारतीयों पर शासन करता रहा। उन्होंने भारत के अंग्रेजी परस्त अपने विश्वसनीय गुलामों को अंग्रेजी में इसलिए प्रशिक्षित किया ताकि वे ब्रिटिश शासन के संचालन में उनकी मदद कर सकें तथा जनता के साथ बिचौलियों की भूमिका निभा सकें। इसमें अंग्रेजों का स्वार्थ था। कालांतर में भारत के काले अंग्रेजों ने अंग्रेजी उच्चारण करने और लिखने में अंग्रेजों को मात दे दी। फर्राटे से अंग्रेजी और मुंह बिचका–बिचका कर हिंदी बोली जाने लगी। स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में लागू करने का विरोध जहां अहिंदी भाषी राज्यों के तरफ से हुआ, वहीं हिंदी प्रदेशों के एक अभिजात्य वर्ग ने परोक्ष रूप में उनका साथ दिया, क्योंकि उनका अपना निहित स्वार्थ था। ताकि वे हिंदी प्रदेशों में अपना एक अलग वर्ग कायम रख सकें। यही कारण है कि जहां सहभागिता, लोकतांत्रिकता और सभी को मिलाकर चलने की जरूरत थी, वहां अंग्रेजी को महत्व देने से देश में विशिष्ट और साधारण श्रेणियां उत्पन्न हुई। भारत संसार का पहला ऐसा देश है जहां उसकी अपनी भाषा को बोलचाल की भाषा समझा गया और विदेशी भाषा अंग्रेजी को काम–काज की भाषा बनाया गया। कल्पना करें कि जापान, जर्मनी, रूस, में अपनी भाषा को बोलचाल की भाषा और अंग्रेजी को काम–काज की भाषा बनाया जाता तो वहां क्या होता? जाहिर है कि वहां जनता विद्रोह कर देती। इसलिए वहां उनकी अपनी भाषा उच्चशिक्षा प्राप्ति का साधन ही नहीं राजभाषा भी बनी। सारी वैज्ञानिक बातें उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हैं। उन्होंने विज्ञान की प्रगति भी अपनी भाषा में की। अतः यह कहना कि हमारे आईटी के विकास के लिए अंग्रेजी जरूरी है यह सरासर गलत है। अनुभव से पता चलता है कि किसी भी देश की प्रगति के लिए अंग्रेजी पहली आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि देश में केवल हिंदी का ही विकास हो। जरूरी है कि देश की सम्पूर्ण स्थानीय भाषाओं का विकास हो। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ावा देकर काले अंग्रेजों ने गलत किया। हिंदी हमारी सांस्कृतिक भाषा भी है। देश में लाखों स्कूल खोलकर भी आप पूरे देश को हिंदी सिखा नहीं सकते। हिंदी के नाम पर पैनिक (आंतक) खड़ा करना ठीक नहीं। हमें ऐसी हिंदी चाहिए जो जोड़ने वाली हो तोड़ने वाली न हो। हम अनुवाद की भाषा को स्वीकार न करें बल्कि हिंदी को जो स्थानापन्नता (जगह) है वह उसे मिलनी चाहिए। आज हमारे विश्वविद्यालयों में जो हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है उसमें 50% अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। हम कैंब्रिज की भाषा को भूलकर बाल्मीकि, व्यास, वशिष्ठ, कालीदास की भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते? प्रशासकों के द्वारा यह सोचा गया कि हिंदी शब्दों का उच्चारण थोड़ा अंग्रेजी के उच्चारण से मिलता जुलता रखा जाए ताकि बोलने में आसानी हो। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भी हम अंग्रेजी की तरह बोलने लगे। आज आलम यह है कि हमारे राम, कृष्ण, अशोक, कलिंग, केरल एवं कर्नाटक जैसे शब्द अब रामा, कृष्णा, अशोका, कलिंगा, केरला और कर्नाटका बन गए हैं। एक समय आएगा कि लोग मूल शब्दों को ही भूल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भाषा के शब्द अकेले नहीं मरते संपूर्ण भाषा का विनाश हो जाता है। मॉरिशस में यही हुआ। वहां उनकी भाषा मर गई और चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी और भोजपुरी शब्दों से एक नई मिलीजुली भाषा विकसित हुई। कहने को तो मॉरिशस भी हिंदी भाषी राष्ट्र है मगर असलियत सबके सामने है। ट्रांसलिटरेशन एक विष के समान है। इसकी बजाय हिंदी वर्णमाला के साथ की–बोर्ड विकसित व प्रचलन में लाए जाने चाहिए। हम हिंदी को ट्रिमोल बना रहे हैं। आज देश की भारतीय अन्य भाषाओं का भी यही हाल है। स्थानीय भाषाओं में ही अंग्रेजी के शब्दों की अब भरमार हो गई है क्योंकि विश्वविद्यालयों से निकली हमारी युवा पीढ़ी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करती है और बड़े गर्व से कहती है कि मुझे अपनी मातृभाषा और राजभाषा थोड़ी कम आती है कृपया मेरा मजाक न बनाएं। सोचने की बात है उसने अपनी भाषा को मजाक बना दिया जिसका उसको ध्यान नहीं है। अपने मान–अपनमान की उसको बड़ी फिक्र है।

हाल ही में लखनऊ जाते वक्त मुझे विमानतल पर हिंदी प्रदेश के दो हिंदी भाषी युवक गलत अंग्रेजी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए दिखें। मैं समझता हूं क्या जरूरत है इसकी, क्या वे अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते थे ? कई लोग जो हिंदी प्रदेश से हैं और हिंदी भाषी हैं वे भी शान से झूठी शोहरत हासिल करने के लिए कहते हैं हम तो केवल हिंदी में दसवीं पास हैं। हम तो ज्यादा हिंदी जानते नहीं हैं। ऐसे लोगों को क्या पुरस्कार देना चाहिए। ऐसे लोगों को फादर कामिल बुल्के से सबक लेना चाहिए कि बेल्जियम के नागरिक होने के पश्चात भी उन्होंने हिंदी में विद्वता हासिल की और एक ऐसा शब्द कोष रच डाला जो हिंदी जगत के लिए अमूल्य उपहार है। ओशो कहते थे कि जितनी जल्दी चेत जाओ उतना अच्छा। बातें होती रहेंगी। चिंतकों की कलम चलती रहेंगी। हमारे बाद भी चिंतक पैदा होते रहेगें। हम हिंदी का अलख जगा कर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आप भी इसी राह पर चलें ऐसी आपसे विनती है। हमें अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। इसी आशा एवं विश्वास के साथ धन्यवाद।

डॉ. जी.एन. सोमदेवे
संपादक एवं सहा0 महाप्रबंधक
मो.: 9560900451
email-gnsomdeve@nhb.org.in

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)
पंजी. संख्याः दिल्ली इन/2001/6138
वर्ष 13, अंक 50, जनवरी–मार्च, 2014

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.	विषय	पृष्ठ सं.
संदेश (श्री राज विकास वर्मा)	1	नेकी कर दरिया में डाल	26
संदेश (श्री अर्णव रॉय)	2	प्रजातंत्र और कुआं	27
संपादकीय	3	सकारात्मक आत्म चिंतन	28
राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	5	प्रतीक्षा	29
अंतर बैंक राजभाषा प्रतियोगिता का आयोजन	8	घमंड का अंत	30
बैंक में नव नियुक्त अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय	9	कशेरूकाशोथ (Spondylitis)	31
राजीव ऋण योजना	10	चातुर्य बनाम विवेकहीनता	33
मातृभाषा और राष्ट्रभाषा	12	पर उपदेश	34
आवास वित्त एवं उपभोक्ता	14	आर्थिक जगत एवं महिला	35
प्लास्टिक मनी और सुरक्षा	17	विकलांग मैत्री आवास एवं परिसर	37
महानगर, प्रवासी और समस्याएं	18	लोक कथा और लोमड़ी	39
भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी	20	महानतम सामाजिक विडंबना–दलितों की अस्मिता	40
निवेश, अर्थव्यवस्था और उम्मीद	22	सुभाषचंद्र बोस	42
छोड़ो चिन्ता–आगे बढ़ो	24	काव्य सुधा	44

प्रधान संरक्षक
राज विकास वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
संयुक्त संरक्षक
अर्णव रॉय, कार्यपालक निदेशक
संरक्षक
एन. उदय कुमार, उप महाप्रबंधक
संपादक
जी. एन. सोमदेवे, सहायक महाप्रबंधक
सहायक संपादक
अमर सिंह सचान, राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
रंजन कुमार बरुन, क्षेत्रीय प्रबंधक
किशोर कुंभारे, क्षेत्रीय प्रबंधक
मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक
राधिका मूना, उप प्रबंधक
रुचि वशिष्ठ, सहायक प्रबंधक
प्रभात रंजन, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर–5 ए, 3–5वां तल,
इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

प्रशिक्षण कार्यक्रम

मदुरै, तमिलनाडु में ''ग्रामीण आवास वित्त'' पर प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा तमिलनाडु के मदुरै में पांडयन ग्रामा बैंक हेतु दिनांक 6 एवं 7 जनवरी, 2014 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दिनांक 6 जनवरी, 2014 को प्रशिक्षण का पहला सत्र इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व महाप्रबंधक डॉ0 इलैनगौवैन के द्वारा आवास वित्त की व्यावसायिक लाभप्रदता तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आवास ऋण का विपणन विषय पर लिया गया। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के महाप्रबंधक श्री आर.के. पाण्डे द्वारा लिया गया, जिसमें आपने सरसाई (भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुर्नार्निमाण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

भोजनोपरांत आज का तीसरा सत्र प्रारंभ हुआ, जिसे भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उपमहाप्रबंधक एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया, जिसमें आपने आवास ऋण आवेदनों का मूल्यांकन एवं प्रसंस्करण करने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। आज का चौथा सत्र स्टाफ ट्रेनिंग कालेज इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व संकाय सदस्य श्री सुब्रामनियम ने लिया, जिसमें आपने आवास ऋणों एवं उनके फ्राड

(धोखा–धड़ी) पर प्रकाश डाला। आज का अंतिम, किंतु प्रशिक्षण का 5वां सत्र रा.आ. बैंक के प्रबंधक श्री क्रिस्टोफर रोबिन ने लिया, जिसमें आपने ''निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास'' के बारे में जानकारी प्रदान की।

इस प्रशिक्षण का छठवां सत्र दिनांक 7 जनवरी, 2014 को प्रातः 10 बजे भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उपमहाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया, जिसमें आपने प्रशिक्षुओं को ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण, अनुगमन एवं वसूली के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का सातवां सत्र भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक (विधि) श्री मोहन दास ने लिया, जिसमें आपने सभी कानूनी पहलुओं सहित आवास ऋणों के प्रलेखन एवं दस्तावेजीकरण पर जोर डाला। आपने ही प्रशिक्षण का आठवां सत्र लिया और आपने आवास ऋण के आवेदन पत्रों के तकनीकी/विधिक मूल्यांकन और प्रक्रियात्मकता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का आखिरी एवं नवां सत्र रा.आ.बैंक के उप महाप्रबंधक श्री ए.पी. सक्सेना ने लिया जिसमें आपने क्षेत्रीय ग्रामीण आवास बैंकों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की योजनाओं, प्रयासों एवं ग्रामीण आवास परिदृश्य के बारे में जानकारी प्रदान की। सत्र की समाप्ति पर प्रशिक्षण के प्रभावीपन का मूल्यांकन एवं प्रश्नोत्तर के रूप में आयोजित किया गया।

शिलांग, मेघालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

रा.आ.बैंक की ओर से मेघालय की राजधानी शिलांग में 30 एवं 31 जनवरी, 2014 को ''आवास में धोखाधड़ी आचरण की रोकथाम पर'' दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण के प्रथम दिन दिनांक 30 जनवरी, 2014 को पहला सत्र भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक कानूनी सलाहकार श्री बी.एस. बोहरा के द्वारा लिया गया, जहां पर आपने आवास ऋणों में धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु सरकारी प्रयासों तथा धोखाधड़ी पर भा.रि.बैंक के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र रा.आ.बैंक के प्रबंधक श्री नीलाद्रि बोस के द्वारा संबोधित किया गया जिसमें आपने ''निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास'' के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। इस प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भोजनोपरांत भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक श्री गणेश रामामूर्ति के द्वारा लिया गया। इस सत्र में आपने आवास ऋण में धोखाधड़ी के मामलों में केस स्टडी आदि के द्वारा

जानकारी प्रदान की। आज का चौथा सत्र भी आपने ही लिया और इस सत्र में आपने प्रशिक्षुओं को आवास वित्त में धोखाधड़ी पर वित्तीय एवं परिचालन पहलुओं के साथ–साथ जोखिम घटाने एवं रोकथाम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

प्रशिक्षण का पांचवां सत्र अगले दिन सीडीआईएमएस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री चेतन दलाल ने लिया, जिसमें आपने धोखाधड़ी का पता लगाना तथा उसकी जांच पड़ताल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। इस प्रशिक्षण का छठवां सत्र श्री चेतन दलाल ने ही लिया, जिसमें आपने केस स्टडीज एवं उद्वहरणों के द्वारा धोखाधड़ी की खोजबीन एवं न्युनीकरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। आज का अगला एवं सातवां सत्र भोजनोपरांत के बाद पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व महाप्रबंधक एवं सीवीओ श्री डी.के. गुप्ता, ने लिया, आपने प्रशिक्षुओं को धोखाधड़ी/मार्टगेज धोखाधड़ी के प्रबंधन तथा वसूली हेतु कानूनी उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की। आज का अंतिम एवं आठवां सत्र एकेडमी फार काउंसिलिंग एडं एजेकेशन प्रा.लि. की निदेशिका सुश्री सलमा प्रभु ने लिया, जहां आपने धोखेबाजों के मनोभाव एवं शारीरिक हाव–भाव की मुद्राओं एवं परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। धन्यवाद ज्ञापन एवं प्रमाण पत्र वितरण के साथ प्रशिक्षण का समापन किया गया।

''रायपुर, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास वित्त'' पर प्रशिक्षण

06 एवं 07 फरवरी, 2014 को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकों हेतु केवल हिंदी माध्यम से ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण की शुरूआत दिनांक 6 फरवरी, 2014 को प्रातः बैंक ऑफ इंडिया एसटीसी के श्री आर.के. टंडन, वरिष्ठ प्रबंधक एवं संकाय द्वारा किया गया, जिसमें आपने आवास वित्त की व्यापारिक व्यवहार्यता एवं लाभ प्रदता तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आवास ऋणों के विपणन की जानकारी प्रदान की। श्री आर.के. टंडन जी ने ही इस प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भी लिया जिसमें आपने केस स्टडीज एवं साहित्य एवं केस लेट के माध्यम से आवास ऋण के आवेदनों की ऋण सीमा संबंधी मूल्यांकन एवं प्रक्रियात्मकता के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई।

प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व उपमहाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री गणेश रामामूर्ति ने संबोधित किया, जिसमें आपने

प्रशिक्षुओं को आवास ऋण आवेदन पत्रों के ऋण मूल्यांकन एवं प्रक्रिया के सामान्य एवं विधिक पहलुओं को जानकारी उपलब्ध कराई। प्रशिक्षण का चौथा सत्र पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व महाप्रबंधक एवं सीवीओ श्री डी.के. गुप्ता ने आवास ऋणों में धोखाधड़ी के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का पांचवां एवं आज का अंतिम सत्र रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सुनील रसानिया ने लिया। श्री रसानिया

ने "निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास" के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

प्रशिक्षण का छठवां सत्र दिनांक 07 जनवरी, 2014 को प्रातः 9:30 बजे भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया। इस सत्र में आपने ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण, अनुपालन एवं वसूली के बारे में रोल प्ले एवं केस स्टडीज के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई। इस प्रशिक्षण का अगला एवं सातवां सत्र श्री गणेश रामामूर्ति ने ही संबोधित किया, जिसमें आपने विस्तार से आवास ऋणों के प्रलेखन एवं कानूनी पहलुओं के बारे में केस स्टडीज एवं केसलेट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई। प्रशिक्षण का आठवां सत्र श्री आर.के. पांडे, महाप्रबंधक, रा.आ.बैंक ने लिया, जिसमें आपने "भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निमाण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सरसाई)" के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का नौवां एवं अंतिम सत्र रा.आ.बैंक के ही श्री ए.पी. सक्सेना, उप महाप्रबंधक ने संबोधित किया, जिसमें आपने सभी प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय आवास की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु परिचालित विभिन्न योजनाओं एवं पहलों की जानकारी तथा ग्रामीण आवास वर्तमान परिदृश्य के बारे में अवगत कराया। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षण के प्रभाव मूल्यांकन एवं प्रमाणपत्र वितरण तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन की घोषणा की गई।

भुवनेश्वर, उड़ीसा में "ग्रामीण आवास वित्त" पर प्रशिक्षण

भुवनेश्वर, उड़ीसा में बैंक के द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 20 एवं 21 फरवरी, 2014 को ग्रामीण आवास वित्त पर आयोजित किया गया। स्वागत व पंजीयन के पश्चात प्रशिक्षण का उद्घाटन उड़ीसा ग्राम्य बैंक के अध्यक्ष डा0 के सी मोहंती ने किया। प्रशिक्षण का पहला सत्र स्टेट बैंक आफ इंडिया के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री गणेश रामामूर्ति ने संबोधित किया जिसमें आपने आवास वित्त की व्यावसायिक लाभ–प्रदता एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु

आवास ऋणों के विपणन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई।

प्रशिक्षण का दूसरा सत्र बैंक आफ इंडिया एसटीसी के वरिष्ठ प्रबंधक एवं संकाय श्री आर.के. टंडन ने लिया, जिसमें आपने ऋण आवेदन मूल्यांकन तथा आवेदनों की प्रक्रियात्मकता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके लिए आपने रोल प्ले एवं केस स्टडीज का माध्यम अपनाया। इस प्रशिक्षण का तीसरा सत्र श्री आर.के. टंडन, वरिष्ठ प्रबंधक एवं संकाय सदस्य, बैंक आफ इंडिया एसटीसी के द्वारा लिया गया, जिसमें आपने आवास ऋण एवं धोखाधड़ी के बारे में परिचर्चा की। प्रशिक्षण का चौथा एवं आज अंतिम सत्र रा.आ.बैंक के प्रबंधक श्री आर.एन. कार्तिकेयन ने लिया जिसमें आपने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

प्रशिक्षण का पांचवां सत्र दिनांक 21 फरवरी, 2014 को प्रातः प्रारंभ हुआ जिसे स्टेट बैंक आफ इंडिया के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया जिसमें आपने आवास ऋणों के संवितरण, अनुपालन एवं वसूली के बारे में रोल प्ले एवं केसस्टडीज के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई। आज का दूसरा एवं प्रशिक्षण का छठा सत्र कानूनी पहलुओं की बारीकियों सहित आवास ऋण के दस्तावेजों एवं प्रलेखन पर जानकारी दी गई। इस सत्र को स्टेट बैंक अकादमी, गुड़गांव के एजीएम एवं संकाय सदस्य श्री एन.डी. डुडेजा ने लिया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र भी श्री एन.डी. डुडेजा ने ही लिया जिसमें आपने केस स्टडीज एवं सामूहिक स्टडीज के माध्यम से ऋण आवेदनों के सभी पहलुओं की तकनीकि, कानूनी मूल्यांकन एक प्रक्रियात्मकता के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का आठवां सत्र रा.आ.बैंक के सहायक प्रबंधक श्री एस.के. पाढ़ी ने लिया जिसमें आपने "भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निमाण एवं प्रतिभूत स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सरसाई)" के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण का अंतिम एवं नौवां सत्र रा.आ.बैंक के उप महाप्रबंधक श्री ए.पी. सक्सेना ने राष्ट्रीय आवास बैंक की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजनाओं, पहलों एवं ग्रामीण आवास परिदृश्य के बारे में लिया गया। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं परस्पर विचार–विमर्श हुआ और प्रमाण पत्र वितरण के साथ प्रशिक्षण समाप्त की घोषणा की गई।

अहमदाबाद, गुजरात में दो दिवसीय प्रशिक्षण

रा.आ.बैंक के प्रयासों के तहत दिनांक 27 एवं 28 फरवरी, 2014 को अहमदाबाद, गुजरात में एक दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण की

प्रमुख थीम– 'जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन' था। प्रशिक्षण के प्रथम दिन स्वागत एवं पंजीयन के उपरांत पहला सत्र प्रारंभ हुआ जिसे स्टेट बैंक आफ इंडिया के डीजीएम, ओआरएमडी श्री राजेश सूद जी ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का द्वितीय सत्र डीएचएफएम के उपाध्यक्ष श्री सतिन्दर गुप्ता जी के द्वारा लिया गया, जिसमें आपने जोखिम प्रबंधन तथा संकल्पनात्मक ढांचे की प्रक्रिया पर ज़ोर देते हुए परिचर्चा को आगे बढ़ाया। प्रशिक्षण के तीसरे सत्र में आंध्रा बैंक के पूर्व कार्यपालक निदेशक श्री अनिल गिरोत्रा ने ऋण जोखिम पर विस्तृत परिचर्चा की। आपने इस दौरान ऋण जोखिम के प्रकार, ऋण जोखिम आकलन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा सामूहिक केस स्टडीज (प्रकरण) पर जोर डाला। श्री अनिल गिरोत्रा जी ने ही प्रशिक्षण का चौथा सत्र लिया जिसमें आपने परिचालनात्मक जोखिम पर प्रकाश डाला। आपने बताया कि परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत एवं परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन की पद्धतियां क्या होती हैं जिसे अपने केस स्टडीज के माध्यम से वर्णित किया।

प्रशिक्षण के अगले दिन 28 फरवरी, 2014 को प्रशिक्षण का चौथा एवं आज का प्रथम सत्र स्टेट बैंक आफ इंडिया के उप महाप्रबंधक एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने संबोधित किया, जिसमें आपने नकदी जोखिम एवं एएलएम के बारे में जानकारी प्रदान की। आपने इसके तहत एएलसीओ की भूमिका, एएलएम की अवस्थिति की निगरानी तथा नकदी समीक्षा एवं आकस्मिक योजना समाधान के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण का अगला सत्र भी श्री गणेश रामामूर्ति के द्वारा ही लिया गया, जिसमें आपने ब्याज दर जोखिम के तहत ब्याजदर जोखिम मापन/मूल्यांकन तकनीक, प्रबंधन एवं नियंत्रण प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई और इसे केस स्टडीज के माध्यम से सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र रा.आ.बैंक की प्रबंधक सुश्री रेखा सुरती के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें आपने प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निमाण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) तथा निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। प्रशिक्षण का अंतिम व आठवां सत्र स्टेट बैंक आफ इंडिया के डीजीएम व संकाय सदस्य श्री गणेश रामामूर्ति द्वारा लिया गया, जिसमें आपने केस स्टडीज जैसे माध्यमों से जोखिम न्युनीकरण तकनीकों के बारे में बताया। अंत में प्रमाण पत्र वितरण एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रशिक्षण समाप्ति की घोषणा की गई।

प्रेस विज्ञप्ति

भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट – 2013 का विमोचन

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ. बैंक) प्रत्येक वर्ष आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर अपना वार्षिक प्रकाशन प्रस्तुत करता है जिसमें वर्ष के दौरान भारत में आवास एवं आवास वित्त के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाती है। वर्ष 2013 हेतु रिपोर्ट का विमोचन 09 जनवरी, 2014 को रा. आ.बैंक के प्रधान कार्यालय में माननीय वित्त राज्य मंत्री, श्री नमो नारायण मीणा द्वारा किया गया था। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री एच.आर.खान, उप गवर्नर, भा.रि.बैंक, श्री वी.पी. बालीगर, सीएमडी, हडको तथा श्री एम.आर. उमरजी, मुख्य सलाहकार, वित्त, आईबीए शामिल थे।

भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट – 2013 का विमोचन : बायें से दायें : श्री दीपक सिंघल, प्रादेशिक निदेशक, भा.रि. बैंक, श्री आर. एस.गर्ग, का.नि., रा.आ.बैंक, श्री वी.पी. बालीगर, सीएमडी, हडको, श्री नमो नारायण मीणा, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री आर. वी. वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रा.आ. बैंक, श्री अर्णव रॉय, का.नि., रा.आ.बैंक

रा.आ.बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.वी. वर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा रिपोर्ट की मुख्य, विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सूचित किया कि इस वर्ष की रिपोर्ट का विशेष महत्व है क्योंकि वर्ष 2013 में बैंक ने अपने परिचालन के 25 वर्ष पूरे किये थे। रिपोर्ट में क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियों का विवरण दिया गया है जिसमें नीतिगत परिवेश, घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियां, रा.आ.बैंक, आ.वि.कंपनियों, बैंकों की भूमिका एवं कार्य–निष्पादन, और आवास वित्त उद्योग में उभरती प्रवृत्तियों के साथ ही भावी दृष्टिकोण तथा संस्तुतियां समाविष्ट हैं।

अपने भाषण में श्री मीणा ने ऐसे उपयोगी और व्यापक दस्तावेज के प्रकाशन के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रयासों की सराहना की, जिसमें उन्हें भरोसा जताया कि सभी शेयरधारकों जैसे नीति निर्माताओं, विनियामकों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों तथा आवास क्रेताओं के बढ़ते हुए विशाल क्षेत्र को सहयोग, सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

"जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित"

भारत सरकार, एम.एन.आर.ई. (नव एवं पुनर्नवीनीकृत उर्जा) मंत्रालय ने राष्ट्रीय आवास बैंक को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत

उपलब्ध सब्सिडी (अनुदान सहायता) को प्रणालित करने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य घरों में सोलर वाटर हीटिंग तथा सोलर प्रकाश उपस्करों को प्रतिस्थापित करना है।

इसी उद्देश्य को कार्य रूप देने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.वी.वर्मा तथा एम.एन.आर.ई मंत्रालय की ओर, संयुक्त सचिव, श्री तरूण कपूर के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

अंतर बैंक राजभाषा प्रतियोगिता का आयोजन

राष्ट्रीय आवास बैंक ने दिल्ली बैंक नराकास के तत्वावधान में दिनांक 26 मार्च, 2014 को अंतर बैंक अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह कार्यक्रम बैंक के मुख्यालय में चतुर्थ तल स्थित 'चिंतन कक्ष' में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कुल 22 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में लिपिक वर्ग से लेकर सहायक महाप्रबंधक स्तर तक के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया।

- इस राजभाषा प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यपालक निदेशक महोदय श्री अर्णव रॉय जी के द्वारा एक संबोधन के साथ हुआ।
- यह प्रतियोगिता लगभग 2:30 बजे अपरांह से प्रारंभ होकर सायं 5:00 बजे तक चली। बैंक में पधारे सभी प्रतियोगियों को एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
- प्रतियोगिता की समाप्ति पर सहायक महाप्रबंधक श्री डॉ. जी.एन. सोमदेवे ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रतियोगिता की कुछ झलकियां

बैंक में वर्ष 2013-14 के दौरान सहायक प्रबंधकों की नई नियुक्तियां एवं संक्षिप्त परिचय

प्रमा बासु

मेरा नाम प्रमा बासु है। मैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूं। मैंने पाठा भवन कोलकाता से विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की है तथा वर्ष 2010 में मौलाना आजाद कोलेज से इकॉनोमिक्स (ऑनर्स) में स्नातक तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से 2012 में अर्थशास्त्र में स्नाकोत्तर किया। मैंने अपनी पहली नौकरी राष्ट्रीय आवास बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में प्रारंभ की है। संगीत सुनने, किताब पढ़ने तथा काव्य पाठ करने में मेरी अभिरूचि है।

श्रीमयी देबवर्मा

मेरा नाम श्रीमयी देबवर्मा है। मेरा जन्म त्रिपुरा राज्य के उदयपुर नामक स्थान में हुआ है। मेरी स्कूलिंग की पढ़ाई त्रिपरा में ही पूरी हुई। इसके बाद मैंने चेन्नई शहर के प्रतिष्ठित कालेज से इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया और तत्पश्चात एक साल एवं 10 माह विप्रो टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट इंजीनयर के रूप में काम किया। वर्तमान में मैं राष्ट्रीय आवास बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही हूं।

मधुमिता

मेरा नाम मधुमिता है। मैं बोकरो इस्पात नगर, झारखंड की निवासी हूं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, बोकारो से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बी. टेक (इलेक्ट्रिकल) में जयपुर से किया है। इससे पूर्व मैं भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर कार्यरत थी। अब मैं यहाँ सहायक प्रबन्धक के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे किताब पढ़ना और बैडमिंटन खेलना पसंद है।

मेनका राणा

मेरा नाम मेनका राणा है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा बोकारो स्टील सिटी के सेंट जेवियर्स विद्यालय से पूर्ण की है। तत्पश्चात वर्ष 2012 में मैंने दुर्गापुर के एन.एस.एच.एम कॉलेज से बी.बी.ए में स्नातक किया। रा.आ.बैंक में नियुक्ति से पहले मैं भारतीय रिजर्व बैंक में अस्सिटेंट के पद पर कार्यरत थी। मुझे किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और स्केचिंक करना पसंद है। मैंने दिनांक 03.02.2014 को रा.आ.बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है।

दावर हुसैन

मेरा नाम दावर हुसैन है। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय हरदोई और जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। उसके बाद मैंने स्नातक की शिक्षा अर्थशास्त्र विषय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैंने स्नातकोतर वित्त और नियंत्रण विषय से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है। तत्पश्चात मैंने इंटेलीनेट कंपनी में दो वर्ष तक कार्य किया है। उसके बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर में छह महीने कार्य किया है। मुझे शतरंज खेलना पंसद है।

सूर्या रामा सामी

मेरा नाम सूर्या रामा सामी है। मेरा जन्म चेन्नई शहर (तमिलनाडु) में हुआ। मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ और जो भी काम करती हूँ, उसे पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से करती हूँ। मैं प्रबल इच्छा शक्ति के साथ स्व प्रेरित हूँ। मैं सदैव जोखिम के लिए तैयार रहती हूँ और स्वयं की संतुष्टि के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ।

मेरी स्कूली शिक्षा आई.आई.टी. परिसर, चेन्नई के वनवानी मैट्रीकुलेशन हायर सेकेड्री स्कूल से हुई। मैं इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार में इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है और बाजार अनुसंधान एवं उपभोक्ता व्यवहार पर एम.बी.ए. किया है। मैं तीन वर्ष तक टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज चेन्नई में काम किया है जहाँ मैंने एक व्यावसायिक के रूप में कौशल पाया। उपन्यास पढ़ना, ऑटोमोबाइल की पत्रिकाओं को पढ़ना तथा कुकिंग में मेरी खास रूचि है। मैं बास्केट बॉल एवं थ्रो बॉल खेलती हूँ।

गतांक से आगे

राजीव ऋण योजना

जगदीश, उपप्रबंधक

पिछले अंक में हमने राजीव ऋण योजना के लाभार्थियों की पात्रता, चुनाव एवं ऋण सीमा आदि के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ ही उन पर लागू होने वाले नियम एवं शर्तों के साथ ऋण संवितरण एवं सीमा के बारे में भी चर्चा की थी। इस अंक में हम आवेदनकर्ता तथा इसे जुड़ी विभिन्न समितियों, सरकारों, निकायों, नोडल एजेंसियों तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की भूमिका एवं निगरानी के बारे में बता रहे हैं।

ऋण के लिए आवेदनकर्ता

जिन आवेदनकर्ताओं ने सहकारिता सामूहिक आवास समितियां या संगठन जैसे कि कर्मचारी आवास कल्याण संघ, श्रमिक आवास आदि को बनाया है या बनाने वाले हैं, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जहां पर ये सहकारिताएं 1+3 मंजिला भवन बनाने की संभावनाएं रखती है, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। इससे जमीन की कीमत लाभार्थियों में बांटी जा सकेगी। हालांकि, यह एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत सामूहिक आवास खरीददार एवं वैयक्तिक खरीददार दोनों ही समान रूप से ऋण पाने के पात्र हैं।

यदि एक आवास सहकारी संघ किसी बैंकसे ऋण प्राप्त करने की गुजारिश करते हैं तो उनकी देनदारी (कर्ज) को सभी में संयुक्त रूप से या अलग–अलग बांटी जा सकती है। राज्य, शहरी स्थानीय निकाय/बैंक ऋणदाताओं को ईडब्ल्यू (आर्थिक कमजोर वर्ग) तथा निम्न आय वर्ग में जहां तक संभव हो, क्रमशः 50:50 के अनुपात में चुना जाना चाहिए। यह ऋण आवेदन सीधे बैंक में, या शहरी स्थानीय निकाय अथवा इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा चयनित स्थानीय एजेंसी के माध्यम या फिर स्वैच्छिक एनजीओ के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित कराए कि वह इस कार्य हेतु आवश्यक प्रमाणिकृत है।

ऋण दस्तावेजों का अभिलेखन ऋणदाता की प्रक्रिया आवश्यकताओं के अनुसार होगा। हालांकि ऋणदाताओं को यह फार्म सरल एवं स्थानीय भाषा में तैयार करने चाहिए और यह ध्यान में रखें कि ऋणकर्ता के प्रति बेहतर पहुंच हेतु जोखिम गारंटी के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड योजना आवृत होंगे, अतः नियमादि में शिथिलता का अपना सकते हैं। यह ऋणदाताओं पर निर्भर होगा कि वे ऋणों की संस्वीकृति अपने जोखिम मूल्यांकन एवं प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार करें।

यदि लाभार्थी गृह निर्माण हेतु ऋण प्राप्त कर रहा है, ऋण का जारी किया जाना निर्माण से जुड़ा होगा, जिसे आदर्श रूप में दो वर्ष में पूरा किया जाना होता है। ऋण दाता बैंक निर्माण की प्रगति की निगरानी करेगा। यही बात तब भी समान रूप से लागू होगी जब कोई लाभार्थी एक घर को किसी निजी भवन निर्माता या विकासक से सामूहिक आवास या एपार्टमेंट परिसर के एक भाग के रूप में भी खरीद रहा होगा।

संचालन समिति की भूमिका

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी जिसके आम सदस्य चुनिंदा राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ कार्यपालक, भारतीय रिजर्व बैंक, रा.आ.बैंक, हडको, जाने–माने बैंकर्स तथा सामाजिक शोधकर्मी/शहरी आवास क्षेत्र के कार्यकर्ता तथा वित्त एवं अन्य क्षेत्र के कार्यकारी होंगे। यह समिति आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा गठित की जाएगी जो इस योजना के प्रचालनात्मक निर्देशों, अनुदेशों, निगरानी तथा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी और इसके साथ ही साथ इस योजना के क्रियान्वयन में समय–समय पर प्राप्त आवश्यक दिशा–निर्देशों को जोड़ने की सलाह प्रदान करेगी।

रा.आ.बैंक/हडको द्वारा संवितरित की जाने वाली छूट सहायता (सब्सिडी) का निर्धारण संचालन समिति करेगी। साथ ही समिति समय–समय पर अनुभव, प्रचालन एवं वित्तीय आधार प्रक्रम की समीक्षा करेगी तथा निधि प्रबंधन हेतु मापदंडों एवं प्रक्रम बदलाव एवं सुधार के लिए प्राधिकृत होगी। इसके साथ ही माइक्रो वित्त संस्थानों एसएचजी तथा नाइबरहुड (पड़ोसी) कमेटी जैसे संगठनों के लिए अलग से दिशा–निर्देश तैयार किए जाएंगे। किसी भी स्वैच्छिक संगठन या सामुदायिक संगठन द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए भारत सरकार किसी भी प्रकार का सेवा मूल्य नहीं प्रदान करेगी केवल अनुच्छेद 2.9.3 (मूल प्रति) में वर्णित इंसेटिव प्रदान किए जाएंगे।

केन्द्र सरकार की भूमिका

भारत सरकार की ओर से इस योजना का उत्तरदायित्व आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा निवर्हन किया जाएगा। इसके साथ ही यही मंत्रालय क्रियान्वयन के साथ–साथ योजना की निगरानी एवं समीक्षा का भी काम करेगा। यह मंत्रालय इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी (छूट सहायता एक त्रैमासिक अनुरोध के आधार पर रा.आ.बैंक तथा हडको के माध्यम निर्मोचित करेगा। ऋण की 70: राशि के उपयोग होने पर दूसरी एवं उत्तरवर्ती किश्तें भी जारी की जाएगी।

इस योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु एक मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त आवेदन/प्रायोजको, संस्वीकृत आवेदन, संवितरित ऋण, अस्वीकृत आवेदनों, वास्तविक सब्सिडी/भुगतानादि तथा बैंकों, एनजीओज/स्थानीय शहरी निकायो आदि से प्राप्त एमआइएस रिपोर्ट एवं प्रोत्साहनों/सब्सिडी आदि के बारे में सभी आंकड़ो का अनुरक्षण करेगा, जिन्हें सीएनएज के द्वारा अग्रेषित किया गया हो।

इसके साथ ही सीएनएज हेतु आवधिक निगरानी एवं संवितरण तथा समय पर राशि का मोचन सुनिश्चित करना भी जिम्मेदारी है जो नियमित रूप से परस्पर विमर्श तथा क्षेत्रीय दौरों एवं अन्य क्रियान्वयन मुद्दों/संकुचित चुनौतियों को हल करने के द्वारा तथा संचालन समिति के ध्यान में लाकर किया जाएगा या फिर जो भी कदम अपेक्षित हो, उठाया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों की भूमिका

राज्य सरकारें/शहरी स्थानीय निकाय एक या एक से अधिक ऐसी एजेंसी को प्राधिकृत करेंगी जिनके अधिकारी/कार्यकर्ता/प्राधिकरण यह प्रमाणित करेंगे कि आवेदनकर्ता कमजोर आर्थिक वर्ग/निम्न आय समूह से संबद्ध है या नहीं, यह प्रमाण तथा आवेदक की स्वघोषणा को इस योजना की पात्रता के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, यदि कोई आवेदक पहले ही गरीबी

रेखा के नीचे (बीपीएल) श्रेणी में पहचाना जा चुका है तो उसके लिए ऐसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में उसकी स्वघोषणा पर्याप्त मानी जाएगी।

एक स्थानीय आधार पर नोडल एजेंसी या प्रतिष्ठित एनजीओ की पहचान कर आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से तथा सीएनए को सूचित किया जाएगा कि अमुक संस्था/एनजीओ को नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया है। इस प्रकार के स्थानीय नोडल एजेंसी या एनजीओ स्थानीय स्तर पर घर को खीरदने या बनाने हेतु लाभार्थियों की पहचान, प्रोत्साहित एवं संगठित करने में मदद करेंगे। इन संगठनों के द्वारा प्रोत्साहित जो लाभार्थी घर खरीदने/बनाने हेतु प्रवृत्त होंगे, उन्हें संस्थाएं जमीन खरीदने, निर्माण जैसी प्रक्रियाओं में सहायता करेंगे। यह उस क्षेत्र में आने वाली नई परियोजनाओं/बिल्डरों को सरकारी मानकों के आधार पर निर्माण करने एवं लाभार्थियों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

इन इलाकों में सामाजिक कार्यकर्ता मकान बनाने/खरीदने के इच्छुक लाभार्थियों की सहायता के लिए एक सेल/डेस्क बना सकते है जो उन्हें इस योजना ऋण, ऋण की मासिक किश्तों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है तथा बैंक के साथ कागजात बनाने, प्राप्त करने, अपेक्षित प्रभावीकरण तथा ऋण प्राप्ति, भुगतान रसीद आदि की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं।

इसके अलावा राज्य सरकारें या शहरी स्थानीय निकाय ऋणदाता संस्थानों एवं लाभार्थियों की सहायता में सत्यापन आदि की मदद कर सकती है वे पात्र लाभार्थियों के आवेदनों को ठेकों आदि में आगे बढ़ाने में सहायता कर सकती है। इसके साथ ही मीडिया अभियान/नीति तैयार एवं केन्द्र से अनुमोदित करा सकती है जिन्हें वे स्थानीय भाषा, मातृभाषा में प्रचारित कर सकते हैं। इसके लिए वे भारत सरकार से वित्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं या क्षतिपूर्ति के रूप में ले सकते हैं।

केन्द्रीय नोडल एजेंसीज (सीएनएज) की भूमिका

इस योजना के तहत सब्सिडी के संवितरण एवं प्रगति की निगरानी के लिए रा.आ.बैंक तथा हडको दो प्रमुख केन्द्रीय नोडल एजेंसीज (सीएनएज) होगी। उक्त दोनों नोडल एजेंसी संचालन समिति की संस्तुति एवं अनुमोदन के साथ इस योजना के तहत ऋण संवितरण हेतु ऋणदाता संस्थानों का चयन करेंगी। इस सेवा के लिए चयनित बैंकों/आ.वि.कंपनियों के बकाया ऋणों पर रा.आ.बैंक/हडको सब्सिडी जारी करेंगे।

उपयोजिता/अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाण के आधार पर बैंक/आ.वि.कं के द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी मंत्रालय के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिशा–निर्देशों के अनुसार हडको/रा.आ.बैंक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। इस योजना की वैज्ञानिकतापूर्ण निगरानी एवं व्यावसायिक प्रशासन तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आंकड़ों को निगरानी रखने एक एमआईएस निर्मित करने के लिए एवं एक निगरानी कमेटी गठित करने के लिए केन्द्रीय नोडल ऐजेंसी जिम्मेदार होगी। यह आंकड़े विभिन्न बैंकों/आ.वि.कं आदि से प्राप्त होंगे, जिसमें प्राप्त आवेदनों, प्रायोजकों, संस्तुत ऋण एवं संवितरणों के साथ अस्वीकृत आवेदनों की संख्या एवं बैंकों/आ.वि.कं/शहरी स्थानीय निकायों को प्रदत्त लाभांशों का ब्यौरा होगा। इसके साथ ही यह केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनएज) लाभार्थियों का आंकडा, वास्तविक सब्सिडी भुगतान तथा भुगतानों के डाटा बेस भी रखेंगे।

सीएनएज मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर समय–समय पर आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को रिपोर्ट एवं अपडेट्स (अद्यतन स्थिति रिपोर्ट) भेजेंगे। रा.आ.बैंक एवं हडको निम्न आधार पर सब्सिडी का भुगतान करेंगे। तीन माह की अवधि के दौरान ऋणदाता संस्थान के द्वारा कमजोर आर्थिक वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के लाभार्थियों को कुल संस्वीकृत के आधार पर हडको/रा.आ.बैंक उनके खातों में सीधे सब्सिडी राशि मोचित करेंगे। इसके साथ ही बैंक/आ.वि.कं द्वारा 70: अनुपयोजिता प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर सीएनएज के द्वारा त्रैमासिक आधार पर सब्सिडी जारी की जाएगी।

इसके साथ ही रा.आ.बैंक एवं हडको अपने कार्याधिकार क्षेत्र में उपरोक्त सब्सिडी योजना के आधार पर प्राप्त वित्तीय सहायता से निर्मित आवास इकाइयों की निगरानी करेंगे जिसके लिए वे अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देगें कि निर्माण प्रक्रिया के द्वारा दौरा करें तथा निर्माण की गुणवत्ता के साथ–साथ खर्चों का सत्यापित करें।

उपरोक्त विनिश्चित संस्थान यह भी सुनिश्चित करेगे कि निर्माण प्रारंभ होने की एक या दो वर्ष की अवधि के भीतर आवास इकाई के पूरा होने के संबंध में ऋणदाता संस्थान निर्माण परिपूर्णत प्रमाणपत्र प्रदान करेगे। यदि किन्हीं मामलों में कुछ विशेष इकाईयां परिपूर्ण नहीं हुई है तो उनके लिए ऋणदाता संस्थान विशेष रूप से निर्माण विस्तार या अतिरिक्त निर्माण के लिए पूछेंगी।

बैंकों/आवास वित्त संस्थानों (कं.) की भूमिका

बैंकों/आवास वित्त संस्थानों अर्थात एचएफसीज/एमएफआईज के पास यह विकल्प होगा कि इस योजना अवधि के लिए किसी एक नोडल एजेंसी से संसाधन प्राप्त करें। ये बैंक/आ.वि.संस्थान केन्द्रीय नोडल एजेंसीज–रा.आ.बै/हडको को ऋण उपयोजिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएंगी। ये ऋणदाता संस्थान–बैंक एवं आ.वि.संस्थान तिमाही आधार पर नोडल एजेसीज को सब्सिडी राशि के संवितरण संबंधी विवरणी उपलब्ध कराएंगे तथा यह भी बताएंगे कि सब्सिडी का उनकी मासिक किश्त के साथ समायोजन करने पर क्या परिणाम रहे। ये बैंक/आ.वि.कं यह भी बताएंगे कि लाभार्थियों को दिया गया ऋण स्थिर या अस्थिर ब्याज दर दिया गया तथा ऋणदाता के बारे में जानकारी प्रदान करेगें।

निगरानी

मंत्रालय के द्वारा इस योजना के तहत दिए जाने वाले बाहरी संस्थानों के माध्यम से ऋणों एवं प्रावधानों के बारे दो वर्ष की अवधि में संवीक्षा/समायोजन एवं माध्यमिक संशोधनादि किए जाएंगे। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा समय पर निर्माण एवं निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चियन के लिए एक प्रक्रम को बनाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। इसके साथ ही ऋणदाता संस्थान राज्य प्राधिकारियों के साथ मिलकर गुणवत्ता जांच के लिए निर्माण स्थल पर औचक निरीक्षण दौरा कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय नोडल एजेंसियों के द्वारा एक तृतीय पक्ष निरीक्षण का गठन किया जा सकता है ताकि रैंडम नमूना सर्वेक्षण के द्वारा औचित्यपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यदि आवश्यकता लगे, तो गुणवत्ता नियंत्रण हेतु संचालन समिति भी इस प्रकार के दौरे कर सकती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली निधि के अधीन अन्य विस्तारित कार्यों यथा गृह विस्तार आदि की निगरानी के लिए विशेष ध्यान रखा गया है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने राजीव ऋण योजना के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उचित समय के भीतर, सही लाभार्थी का योजना का लाभ मिले और यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि निधि का सदुपयोग हो, आवास निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण रहे तथा अधिक से अधिक लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सकें।

मातृभाषा और राष्ट्रभाषा

डॉ. अमर सिंह सवान, राजभाषा अधिकारी

मानव जिस समाज में जन्म लेता है, उसमें ही प्रायः उसका शैशव बीतता है। उसकी मातृभाषा अपने मां–पिता से प्राप्त भाषा होती है और उसे प्राप्त होती है उस समाज की जड़ें, स्मृतियां और बिंब भी। मनुष्य को मातृभाषा एक भिन्न कोटि का सांस्कृतिक आचरण देती है, जो किसी अन्य भाषा के साथ शायद संभव नहीं हो सकता। मातृभाषा के साथ कुछ ऐसे तत्व जुड़े होते हैं, जिनके कारण उसकी संप्रेषणीयता उस भाषा के बोलने वाले के लिए अधिक मार्मिक होती है। यह प्रश्न इतिहास और संस्कृति के वाहन से भी जुड़ा है। हर मुनष्य अपनी मातृभाषा में अधिक गहनता, व्यापकता एवं स्पष्टता से अपने विचारों, भावों एवं अनुभवों को व्यक्त कर पाता है।

एक संस्कृति का काम विश्व को महज बिंबों में व्यक्त करना नहीं है, बल्कि उन बिंबों के जरिये संसार को एक नूतन दृष्टि से देखने का ढंग विकसित करना भी है। उपनिवेशवाद एवं आधुनिक तकनीक के साथ वैज्ञानिक प्रगति एवं ज्ञान आदान–प्रदान ने ऐसी भाषा में दुनिया को देखने के लिए विवश किया है, जो दूसरों की भाषा होती है। ऐसी भाषा में हमारे सच्चे सपने नहीं हो सकते। साम्राज्यवाद सबसे पहले सांस्कृतिक धरातल पर आक्रमण करता है। वह भाषा को अवमूल्यित करने लगता है। वह स्वयं को बेहतर एवं दूसरों की भाषा को हीनतर बताता है। साम्राज्यवाद एक ऐसी संस्कृति को जन्म देता है कि उसमें खुद की चीज कमतर लगती है और लोग अपनी ही मातृभाषा से कतराने लगते हैं और विश्व की दबंग भाषाओं को महिमा मंडित करने लगते हैं। उसी से अभिव्यक्ति करने लगते हैं या बंध जाते हैं और लोग अंततः मातृभाषा छोड़ने लगते हैं। गर्व से कहते हैं कि मेरे बच्चे को मातृभाषा नहीं आती। उनका बच्चा "अंग्रेजी दां" है।

भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कहे जाने वाले अंग्रेज अधिकारी श्री लार्ड मैकाले जब पहली बार भारत आए तो उन्हें लगा कि भारत में भाषाएं काफी विकसित हैं तथा संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा शिक्षित वर्ग के बीच जिंदा है तथा धर्म एवं संस्कृति की जड़े बहुत गहरी हैं, अतः भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाना बहुत कठिन होगा। यही कारण है कि वापस इग्लैंड जाकर वहां की संसद में बयान दिया।

जहां इन बातों पर जोर देकर बताया गया और उसने यह भी अनुमति मांगी कि भारत में अंग्रेजी प्रधान शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। भारतीय शिक्षा, संस्कृति एवं भाषाओं की उपेक्षा की जाए तथा नौकरियों में अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाए। लार्ड मैकाले की नीति कार्यान्वित की गई। आज भारत की आजादी के बाद भी जो स्थिति है, वह किसी से छुपी नहीं है।

एक मातृभाषा में अपनी कहावतें, लोककथाएं, कहानियां, पहेलियां, सूक्तियां होती हैं, जो सीधे वहां की स्मृति की धरती से जुड़ी होती हैं। उसमें किसान एवं मजदूर की शक्ति होती है। उसकी एक भिन्न बुनावट होती है। एक विशिष्ट सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बुनावट, जिसमें अस्मिता का रचाव होता है। जब भी करुणा या पीड़ा का बयान होगा, तो कोई भी अपनी मातृभाषा में जितनी तीव्रता और तीक्ष्णता के साथ अपनी बात कह पाएगा, वह बात अन्य भाषा में नहीं। आत्म–अन्वेषण की जो गहराई मातृभाषा के साथ संभव है, वह अन्य भाषा के साथ नहीं। दूसरी किसी भाषा में एक बात तो कही जा सकती है लेकिन जो आत्मीयता या मार्मिकता संभव सही है। भाषा एक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सत्य है।

मातृभाषा से अपने परिवेश व पर्यावरण का बोध होता है। संबद्धीकरण की प्रक्रिया में मजबूती होती है। अलगाव से बचाव होता है। मातृभाषा से वह मौखिक लय प्रकट होती है, जिसमें प्रकृति और परिवेश के साथ सामाजिक संघर्ष भी प्रकट होता है। उससे साहित्य और संस्कृति के सकारात्मक, मानवीय जनतांत्रिक तत्व भी सामने आते हैं। अपनी संस्कृति की जड़ों में जाकर मानव को आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। उधार ली हुई भाषाएं

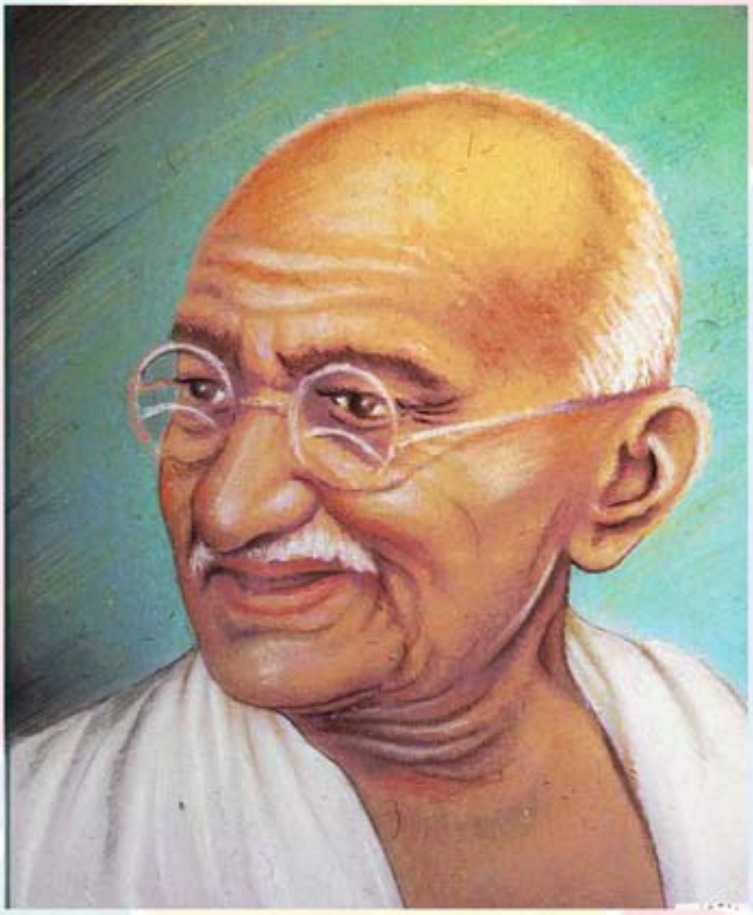

संपूर्णतः किसी अन्य भाषा के साहित्य एवं कलाओं का विकास नहीं कर सकतीं, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता रागात्मक रूप से जुड़ी नहीं होती है। उधार की भाषा का सत्ता केन्द्र कहीं और होता है और वह केन्द्र मातृभाषा जैसी आकांक्षा की पूर्ति का वाहक नहीं हो सकती। मातृभाषा में धरती की जो गंध है और कल्पनाशीलता का जो पारंपरिक सिलसिला है, वह अन्य भाषा में संभव नहीं। खासकर औपनिवेशिकता के साथ थोपी हुई भाषा में तो कतई नहीं।

देश में आजादी की लड़ाई में अपनी भाषा और उसकी व्यापकता को महसूस करते हुए महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच के एक सम्मेलन में इसी बिंदु पर

जोर दिया था और उसी दौरान आज़ादी की लड़ाई के लिए हिंदी को पूरे देश की भाषा बनाने का अनुरोध किया था क्योंकि अपनी मातृभाषा में जनता के संघर्ष बोलते हैं। कोई व्यक्ति, जो मातृभाषा की महत्ता जानता है, उसे पता है कि आंदोलन, लोकछवि, आत्म–अविष्कार और बदलाव के लिए इससे बेहतर कोई और माध्यम नहीं, क्योंकि उसका वास्ता उन भाषाओं से पड़ेगा, जो वहां की जनता बोलती है और जिनकी सेवा के लिए उसने लेखनी उठाई है। वह वही गीत गाएगा, जो जनता चाहती है। मातृभाषा के माध्यम से अर्थ सीधा–सीधा सरोकार से है। इससे उस माध्यम के सामाजिक–राजनीतिक

निहितार्थों को बोध होता है।

मातृभाषा के माध्यम से तथा भाषायी अस्मिता के माध्यम से लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को अभिव्यक्ति दी जा सकती है तथा नई चेतना की आकांक्षा को स्तर दिया जा सकता है। श्रमिक वर्ग और जनसामान्य को मूलतः उनकी मातृभाषा में अच्छी तरह संबोधित व संप्रेषित किया जा सकता है उन्हें उनकी भाषा में कौशल का प्रशिक्षण भी सहजता से दिया जा सकता है। मातृभाषा में संरचनात्मक रूपांतर की प्रक्रिया में शिक्षा और संस्कृति की एक निर्णायक भूमिका होती है, जो साम्राज्यवाद के नए चरण में विजय के लिए जरूरी है। शिक्षा और संस्कृति में आवश्यक संबंध है और सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक पक्षों से सीधा सरोकार है, इसीलिए वहां मातृभाषा की प्रभावी भूमिका है।

सच यह है कि संस्कृति अपने आप में इतिहास की अभिव्यक्ति और उत्पाद भी है, जिसका निर्माण प्रकृति और अन्य लोगों के साथ संबंधों पर आश्रित है, इसीलिए वहां मातृभाषा का अंतरंग प्रवेश है। यदि मातृभाषा को आधार बनाया गया, तो सामुदायिक परिवेश में लोग अपनी भाषा, साहित्य, धर्म, थिएटर, कला, स्थापत्य, नृत्य और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करते हैं, जो इतिहास और भूगोल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचा पाते हैं। शिक्षा और संस्कृति वर्गीय विभेदों को समाज की आर्थिक बुनियाद में व्यक्त करती है। वास्तव में वर्गीय समाजों में दो तरह की शिक्षा के बीच संघर्ष चलता रहता है। जो दो परस्पर संस्कृतियों का प्रसार करती और दो परस्पर विरोधी चेतना या विश्व दृष्टि या विचारधाराओं का वाहक हैं। निश्चित रूप से औपनिवेशिकता से ग्रस्त सांस्कृतिक पक्षों के लिए मातृभाषा की आवश्यकता है ही नहीं। वे अपने लिए वैसी ही भाषा चुनेंगे, जो उनके क्लास को प्रतिनिधित्व दे। इसी देश में कई जगह बच्चे मातृभाषा बोलते हुए दंड पाते हैं और संस्थानों से निकाल दिए जाते हैं, तो इसको समझना चाहिए। आज देश में कुछ पूंजीपतियों ने शिक्षा संस्थानों में अधिपत्य बना रखा है, प्राथमिक पब्लिक स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक काबिज हैं। जहां वे एक खास वर्ग को शिक्षित कर एक नया वर्ग खड़ा कर रहे हैं। जिन्हें अपनी भाषा से अधिक विदेशी भाषा का मोह अधिक होता है और वे उसे ही प्रश्रय देते है। वे नहीं मानते या यह नहीं जानते कि मूल है वह सौंदर्य बोध, जो हमारी लोक कथाओं, हमारे सपनों, विज्ञान, हमारे भविष्य की कामना में छिपा है। उसका सौंदर्य हमारी धरती की गंध से उपजा होता है। अन्य भाषाओं को अपनाने, उनमें अभिव्यक्ति करने में कोई बुराई नहीं। न ही उनमें ज्ञान–विज्ञान–सामाजिक विज्ञान सीखने व अर्जित करने में कोई संकोच है। मूल यह है कि जो ताकतें मातृभाषा को रचनात्मकता से हीन करने और उसे हीनतर साबित करने में सक्रिय रही हैं, उन्हें पहचानने और उनके क्रूर आचरण से सावधान रहने की आवश्यकता है।

हमारी अस्मिता, साहित्य, सृजनात्मकता का सर्वोच्च वैभव मातृभाषा में ही संभव है। वह असीम है। कल्पना का वह छोर है। वह हमारी धरती का रंग है। उसमें हमारे देशज मूल्य हैं। वह हमारे लिए भविष्यकामी है। मातृभाषा में परंपरा की जीवंतता है। वह किसी और देश की अन्य धारा की मुखापेक्षी नहीं। मातृभाषा की गंगा सदैव गोमुख से आती है। उसमें हमारी धूप और हमारी छांव है। हमारी धमनी और शिराएं उससे रोमांचित होती हैं। वह हमारी वर्षों से स्थापित सभ्यता की केन्द्रीयता रखती है। वह हमारा गहन आकर्षण, प्रीति और मुक्ति है। उसमें हमारे लिए गहन आवेग भी है। मातृभाषा हमारी परंपरा में हमें परिष्कृत करती चलती है। वह हमें जो मिठास देती है, दूसरी भाषा नहीं दे सकती। मातृभाषा जीवंत अभिव्यक्ति का शायद सबसे सुंदर माध्यम है। वह न केवल सहज शिल्प है, अपितु सबसे अर्थपूर्ण संभावना भी है। मातृभाषा में कट्टरता न होना और जन–पक्षधर होना उसका समंजन पक्ष है। उसमें मनुष्य की स्मृतियां अधिक सुरक्षित और पल्लवित होती हैं। मातृभाषा में जितने पारंपरिक अर्थगर्भ होते हैं, उतनी ही वैज्ञानिकता और मनुष्यता की मुक्तिकामी संभावनाएं भी।

आज समय है कि अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान एवं संचार की प्रगति एवं विकास को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा की पर्याप्त महत्व दिया जाए। यशपाल कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कम से कम दसवीं या बारहवीं तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए और साथ में अंग्रेजी एवं हिंदी को भी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार के सारे काम–काज तथा निजी क्षेत्र के काम–काज में भी अंग्रेजी की बजाए स्थानीय भाषाओं या हिंदी को अपनाया जाए। सभी राज्य के बीच अंग्रेजी की बजाए हिंदी लिंक भाषा बने। हिंदी न सिर्फ राज भाषा बने, बल्कि इस देश की राष्ट्रभाषा बने, जिससे कि लोग गर्व कर सकें। किसी कवि के शब्दों में –

जिसको न निज भाषा तथा निज देश पर अभिमान है।
वह नर नहीं नर – पशु और निरा मृतक समान है।

यह बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि अपनी भाषा के बिना बिल्कुल मानव पशु की भांति है जो अपने समूचे भावों का उद्‌गार नहीं कर पाता। वह मृतक तुल्य इसलिए भी है कि वह अपनी मातृभाषा अपनी संस्कृति में अपने हृदय के भावों को प्रकट नहीं कर पाता है। उसे दूसरी भाषा के माध्यम से धन, दौलत या मान–सम्मान तो मिल जाता है परन्तु वे अहसास, अनुभूतियां, समानभूति एवं आत्म–तुष्टि नहीं मिल पाती जो अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा से मिलती है।

आवास वित्त एवं उपभोक्ता

जी.एस. हेगडे, प्रधान कानूनी सलाहकार
भारतीय रिजर्व बैंक

मुझे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान आवास वित्त में कानूनी समस्याओं पर चर्चा करने में आनंद आता है विशेष रूप से जब यह आवास वित्त कंपनियों एवं बैंकों से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों के बीच कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इससे पहले मैं कई जगहों पर ऐसे ही विषयों पर परिचर्चा कर चुका हूं। प्रायः ऐसी परिचर्चाओं की शुरूआत मैं ही करता हूं। मुझे प्रशिक्षणार्थियों के बीच आकर इस विषय पर परिचर्चा करना इसलिए पसंद है; क्योंकि मेरा विश्वास है कि किसी के मकान की वित्तीय सहायता (ऋण) प्रदान करना एक सर्वोत्तम कार्य है। कई बार ऐसे विषयों पर खड़ी होने वाली कानूनी समस्याएं ऐसी हो सकती हैं जिन्हें सुलझाना पर्याप्त कठिनाईपूर्ण होता है और इन्हें हल करने में शामिल होना और भी विशिष्ट कार्य बन जाता है। मुझे सदैव चुनौतियों पूर्ण काम पसंद हैं और ऐसे कानूनी मुद्दों को सुलझाने में मज़ा आता है जोकि प्रथम दृष्टि में काफी बड़ी बाधा (जटिलतापूर्ण) लगते हैं।

यहां पर कुछ ऐसे विशिष्ट कानूनी मुद्दे हो सकते है जहां कुछ निश्चित भौगोलिक परिस्थितियों में वहां के स्थानीय कानून एवं प्रथायें (रिवाजें) खड़ी

हो सकती हैं। ऐसी जगहों पर भौगोलिक निर्दिष्टताओं के सभी पहलुओं से जूझता सामान्य मुद्दा/समस्या हो सकती है। इस बात में कोई मत भेद नहीं हो सकता है कि ऐसे मुद्दों से निपटने के तरीकों पर भिन्न–भिन्न विशेषज्ञों की अलग–अलग राय हो सकती है और वे उनके द्वारा ऐसे मामलों से प्रभावी ढंग से निपट भी सकते हैं। ऐसे मुद्दे स्थानीय या राष्ट्रीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आमने–सामने की परिचर्चा एवं परस्पर बातचीत से ऐसे मुद्दों/समस्याओं की अनिवार्य अंतर–बिदुंओं को जानकर प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है और उनके वैकल्पिक उपायों को खोजा जा सकता है। परिचर्चा के लिए शांत एवं सौम्य वातावरण आवश्यक होता है। परिचर्चाएं समाधान खोजने में सहायक होती हैं।

मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि वे मेरे साथ परिचर्चा में भाग लें और उन समस्याओं की चर्चा करें जो उन्हें परेशान कर रही हैं। जोकि एक जरूरतमंद व्यक्ति को आवास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के दौरान राह में आती हैं।

वैश्विक अर्थ संकट 2008

यहां पर मेरे द्वारा वैश्विक अर्थ संकट पर बात करना अप्रासंगिक लग सकता

है। यह वह अर्थ संकट है जो वर्ष 2008 में यूएसए में आया था। आवास ऋण ऐसे व्यक्तियों को दिया गया जिनके पास किसी भी तरह से पुनः भुगतान (वापसी) की क्षमता नहीं थी। इसे "सब प्राइम" संकट के नाम से जाना गया। यदि सामान्य अवबोध के अनुसार भू–संपदा के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही थी तो कदाचित मार्टगेज (रहन) से इस स्थिति को बचा जा सकता था। ऋणदाता उन संपदाओं को बेचकर अपने बकायों को वसूल पाते। तब यह बात मायने नहीं रखती कि ऋणकर्ता के पास भुगतान वापसी की क्षमता है या नहीं। यह उदाहरण इस बिंदु पर जोर देता है कि केवल मार्टगेज अकेले फूलप्रूफ (सुस्पष्ट) केन्द्र बिंदु नहीं है, बल्कि ग्राहक के पास भुगतान वापसी की क्षमता भी होनी चाहिए। भू–संपदा के दामों में तीव्र उतर–चढ़ाव का असर ऋण पर नहीं पड़ना चाहिए। उधारकर्ता के पास निश्चित रूप चुकौती की क्षमता होनी चाहिए। निश्चित रूप से उधारकर्ता अपने घर को बेचकर ऋण की चुकौती नहीं करते हैं। उनके पास किश्तों को चुकाने की क्षमता स्वयं ही होनी चाहिए। यदि किश्तें लगातार नियमित आती रहती हैं तो भू–संपदा के मूल्यों में आए उतार या चढ़ाव ऋण को प्रभावित नहीं करते हैं। वैश्विक अर्थ संकट के दौरान सीखे गए पाठ को कभी नहीं भूला जाना चाहिए।

डोड–फ्रैंक अधिनियम 2010 (यूएसए)

आइए देखें कि यूएसए ने आर्थिक संकट से सीखे गए पाठ का किस प्रकार से इस्तेमाल किया। अमेरिका का "डोड–फ्रैंक वाल स्ट्रीट रिफोर्म एडं कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट (डीएफए) 2010 जहां वित्तीय मामलों को परपोषी की तरह निपटाता है, वैसे ही इस मुद्दे से भी निपटता है। इस डीएफए का मुख्य एक उद्देश्य – "उपभोक्ताओं को अनुचित वित्तीय सेवाओं के व्यवहार/रिवाजों से संरक्षित करना है। जिसे कई तरीकों से हासिल किया गया है जिसमें विभिन्न उपाय शामिल हैं जो सुनिश्चित कराते हैं कि उपभोक्ता ऐसी शर्तों पर आवासीय ऋण पाते या दिए जाते हैं जो तार्किक रूप से अपनी चुकौती क्षमता को दर्शाते हैं और जोकि समझने योग्य हों एवं गलत, अनुचित या भ्रमपूर्ण न हों।

डीएफए के अंतर्गत आवासीय मार्टगेज ऋणों से संबद्ध रिवाजों या बचाव की हरकतों को यथा स्थान रखने हेतु विनियमन की आवश्यकता होती है। जोकि अनुचित, पक्षपाती, भ्रमपूर्ण एवं लूटमार युक्त न हो। विनियमन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वे अन्य बातों के साथ–साथ निम्नांकित को सुनिश्चित कराते हों कि :

(क) उत्तरदायित्वपूर्ण, वहनीय (किफायती) मार्टगेज ऋण उपभोक्ता के लिए सदैव उपलब्ध रहे।

(ख) तत्पश्चात् धोखा–प्रवंचना एवं टाल–मटोल संभव न हो

(ग) ऐसी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुगमित किया जाए।

उचित आचार संहिता

भारत में बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उचित आचार संहिता जारी किए हैं और इसके साथ ही आवास वित्त कंपनियों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने उचित आचार संहिता निर्धारित किए हैं। यहां पर उचित आचार संहिता के कुछ उदाहरणों का संदर्भ देना उपयुक्त होगा। जिसके अनुसार आवास वित्त कंपनियों को संस्तुति पत्र या किसी अन्य पत्रादि के माध्यम से उधारकर्ता को लिखित में ऋण की सूचना देनी होगी जिसमें ऋण की राशि के साथ–साथ वार्षिक वार्षिक ब्याज दर, गणना का तरीका, ईएमआई की संरचना, पूर्व भुगतान प्रभार के बारे में बताया जाना चाहिए तथा रिकार्ड में यह भी लिखित स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए कि उधारकर्ता को उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार्य हैं।

आवास वित्त कंपनियों को ग्राहकों को पुनर्भुगतान प्रक्रिया मुख्यतः राशि, अवधि एवं आवधिक भुगतान आदि के बारे में व्याख्या करनी चाहिए। यदि किसी मामले में ग्राहक पुनर्भुगतान समय सारिणी का अनुपालन नहीं करता तो वहां के स्थानीय कानून के मुताबिक वर्णित प्रक्रिया के अनुसार बकाया की वसूली के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस वसूली प्रक्रियाओं में ग्राहक को अनुस्मारक (रिमाइंडर) के रूप में नोटिस भेजें जाएं या व्यक्तिगत तौर पर उसके पास जाएं या/और प्रतिभूति पर कब्जा करें।

इन निर्देशों का जोर उधारकर्ता के साथ जिम्मेदारी के प्रति समझदारी के रूप एक पारदर्शिता एवं उचित व्यवहार तथा विश्वास भंजन की स्थिति में होने वाले परिणामों आदि के बारे में होता है। यहां पर ऐसा नहीं दिखता कि वित्तीय सहायता देने वाली एजेंसी के लिए ग्राहक की भुगतान क्षमता को सत्यापित करने का उत्तरदायित्व दिया गया हो जैसा कि हमने यूएसए केडीएफए में देखा था। जहां पर सब कुछ वित्तीय संस्थान पर छोड़ा गया कि वह सभी आवश्यक सावधानियां बरतें और अपने हितों की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।

पूर्व भुगतान अर्थदंड (प्रीपेमेंट पेनाल्टीज)

डीएफए के अंतर्गत ऋणों में समायोजनीय ब्याज दर होती है और कुछ अन्य ऋणों पर पूर्व भुगतान अर्थदंड नहीं लगाया जा सकता है। यह मैंने अपने कोच्चि की परिचर्चा में व्यापकता से बताया था जो भारत के प्रतियोगिता आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के आवास ऋण के पूर्व भुगतान संबंधी जारी परिपत्रों के आधार पर था। यहां पर रोचक बात यह है कि भारत में इन मुद्दों को डीएफए से बहुत पहले संबोधित किया जा चुका है। मैं आयोजकों से यह निवेदन करता हूं कि वे सभी प्रतिभागियों को मेरी कोच्चि परिचर्चा की प्रतियां संवितरित करें।

शिकायत निवारण

ग्राहकों की संरक्षा की एक अन्य पहल है प्रभावी शिकायत निवारण प्रक्रम। विनियामक के द्वारा विनिर्मित कानून नियम एवं विनियमन ग्राहक के साथ पेश आने के लिए एक उपयुक्त व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। यदि इनको सख्ती से लागू न किया जाए तो ग्राहकों को लगातार परेशानी हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय सेवा प्रदाता विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उधारकर्ताओं के साथ एक उपयुक्त व्यवहार करें। यदि ग्राहक को उपलब्ध की जाने वाली राहत महंगी एवं समयलेवा है तो ग्राहक उन शिकायतों के साथ रहने एवं झेलने के लिए विवश हो सकता है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि ग्राहक को सस्ती, तीव्र एवं प्रभावी शिकायत निवारण प्रक्रिया उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने 1981 में यह संकल्प पारित कर महासचिव से अनुरोध किया था कि उपभोक्ता संरक्षण के सामान्य दिशा निर्देशों के नजरियों से संरक्षण प्रदान करें, विशेष रूप विकासशील देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता सरंक्षण प्रदान किया जाए। जिसे महासभा के द्वारा अनुपालित किया गया और उपभोक्ता संरक्षण पर दिशा निर्देश जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों में विकासशील देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। इन दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ इन आवश्यकताओं को वर्णित किया गया :

(क) उपभोक्ता के आर्थिक हितों का प्रोन्नयन एवं संरक्षण

(ख) पर्याप्त सूचनाओं तक उपभोक्ताओं की पहुंच हो ताकि वैयक्तिक इच्छा एवं आवश्यकताओं के अनुसार संसूचित चयन की सक्षमता उपलब्ध हो।

(ग) उपभोक्ता ग्राहक शिक्षा, तथा

(घ) प्रभावी उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता

इसके तुरंत पश्चात भारत ने उपरोक्त दिशा निर्देशों को अपनाया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का विनिर्माण किया। सामान्य कोड आफ सिविल प्रोसीडर (भारतीय दंड सहिता) के अंतर्गत मुकदमा कायम करने की प्रक्रिया का उपचार बहुत समयलेवा है। इसमें उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी यथा राज्य सरकार द्वारा गठित जिला एवं राज्य स्तर पर जिला उपभोक्त फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन (आयोग) के माध्यम से उपभोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।

कई बार विधि द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अंतिम उपयोगकर्ता के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि शक्तिशाली पक्ष कमजोर पक्ष को कभी न समाप्त होने वाले मुकदमेबाजी में फंसाए रखती है। सुप्रीम (सर्वोच्च) न्यायालय ने इस प्रवृत्ति के ऊपर ध्यान दिया है कि ऋणदाता संस्थानों की मुकदमेबाजी में यह प्रवृत्ति उपभोक्ता के साथ रहती है फिर चाहे उपभोक्ता का दावा औचित्यपूर्ण ही क्यों न हो। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निम्नांकित निर्णय पर एक दृष्टिपात करने की जरूरत है :

"एक बार जब जिला फोरम जैसा प्राधिकरण अपना एक दृष्टिकोण प्रकट करता है तो बैंक के द्वारा इसे ससम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, अपेक्षाकृत इसके कि आगे मुकदमेबाजी की जाए और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर ले जाया जाए। विभिन्न मुकदमेबाजी के मंचों तक गरीब ग्रामीणों को घसीट कर उन्हें सुदृढ़ता के साथ हतोत्साहित किया जाता है क्योंकि उन्हें भी मुकदमेबाजी में भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। हम इस प्रकार के आचरण की भर्त्सना करते हैं। जब तक कि मामला बहुत बड़े दावे (राशि) का न हो अथवा बहुत भारी संख्या में लोगों को प्रभावित न करता हो या फिर बैंक की किसी आम नीति को प्रभावित न करता हो, जिसके

दूरगामी दुष्परिणाम निकलते हों"

यद्यपि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन कार्यरत एजेंसियां कुछ हद तक उपभोक्ताओं की समस्या को सक्षमता से संबोधित कर सकती हैं, लेकिन उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाए जाने के कारण देरी होती है।

वित्तीय मामलों में एक त्वरित समाधान की आवश्यकता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ हद तक बैंकिंग उपभोक्ताओं की समस्याओं को संबोधित करने के लिए एक बैंकिंग लोकपाल योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना ने बैंकों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिसमें अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी सम्मिलित हैं। बैंकिंग लोकपाल की अपनी सीमाएं है; क्योंकि यह योजना कानून का स्वरूप नहीं है। हालाकि बैंकिंग लोकपाल योजना काफी हद तक ग्राहकों की शिकायतों को संबोधित करने में सक्षम है।

वर्ष 2013 में, अक्तूबर माह में दिल्ली उच्च न्यायालय के पास गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक मामला आया जो अत्यधिक ब्याज दर प्रभारित किए जाने के बारे में था। पूरे मामले के तथ्यों की जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि बैंकिंग लोकपाल योजना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ग्राहकों के दायरे में नहीं आती थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देशित किया गया कि –

"प्रतिवादी की शिकायत को गुणवत्ता के आधार पर जांचें और यह तय करें कि क्या वह भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 45 एल के निर्देशों की शर्तों में आती है या नहीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि धारा 45 के निर्देश की कोई भी शर्त आवश्यकरणीय पाई जाती है तो बैंक प्रतिवादी सं0 2 के निर्देशों के तहत आरबीआई मुद्दे को आगे बढ़ाए।"

यहां पर यह बात ध्यान दी जा सकती है कि एफएसएमआरसी ने यह महसूस किया है कि यहां पर सभी वित्तीय सेवाओं की शिकायतों के निपटान हेतु एक सामान्य शिकायत निवारण प्रक्रम होना चाहिए। इस मुद्दे का प्रश्न यह नहीं है कि शिकायत निवारण प्रक्रम किसी विनियामक के द्वारा बनाया जाए या फिर एक स्वतंत्र प्रक्रिया तंत्र खड़ा किया जाना चाहिए। एफएसएलआरसी, न्यायालय तथा विनियामक का संदेश स्पष्ट एवं मुखर है कि उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु एक प्रभावी एवं आसान शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध होना चाहिए।

निर्माताओं की असफलता

उपभोक्ता या ग्राहक की शिकायतें सदैव केवल वित्तीय एजेंसियों के कार्यों से ही नहीं पैदा हो सकती हैं। यह शिकायतें एक भवन निर्माणकर्ता की असफलता से भी खड़ी हो सकती हैं। इस प्रकार की असफलताएं उपभोक्ता एवं वित्तीय संस्थान को भी प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ता संरक्षण को केन्द्र में रखते हुए भू–संपदा क्षेत्र को विनियमन के दायरे में लाना एक राहत प्रदान कर सकता है। भू–संपदा (विकास एवं विनियमन) बिल, 2013 राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है। जिसे कुछ मुद्दों पर संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। बिल अपेक्षा करता है कि राज्य सरकारें भू–संपदा क्षेत्रों को प्रोत्साहित एवं विनियमित करने हेतु एक भू–संपदा प्राधिकरण की स्थापना करें और ऐसे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करें, जो उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति भुगतान करा सकें। यह बिल अपेक्षा करता है कि भू–संपदा परियोजना में संकलित की गई राशि का 70 प्रतिशत भाग किसी अनुसूचित बैंक के अलग खाते में रखा जाए और इस धन का उपयोग केवल परियोजना के उद्देश्य हेतु किया जाए। यदि इन प्रावधानों को एक कानूनी अमली जामा दिया जाता है तो इस उद्योग में एक अनुशासन कायम किया जा सकता है जो कि बहुत लंबे समय से विनियमित किए जाने के लिए शेष है। इसलिए उपभोक्ताओं की समस्याओं को संबोधित करने के बदले में आवासीय रिहायशों को वित्तीय सहायता देने में एक सहायता भी मिल सकती है।

राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किए जा रहे ऐसे प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। समय–समय पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों से न केवल वित्तीय गतिविधियों के प्रति जानकारी बढ़ती है बल्कि सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में ज्ञान एवं जागृति पैदा होती है। ऐसे कार्यक्रमों से न सिर्फ रा.आ.बैंक की कई योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी मिलती है, बल्कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी मिलती है।

प्लास्टिक मनी और सुरक्षा

एस.के. पाढी, सहायक महाप्रबंधक

आज पूरी दुनिया में व्यापार के दौरान होने वाले लेन–देन में तेजी से बदलाव आया है। जहां पहले के जमाने में किसी भी खरीद–फरोक्त के लिए अपनी जेब में नकदी ले जानी पड़ती थी या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट ले जाना पड़ता था, वहीं अब इन सारे झंझटों से छुटकारा मिल गया है। अब आज कल नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से भुगतान किया जाता है। जब हम नकदी या चेक ले जाते थे तो लुटने, जेब कटने या ठगे जाने से चिंतित रहते थे। जान और माल के नुकसान का खतरा रहता था।

उपभोक्ताओं को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड के मुकाबले डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा बेहतर विकल्प होता है। खासकर कर उस स्थिति में जब आप क्रेडिट कार्ड से परिचालन से जुड़ी बातों में अवगत नहीं होते हैं। यदि आप समय पर चुकता नहीं करते तो कम से कम आपको सालाना 30 से 36 प्रतिशत या इससे भी ज्यादा ही ब्याज तो भरना होगा। बैंक भी अब डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के लिए अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर बैंक आपको रिवार्ड प्वाइंट भी देते हैं। जो आप के लिए "आम के आम, गुठलियों के दाम" साबित हो सकता है।

लेकिन अब प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर डेबिट कार्ड स्वाइप करते समय आपको अधिक सतर्क रहने की जरुरत है। अब 1 दिसंबर से पीओएस टर्मिनल पर डेबिट कार्ड स्वाइप करते समय अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर आपको पिन नंबर भी डालना होता है। लेकिन अब इसके बावजूद इस्तेमाल में खतरा पैदा हो गया है और एक बार रकम के निकल जाने के बाद नुकसान की भरपाई होने में लंबा वक्त लग सकता है, या फिर भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। क्रेडिट कार्ड के मामले में आप विवादित परिचालन का बिल भुगतान करने से मना कर सकते हैं लेकिन डेबिट कार्ड के मामले में आप ऐसा नहीं कर सकते; क्योंकि, आपकी रकम बैंक द्वारा तुरंत चुकता हो जाती है। अगर ऑनलाइन परिचालन में रकम चली गई तो इसे दोबारा हासिल करना लगभग असंभव हो जाता है। वर्ष 2012–13 में बैंकिंग लोकपाल को जितनी शिकायतें मिली थीं, उनमें 25 प्रतिशत शिकायतें कार्ड संबंधी थीं। **ऐक्सिस बैंक में प्रमुख, कंज्यूमर लेंडिंग ऐंड पेमेंट्स के एक अधिकारी के अनुसार** पीओएस पर एटीएम पिन की मांग ने वास्तव में कार्ड के लिए जोखिम कम कर दिया है। एक बैंकर ने बताया कि हालांकि कार्ड की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहले ग्राहक पीओएस पर डेबिट कार्ड पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अब उन्हें पता है कि धोखाधड़ी करने वालों तक भी उनके कार्ड की सूचनाएं पहुंच भी जाए तो भी बिना पिन के कार्ड उनके लिए बेकार होगा। बिना पिन के परिचालन पूरा नहीं हो सकता है। सावधानी के तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को पिन नहीं बताना या कहीं इसे लिखने से बचा सकता है। आपात स्थिति में अस्पताल, रेलवे स्टेशनों पर आप देर रात में भी आराम से एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्तरां में भुगतान के लिए दूसरे व्यक्ति के हाथ डेबिट कार्ड थमाना और पिन बताने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कार्ड की गुप्त सूचनाएं जैसे सीवीवी नंबर, नाम और वैधता तिथि चुराई जा सकती है। इससे वह आपके कार्ड से ऑनलाइन परिचालन किया जा सकता है। बैंक जल्द ही कॉर्डलेस टर्मिनल लगाने जा रहे हैं, जो जीपीएस तकनीक से लैस होंगे और कार्ड स्वाइप कराने के लिए इसे आपके नजदीक लाया जाएगा। एक विशेषज्ञ का कहना है कि ज्यादा जोखिम उस समय होता है जब ग्राहक किसी दूसरे व्यक्ति को कार्ड थमाते हैं। यही नहीं, सूचनाएं चोरी होने के बाद नकली कार्ड बनाया जा सकता है। सावधानी के तौर पर कुछ महीनों के अंतराल पर पिन बदलना चाहिए और विभिन्न कार्ड के लिए अलग–अलग पिन रखना चाहिए। विभिन्न कार्ड के लिए सुविधा के लिहाज से एक ही पिन रखना ठीक नहीं है। इसके अलावा परिचालन की जानकारी लगातार लेते रहने के लिए अपना मोबाइल नंबर बैंक में जरूर पंजीकृत करवाएं। इससे एक लाभ यह होता है कि जैसे ही आपके कार्ड या खाते से कोई लेन–देन होता है तो उसकी सूचना तुरंत ही आपके पास आ जाती है। गडबड़ होने पर आप तुरंत कदम उठा सकते हैं। अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी परिचालनों के लिए सुरक्षा कवर लें जिसके लिए सालना 1200–1500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। कई कार्ड के साथ यह सुविधा साथ आती है।

एटीएम कार्ड के इस्तेमाल में निजी सुरक्षा जैसी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। किसी भी ऐसे एटीएम बूथ पर न जाएं, जो बिल्कुल एकांत में हो। इसके साथ ही देर रात भी उपयोग से बचना चाहिए। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं भी उजागर हुई हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने चाकू या पिस्तौल की नोक पर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया और निकाली गई रकम लेकर चंपत हो गए। इसका मतलब साफ है कि जितनी ये चीजें सुविधाजनक है उतनी ही जोखिम युक्त भी होती हैं। इसलिए सदैव सावधानी को अपनाना ही सर्वोत्तम उपाय होता है। पैसा निकालना हो या कई बार कार्ड स्वाइप कर भुगतान करना हो, आप पूरी सावधानी बरतें और कार्ड के उपयोगकर्ता पर नजर रखें। उसे अपने सामने ही स्वाइप करने का आग्रह करें या फिर जहां स्वाइप मशीन लगी हो, वहां आप स्वयं जाएं और अपनी आंखों के सामने इस्तेमाल करने के लिए कहें। सड़क पर चलने की भांति ही यहां पर भी "सावधानी हटी और दुर्घटना घटी" वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है।

इसके साथ ही हम कार्ड इस्तेमाल करने वालों को यह भी सलाह देना चाहेंगे कि कार्ड (चाहे क्रेडिट हो या डेबिट) धारकों को इनके इस्तेमाल में पर्याप्त संयम बरतना चाहिए। आज कल की उपभोक्तावादी संस्कृति में बैंक, कार्ड कंपनिया और उत्पादक तरह–तरह की स्कीम्स लाकर भारी छूट का प्रलोभन देती रहती हैं, बोनस प्वाइंट भी देने का लालच निहित होता है। ऑन लाइन खरीद में कार्ड के इस्तेमाल पर तरह–तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, कई बार भारी रकम को तीन या छह किश्तों में

करने का प्रलोभन होता है। बहुत सारे लोग इन प्रलोभनों में फंस भी जाते हैं। वे खरीददारी के समय अपनी आय से ज्यादा व्यय कर डालते हैं। नतीजन यह होता है कि लोग तय अवधि में उधार रकम नहीं चुका पाते; फलतः भारी ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज अदा करते हैं। यह बात सदैव ध्यान में रखें कि कार्ड पर खर्च की गई रकम आखिर में अपनी ही जेब से चुकानी पड़ती है। यदि आप कार्ड का इस्तेमाल संयम, समझदारी एवं बुद्धिमता से करते हैं तो फिर यह आप के लिए सहायक और दोस्त से कम नहीं होते। इसीलिए कार्ड धारकों को यह टैग लाइन ध्यान में रखनी चाहिए – "खर्चो मगर, ध्यान से।"

महानगर, प्रवासी और समस्याएं

विमल रथ, उप प्रबंधक

दुनिया भर में आधुनिक विकास का ढांचा शहरीकरण को बढ़ावा देनेवाला है। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विपणन जैसी सारी सुविधाएं शहरों में आसानी से उपलब्ध होती है। यह सेवा देनेवालों को अधिक मात्रा में उपभोक्ता मिल जाते हैं जो उन्हें सही मूल्य देते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लागत पर लाभ वापसी की गुंजाइश कम रहती है। यही कारण है कि लोग रोजगार एवं तमाम सुविधाओं की चाह में शहरों की ओर प्रवास करते हैं। शहरों में तेजी से बढ़ती जन संख्या के कारण तमाम ढाचागत परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। यूं तो सभी शहरों की अपनी–अपनी समस्याएं होती हैं लेकिन एक समस्या जो इन सब में समान है वो है किराए के मकानों में रहने वालों की समस्या। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह समस्या अब विकराल रूप धारण करती जा रही है। यहां किराएदारों को नित्य नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हकीकत यह है कि दिल्ली में जो मकान मालिकों की ओर से किराएदारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए दुगुने–तिगुने किराए वसूल किए जा रहे हैं।

पहले मकान मालिक अपने किराएदारों से सिर्फ महीने का ही भाड़ा लेता था मगर जब से दिल्ली में बिजली का निजीकरण हुआ और मीटर तेजी से भागने लगे हैं, तब से मकान मालिक महीने के किराए के साथ बिजली व पानी के बिल के पैसे भी अलग से मांगने लगे हैं। किराएदार मकान मालिक की तमाम अनैतिक शर्तों को मानने पर मजबूर हैं। अगर वो ऐसा नहीं करें तो उन्हें किराए पर कमरा पाने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, सारी शर्तों को किराएदारों द्वारा मानने के बावजूद कुछ मकान मालिक अपने बिजली के कनेक्शन को किराएदार के बिजली के मीटर से जोड़ देते हैं।

ये तो कुछ भी नहीं, हद तो तब हो जाती है जब मकान मालिक अपने किराएदारों के तालों को तोड़कर उसके सारे सामान पर कब्जा जमा लेते हैं। ऐसा तब होता है जब किराएदार अपने गांव जाते हैं और वहां किसी मजबूरीवश या घरेलू समस्या के कारण कुछ महीने तक वापस नहीं आ पाते। ऐसी स्थिति में मकान मालिक उनके तालें तोड़ उनके कीमती सामानों पर कब्जा जमा लेते हैं। बाद में किराएदार के आने पर मकान मालिक का टका सा जवाब रहता है, "आप इतने दिनों से गायब थे, किराया भी नहीं दे रहे थे। सो हमने आपके सामान को किराए के रूप में ले लिया।" पुलिस केस होने पर पुलिस थोड़ा–बहुत ले–देकर मामला रफा– दफा कर देती है।

अगर दिल्ली विश्वविद्यालय, यमुनापार व मेट्रो लाइनों के आस–पास रह रहे किराएदारों की समस्याओं की बात करें तो यहां कमरे का किराया लगातार आसमान छूता जा रहा है। मुर्गी के दड़बों जैसे कमरों का भी किराया हजारों रुपए है। साथ ही बिजली व पानी का बिल अलग से किराएदारों को देना पड़ रहा है।

बढ़ते किराए के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के पास क्रिश्चियन कालोनी में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का कहना है कि दरअसल पूर्वोत्तर भारत से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों के कारण विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों में किराए आसमान छू रहे हैं। दरअसल इन छात्रों से मकान मालिक अनाप– शनाप किराया मांगते हैं। इन छात्रों को किराया देने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। एक बार ज्यादा किराया मिलने के बाद मकान मालिक उससे कम किराए पर मकान नहीं देते हैं। इसे देख अन्य मकान मालिकों में भी कमरे का किराया बढ़ाने की होड लग जाती है। इस तरह की मनमानी बढ़ोत्तरी से किराएदारों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

अगर दिल्ली के दूसरे कोने अर्थात् नोएडा और आनंद विहार की बात करें तो यहां के मकान मालिक औरों से दो कदम आगे हैं। यहां के कई हिस्सों मैट्रो पहुंचने में साल–डेढ़ साल का वक्त लगेगा, मगर यहां के मकान–मालिकों के लिए जैसे मैट्रो की सुविधा आज ही उपलब्ध हो गई है। मैट्रो पहुंचने से पूर्व ही यहां के मकान मालिक कमरों के किराए में अनुचित वृद्धि करने की फिराक में हैं।

प्रापर्टी डीलर और मकान मालिक इस प्रयास में हैं कि दो–तीन साल से रह रहे यहां के किराएदारों से मकान खाली करा लिया जाए ताकि कमरा नए किराएदारों को ज्यादा से ज्यादा किराए पर दिया जा सके। करीब आठ माह पहले यहां जो कमरे 4,000 या 4,500 रुपए में मिलते थे, आज उन्हीं कमरों का किराया 6,000 या 6,500 रुपए मांगा जा रहा है।

इस इलाके में रह रहे किराएदारों ने बताया कि पिछले मार्च में यहां के मकान मालिकों ने कमरों के किराए में दस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी, अब वे फिर दस प्रतिशत किराया बढ़ाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। जो किराएदार अपने मकान मालिक के मन मुताबिक कमरे का किराया नहीं दे रहे हैं, उन्हें कमरा खाली करने की हिदायत दी जा रही है और तो और मकान मालिकों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि दिसंबर आते–आते विधिवत किराए में वृद्धि कर दी जायेगी। वैसे आमतौर पर 11 महीने का मकान मालिक और किराएदार का करार होता है। समयावधि समाप्त होते ही कुछ किराया बढ़ाने के साथ फिर एक नया समझौता होता है। मगर यहां के मकान मालिकों द्वारा हर छः महीने में किराया बढ़ाए जाने के अड़ियल रुख के कारण सभी किराएदार मानसिक रूप से काफी त्रस्त हैं।

मकान मालिक के अलावा सरकार भी किराएदारों पर सितम बरपा रही है। सरकार जहां घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती दर पर बिजली का वितरण कर रही है, वहीं किराएदारों को सात रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

यमुनापार के इलाकों में मयूर विहार, इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन, पूर्वी विनोद नगर, गणेश नगर, पांडव नगर, शकरपुर, लक्ष्मी नगर आदि किराएदारों की विशेष पसंदीदा जगहें हैं। यहां से कनाट प्लेस, आईटीओ और रेलवे स्टेशन आदि महत्वपूर्ण स्थान अधिक दूर न होने के कारण बाहर से आने वाले युवाओं को ये स्थान विशेष रूप से पसंद आते हैं। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में दाखिले के इच्छुक अभ्यार्थियों को छोड़ दें तो अन्य प्रोफेशनल कोर्सों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक अधिकतर छात्र लक्ष्मी नगर और शकरपुर में रहना चाहते हैं। इन इलाकों में किराया दिल्ली के पाश कालोनियों से कम है और यहां बसों की आवाजाही भी हमेशा रहती है।

इस प्रकार देखा जाये तो 8,000 रुपए वाला किराए का कमरा लेने के लिए किराएदार को कुल 32,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। इन इलाकों में फ्लैट्स की भारी किल्लत होने के कारण यहां के प्रापर्टी डीलर खूब मजे से मलाई काट रहे हैं। मयूर विहार फेज–1, फेज–2 में जेब में भारी रकम होने के बावजूद किराए का कमरा पाना आसान नहीं है।

अच्छे रोजगार की तलाश में देश भर से लोग दिल्ली का रुख करते हैं। बिडम्बना यह है कि यहां रहने की जगह सीमित है और लोग असीमित। ऐसे में यहां रहने की इच्छा रखने वाले लोगों को मकान मालिकों का जुल्म सहना पड़ता है। किराएदारों की कमी न होने की वजह से मकान मालिकों के तेवर हमेशा चढ़े हुए होते हैं। किराएदार परेशान हैं लेकिन इनकी परेशानी दूर करने वाला कोई नहीं। क्या सरकार की किराएदारों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसके साथ ही पुलिस सत्यापन भी एक मुसीबत है। यूं ही साधारण

सी पूछताछ और प्रमाण–पत्रादि देखने से जांच पूरी नहीं होती। पुलिस सभी को अपराधी एवं शक की निगाह से देखती है। वह जांच के साथ–साथ अपने पैसे कमाने की फिराक में भी रहती है, तभी तो लोग इस प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। यहां पर भी एक सरल प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है।

यह तो बात हुई किराएदारों के दर्द की वहीं कई बार मकान मालिक भी बुरे फंसते हैं। आए दिन मकान मालिक द्वारा अचानक किराया बढ़ा देने या फिर किराएदार द्वारा मकान पर जबरन कब्जे की खबरें अखबारों और टेलीविजन पर दिखते हैं। ऐसी घटनाओं के बढ़ने से जहां एक ओर मकान मालिकों का किराएदारों पर विश्वास कम होता जा रहा है वहीं दूसरी तरफ किराएदार भी काफी असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जब ज्यादातर आबादी शहरों की ओर पलायन कर रही है! ऐसे में यह समस्या और भी जटिल होती जा रही है। वहीं पुराने किराया कानून भी इसमें दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। मेट्रो शहरों में निरंतर परिवार छोटे होते जा रहे हैं जबकि घर आलीशान। कई बार तो इन घरों में कोई भी रहने वाला नहीं होता है। ऐसी स्थिति में घर को किराए पर दे देना ही वाजिब होता है। घर किराए पर देना जहां किराएदार के लिए आशियाने की तलाश को पूरी करता है तो वहीं मकान मालिक के लिए यह कमाई का जरिया भी बनता है। मकान मालिक और किराएदार दोनों को किसी प्रकार कर दिक्कत न हो और दोनों विश्वास के माहौल में रह सकें, ऐसा करने हेतु कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।

मसलन घर किराये (रेंट) पर देने से पहले किराएदार की पृष्ठभूमि व उससे जुड़ी सारी जानकारी एवं दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए। इसके तहत आप किराएदार से संदर्भ प्रमाणपत्र भी मांग सकते हैं। साथ ही स्थाई पता व कांटेक्ट नंबर लेना भी जरूरी है। क्योंकि यह वक्त आने पर आपके बहुत काम आ सकता है। साथ ही इस कड़ी में किराएदार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करवा लें। इस सब के अलावा पुलिस जांच भी करवानी चाहिए। ध्यान रहे किराएदार से मकान खाली करवाने में पुलिस आपका सहयोग तभी कर सकती है जब किराएदार किसी संदिग्ध या गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ा हो या कोर्ट के आदेश होने पर ही। हालांकि पुलिस के नकारेपन एवं नकारात्मकता की बात पहले ही बता चुके हैं। लेकिन कुछ अन्य बाते ध्यान देने योग्य हैं।

अगर आप कुछ महीनों के लिए संपत्ति किराए पर दे रहे हैं तो पुलिस जांच फॉर्म के साथ किराएदार की फोटो, उसके दस्तावेजों की प्रति जैसे पैन कार्ड, लीज एग्रीमेंट और एड्रेस प्रूफ नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाना भी जरूरी होता है। साथ ही 11 महीनों से अधिक के लिए संपत्ति किराए पर देने पर आपको लीज एग्रीमेंट देना पड़ता है। इन दस्तावेजों में करार की अवधि, खाली न करने पर किराएदार पर लगनेवाला जुर्माना जैसी जानकारियां दी जाती हैं। मकान मालिक और किराएदार के बीच किराएदारी कानूनों के तहत होते हैं। इन कानूनों के प्रावधान है कि मकान मालिक कब–कब मकान खाली करवा सकता है। मकान मालिक को स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए मकान खाली नहीं करवा सकता है। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि किराएदार से मकान मालिक मकान खाली न करवा सकता हो। विशेषज्ञों के अनुसार अवधि पूरी होने पर किराया न देने या अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के आधार पर किराएदार को मकान छोड़ने के लिए कह सकते हैं। आपकी प्रोपर्टी के किसी हिस्से में बिना आपकी मर्जी के बदलाव करने पर भी किराएदार को घर छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अगर किरादार ज्यादा ही अड़ियल हो तो उसके सभी दस्तावेजों को लेकर इन मामलों के निपटारे के लिए आप प्राधिकरण की शरण में जा सकते हैं। अगर कोई भी पक्ष राज्य प्राधिकरण के फैसले से असंतुष्ट हो तो वह सिविल कोर्ट की शरण में जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर सविलि कोर्ट से भी निराशा हाथ लगने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इतना जरूर ख्याल रखें कि बल प्रयोग से मकान खाली करवाने की कोशिश आपके ही केस को कमजोर कर सकती है क्योंकि यह गैर–कानूनी है। इसलिए ऐसा कोई कदम न उठाएं। कुछ समय पहले एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि मकान मालिक को मकान की आवश्यकता है तो किराएदार को उसे खाली करना पड़ेगा। किराएदार यह तय नहीं कर सकता कि जो हिस्सा मकान मालिक के पास है वह उसके लिए पर्याप्त है।

किराएदार को कई कारणों से मकान खाली करना पड़ सकता है मसलन यदि किराएदार ने पिछले चार से छह माह से किराया अदा नहीं किया हो। या फिर किराएदार ने जानबूझकर मकान को नुकसान पहुंचाया हो! मकान मालिक की लिखित स्वीकृति के बिना मकान या उसके किसी भाग का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा हो। किराएदार मकान का उपयोग किराए पर लिए गए उद्देश्य के अलावा अन्य कार्य के लिए कर रहा हो। या किराएदार ने जिस प्रयोजन के लिए मकान किराए पर लिया हो पिछले छह माह से उस प्रयोजन के लिए काम में नहीं न ले रहा हो।

इस प्रकार हम पाते हैं कि चारों ओर अविश्वास का माहौल है। ऐसे में लाजमी है कि एक ऐसा कानून पारित हो जो मकान मालिक और किराएदार के बीच विश्वास का माहौल पैदा कर सके। किराएदार सहज महसूस करें और मकान मालिक सुरक्षित। किराएदार और मकान मालिक के बीच का संबंध सौहार्दपूर्ण और विश्वास से लबरेज हो और दोनों की जरूरतें पूरी होती रहे। पुलिस जांच की प्रक्रिया सहज, सरल एवं लचीली हो। ताकि स्वयं किरायेदार खुशी–खुशी अपनी जानकारी एवं विवरण पुलिस को देकर निश्चिन्त रह कर मकान का आनंद ले सके। फिर चाहे वह किराए का मकान ही क्यों न हो।

भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी

सौरभ शेखर झा, अनुवादक एवं पत्रकार

आजादी के 63 साल बाद भी समाज विज्ञान, विज्ञान और तकनीक जैसे विषयों पर कोई ढंग का हिंदी में मौलिक लेखन काफी ढूंढ़ने पर मिलता है। हिंदी में कायदे की कोई शोध पत्रिका नहीं मिलती जिसमें शोध लेख छपवाया जा सके। देश के प्रतिष्ठित उच्च अध्ययन संस्थानों में सारा शोध अंग्रेजी भाषा में हो रहा है। इसमें देश की बहुसंख्य जनता की कोई हिस्सेदारी नहीं है। सारा शोध जिन गरीबों, पिछड़ों, दलित–आदिवासियों, स्त्रियों को केंद्र में रख कर किया जाता उसकी पहुँच उन तक कभी भी नहीं हो पाती। यहां तक कि इन लोगों के बीच रह कर कितना शोध किया गया है यह भी संदिग्ध है। पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र की 'आज भी खरे हैं तालाब' जैसी किताबें, जिसकी सफलता और पहुँच असंदिग्ध है और उन लोगों पर करारा व्यंग्य है जो इस बात का रोना रोते है कि हिंदी में लोक–मन को छूने वाली भाषा में साहित्य से इतर कोई रचना संभव ही नहीं है। राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारी 'भारत में राजनीति' जैसी किताब की हिंदी में पुनर्रचना कर एक नई पहल की शुरूआत करते हैं। कभी समाजशास्त्री केएल शर्मा ने एनसीईआरटी की समाजशास्त्र की किताब मूल हिंदी में लिख कर साबित किया था कि स्कूल–कालेज की समाजविज्ञान की किताबें हिंदी में लिखना संभव है। दिक्कत यह है कि हिंदी क्षेत्र के कई विद्वान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दक्ष होने के बावजूद हिंदी में लिखने की जहमत नहीं उठाते इसकी वजह सिर्फ आर्थिक नहीं, कहीं गहरे अवचेतन में हिंदी के प्रति हीनता बोध भी है। आज भी एनसीईआरटी की पुस्तकें मूलतः अंग्रेजी में तैयार होती है और बाद में उनका हिंदी अनुवाद किया जाता है। यही कारण है कि इनमें मौलिकता का अभाव होता है।

आज भूमंडलीकरण के इस दौर में अंग्रेजी का ऐसा हौव्वा खड़ा किया जा रहा है कि भारतीय भाषाओं, खासकर हिंदी के पक्ष में की गई किसी भी बात को दकियानूसी विचार करार दिया जाता है। निहित स्वार्थ के कारण हिंदी के एजेंडे को हिंदी और अंग्रजी के प्रभुवर्गों ने आपसी गठजोड़ कर हथिया लिया है।

निस्संदेह अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा है। इस भाषा के माध्यम से हम एक बड़े समूह तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। इस भाषा की जानकारी भूमंडलीकरण के इस दौर में हमारी जरूरत है। इस बात से शायद ही किसी को कोई ऐतराज न हो कि अंग्रेजी के बूते अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीयों की एक पहचान बनी हैं। पर अंग्रेजी अखिल भारतीय स्वरूप का प्रतिनिधि कभी नहीं कर सकती। देश–विदेश में रह रहे भारतीयों की अस्मिता, उसकी असली पहचान निज भाषा में ही संभव है। कवि विद्यापति ने सदियों पहले कदाचित इसी को लक्ष्य कर 'देसिल बयना सब जन मिट्ठा' कहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत एक बड़ा बाजार है। इस बाजार में हिंदी में आज अंग्रेजी के शब्दों को ठूँस कर हिंदी को विश्व भाषा बनाने की मुहिम चल रही है। कई अखबारों में हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का प्रयोग जोर पकड़ रहा है। क्या यह विचित्र नहीं कि जो भाषा ठीक से 'राष्ट्रीय' ही नहीं बन पाई हो उसे 'अंतर्राष्ट्रीय' बनाने की कोशिश की जा रही है ?

इसके साथ यह बात भी नही भूलनी चाहिए कि भाषा का प्राण उसकी लिपि होती है। बिना लिपि के भाषा के भाषा की कोई भी पहचान नहीं होती। वैसे भी देवनागरी लिपि हजारों साल पहले विकसित हुई थी और विश्व की सबसे प्राचीन एवं आज भी सजीव भाषा संस्कृत की लिपि है। रोमन में हिंदी का लेखन फेसबुक और ट्विटर तक तो ठीक है किंतु मीडिया का माध्यम बनाना संभावित खतरे का होता है। इसलिए हिंदी के साथ देवनागरी लिपि का उतना ही महत्व है जितना कि अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि।

20वीं सदी के आरंभिक दशकों में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद से लड़ कर हिंदी ने सार्वजनिक दुनिया (पब्लिक स्फियर) में अपनी एक भूमिका अर्जित की थी। इस दुनिया में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर बहस–मुबाहिसा संभव था. आजादी के बाद प्रतिक्रियावादी, अग्रणी प्रभुवर्ग, जिनकी साठगांठ अंग्रेजी के अभिजनों के साथ थी, हिंदी की सार्वजनिक दुनिया पर काबिज होते गये। इससे हिंदी की सार्वजनिक दुनिया सिकुड़ती गई और आमजन से कटती चली गई। एक बार फिर हिंदी को महज बोल–चाल के माध्यम तक ही सीमित रखने का कुचक्र चल रहा है।

भूमंडलीकरण का सबसे प्रभावी औजार है सूचना, यह सूचना इंटरनेट के माध्यम से पूरे भूमंडल के फासले को चंद लम्हों में नापने का माद्दा रखती है। लेकिन चूँकि सत्ता की भाषा अंग्रेजी है, इंटरनेट की भाषा भी अंग्रेजी ही है। बहरहाल, हिंदी देर ही सही अंग्रेजी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो रही है। इसका सबूत है विभिन्न वेब साइटों पर मौजूद हिंदी के अखबार और पत्र–पत्रिकाएँ। इससे हिंदी का प्रसार और पहुँच देश–विदेश में तेजी से हो रहा है। साथ ही हाल के वर्षों में जिस तेजी से हिंदी के ब्लॉग इंटरनेट पर फैलें है, एक उम्मीद बंधती है कि 'ठेठ हिंदी का ठाठ' फिर से जीवित होगा; क्योंकि यहाँ हर लेखक को अपनी भाषा में कहने–लिखने की छूट है. इसका अंदाजा विभिन्न ब्लॉगों की भाषा पर एक नजर डालने पर लग जाता है। हाल ही में एक नेता के द्वारा हिंदी में दिए गए साक्षात्कार को न केवल टीवी चैनलों पर रिकार्ड तोड़ देखा गया, बल्कि फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम ब्लागों के सर्वाधिक देखा गया। जो हिंदी की क्षमता, पहुंच एवं ठाठ को दर्शाता है। किसी भी तकनीक की उपयोगिता उसके इस्तेमाल करने वालों पर निर्भर करती है। सवाल है कि जिस समाज में सूचना तकनीक का इस्तेमाल एक छोटे तबके तक सीमित हो, जिस भाषा में की–बोर्ड तक उपलब्ध नहीं वह भाषा–समाज किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल कर आगे बढ़ेगी ?

मंजिलें और भी हैं

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप दुनिया की तमाम भाषाओं की भांति हिंदी के स्वरूप, क्षेत्र एवं प्रकृति में बदलाव आया है, प्रसार में वृद्धि हुई है। हिंदी न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप अपितु समूचे भूमंडल की एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी है। यह एक हकीकत है कि नब्बे के दशक में विश्व बाजार व्यवस्था के तहत बहुप्रचारित उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की प्रकृति से भारत अछूता नहीं रह सकता था। देर–सबेर उसे भी वैश्विक मंडी में खड़ा होना ही था। जाहिर है इस वैश्वीकरण ने जहाँ एक तरफ मुक्त बाजार की दलीलें पेश की, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक नई उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया, जिससे जनजीवन से जुड़ी वस्तुएं ही नहीं, भाषा, विचार, संस्कृति, कला सब–कुछ को एक 'कमोडिटी' (उत्पाद) के तौर पर देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई। भाषा के रूप में निश्चय ही इस नव उपनिवेशवादी व्यवस्था ने

राष्ट्रों की प्रतिनिधि भाषाओं को चुना। बहुभाषिक समाज व्यवस्था वाले भारत में हिंदी चूँकि संपर्क और व्यवहार की प्रधान भाषा थी इसलिए हिंदी को वैश्विक बाजार ने अपनाया। यहाँ वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप हिंदी के विकास–विस्तार पर जाने से पूर्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, प्रसिद्ध समाज विज्ञानी प्रो. आनंद कुमार की राय का उल्लेख आवश्यक है। उनके अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सात तत्व शामिल हैं, ये हैं, एक तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, दूसरा–माध्यम वर्ग, तीसरा–बाजार, चौथा–संचार माध्यम, पाँचवाँ–बहुउद्देशीय कंपनियां, छठा–आप्रवासन और सातवाँ–सम्पन्नता। ये सात चीजें मिलकर वैश्वीकरण को आधार देती हैं और इनमें से दो चीजें हैं जो कि देशी भाषाओं के अनुकूल हैं। एक है बाजार और दूसरा संचार माध्यम। निश्चय ही वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के विकास–विस्तार को इन्हीं दोनों आयामों–बाजार और संचार माध्यम से देखना होगा। कहने की गरज नहीं, वैश्वीकरण की मूल अवधारणा अर्थकेन्द्रित है। अर्थोन्मुखी होने के कारण ही वैश्वीकरण का समूचा प्रासाद, चाहे भाषा को लेकर हो या विचार को, संस्कृति को लेकर हो या तकनीक को, उपभोक्तावादी है। यानि कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज बिकती है बस बेचने वाला चाहिए ठीक इसी प्रकार हिंदी आगे बढ़ने के लिए तैयार है बस बढ़ाने वाला चाहिए।

हिंदी को लेकर यद्यपि इस तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जाती रही हैं कि विश्व बाजार और भूमंडलीकरण के कारण हिंदी का मूल संसार शायद और सिमटेगा, परन्तु आँकड़ों और अब तक हुए बदलावों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हिंदी बाजार से बेदखल होगी। निश्चित ही इस दौर में बाजार पूरी तरह हिंदी की गिरफ्त में है और उल्लेखनीय पहलू यह है कि हिंदी का दबदबा बाजार में वर्चस्व के नाते नहीं, बल्कि लोकोपयोगिता के कारण है। वैश्वीकरण में आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से हिंदी की भूमिका बढ़ी है। जैसे–जैसे सीमाएं टूट रही हैं, प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, दुनिया सिमट रही है, कारोबारी निकटता आ रही है, वैसे–वैसे एक नई संस्कृति विकसित हो रही है। यह नई बाजार संस्कृति अब तक स्वायत्त रहे समाजों और संस्कृतियों के रहन–सहन, आचार–विचार, भाषा–भूषा और मूल्यबोध सभी का अपने तरीके से अनुकूलन कर रही है। संचार माध्यम इस संस्कृति के वाहन बने हैं और हिंदी माध्यम। आंकड़े बताते हैं कि 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस राष्ट्र में 60 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है। इसके अतिरिक्त 30 करोड़ से अधिक लोग इस भाषा का प्रयोग दूसरी भाषा के रूप में करते हैं, और लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा के साथ सरोकार जुड़ा हुआ है। कहने का आशय यह है कि देश की आबादी के लगभग 100 करोड़ से अधिक लोगों में किसी न किसी रूप हिंदी संपर्क का माध्यम है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार संस्कृति के लिए हिंदी सबसे अनुकूल भाषा के रूप में अपनाई जा रही है। इससे हिंदी का विकास–विस्तार तो हो ही रहा है, संपूर्ण राष्ट्र में भाषिक संपन्नता की परिचय भी मिल रहा है। और हिंदी की स्वीकृति का भी। आज तकरीबन सत्तर प्रतिशत से अधिक वस्तुएं हिंदी के माध्यम से जनमानस तक पहुँच रही हैं। विक्रेता और क्रेता के बीच हिंदी सेतु का कार्य कर रही है, चाहे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद हों, चाहे देशी कंपनियों के।

बेशक, हिंदी की शक्ति के नाते ही अमेरीकी सरकार हो या 'कम्प्यूटर किंग' बिल गेट्स, हिंदी के उपयोग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दुनिया को यह भलीभांति पता है कि लगभग अस्सी करोड़ की आबादी वाले भारतीय मध्यवर्गीय बाजार तक पहुँच बनानी है तो हिंदी को अपनाना होगा। यह वैश्वीकरण का ही दबाव है कि यू.एन.ओ. में हिंदी की चर्चा हो रही है, विश्व की प्रमुख भाषाओं में शुमार करने की ठोस दलीलें दी जा रही हैं। कहना न होगा, मारीशस एवं फिजी जैसे देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन होना राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष उपलब्धि नहीं है परन्तु न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निश्चय ही एक ऐतिहासिक परिवर्तन की आहट है, यह हिंदी की स्वीकृति का सकारात्मक पहलू है। विश्व समुदाय को पता लग चुका है कि भारत की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का आधार क्या है और इस विकास की प्रक्रिया में शामिल होने का द्वार क्या है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, गत दिनों मीडिया में हुए दो प्रयोग। छोटे पर्दे और बड़े पर्दे दोनों पर हुए निम्न दो प्रयोगों से हिंदी की स्थिति का जायजा लगाया जा सकता है। रूपर्ट मडोंक जब छोटे पर्दे पर स्टार टी.वी. को लेकर आये तो जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि अंग्रेजी के माध्यम से कितना भी बढ़िया 'प्रोग्राम' और प्रसारण हो, मात्र शहरी वर्ग तक ही पहुँचा जा सकता है, वह भी 'इलीट क्लास' तक। जबकि हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित किया जाये तो एक विशाल दर्शक वर्ग तक पहुँचा जा सकता है। परिणामस्वरूप स्टार टी.वी. ने हिंदी में कार्यक्रम बनाने–दिखाने शुरू किए और नतीजा समाने है। आज न केवल एशियाई देशों में बल्कि पूरी दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में हिंदी चैनल देखे जाते हैं। इनमें भारतीय मूल के ही नहीं, बल्कि वहां के स्थानीय निवासी भी उन्हें देखते व सराहते है।

इसी प्रकार एक दिलचस्प उदाहरण बड़े पर्दे का है। यूँ तो बड़े पर्दे पर अनेकानेक फिल्में 'डब' होती रहती हैं, परन्तु जब से 'हालीवुड' की फिल्मों को 'बालीवुड' की भाषा में लाने की कोशिश शुरू हुई, तब से एक नई चीज फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। हमें याद है जब 'जुरासिक पार्क' को हिंदी में 'डब' किया गया तो देश के दूरदराज के गाँव–कस्बों तक उसे खूब पसन्द किया गया। उल्लेखनीय यह है कि इसके पहले किसी भी विदेशी फिल्म ने इतना मुनाफा नहीं कमाया था। ये तथ्य इस बात के संकेत है कि हिंदी में कितनी जबरदस्त क्षमता है।

इतना ही नहीं, यह हिंदी का ही कमाल है कि राष्ट्रीय ही नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को भी आज हम गाँवों में पा सकते हैं। बेशक संचार क्रान्ति और विज्ञापन संस्कृति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण के कारण जो बाजार आज बन रहा है उसके विकास–विस्तार में संचार क्रान्ति और विज्ञापन उद्योग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पिछले दो दशकों में साबुन और टूथपेस्ट जैसी दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं से आगे चलकर अब मोटरसाईकिल, कार, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े आदि के विज्ञापन हिंदी प्रसारित किये जा रहे हैं। छोटे–छोटे कस्बों तक सौन्दर्य प्रसाधन के 'ब्यूटी पार्लर' खुल चुके हैं। सैलून जैसे अब गुजरे जमाने का शब्द लगने लगा है। बड़े–बड़े होर्डिंग्स पर लिखे लोक–लुभावन विज्ञापन आज शहरों की चौहद्दियों से बाहर छोटे–छोटे कस्बों और गाँवों तक देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि एयरटेल, वोडाफोन जैसी टेली सर्विस कंपनियां अपने उत्पाद अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में ला रहे हैं। अब तो हॉलीवुड की फिल्में हिंदी के साथ–साथ तमिल तेलगू और अब पंजाबी में भी डब होकर आने लगे हैं। अब तो कई नॉलजे चैनल जैसे कि डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, फॉक्स ट्रवलर जैसे चैनल अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हिंदी में डब करके पेश कर रहे हैं। एक और क्रांति डीटीएच में भी आया है, टाटा स्काई जैसे चैनल भाषा चुनने का भी ऑप्शन पेश कर रहे हैं। टी.वी. और मोबाइल से शायद ही अब देश का कोई कोना अछूता हो। उल्लेखनीय है कि इन संचार माध्यमों की भाषा हिंदी है, क्षेत्रीय भाषाएँ हैं।

निवेश, अर्थव्यवस्था और उम्मीद

प्राची सिंह, (गार्गी कॉलेज)

देश भर में चुनाव की लहर चल रही है। विभिन्न पार्टी और दलों तथा नेताओं के बीच चुनाव को लेकर मारा–मारी और गरमा–गरमी दिख रही है। इस समय अधिकांश नेताओं के बीच अपनी जीत सुनिश्चित बनाने की भाग दौड़ मची हुई है। हां इस बीच एक खबर यह अच्छी है कि दुनिया भर की तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद बंधाई है। इसके साथ ही विभिन्न सूचकांकों के उछाल एवं रुपये की

डालर के मुकाबले मजबूती ने भी नई आशा जगाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेह।

एक निराशाजनक वर्ष 2013 आखिरकार विदा हो गया। पिछले साल बस इंतजार करते रहे, मगर बेहतर वक्त कभी नहीं आया। न मुद्रा स्फीति में कमी आई और न महंगाई से ही राहत मिली। मगर इक्विटी निवेशकों के लिए यह वर्ष एक तरह से ठीक ही रहा। हालांकि पांच साल बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सोने, स्टाक, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट, किसी में निवेश से कोई खास रिटर्न नहीं मिला। जब महंगाई दर 10 फीसद से ऊपर हो किसी भी चीज से पैसा नहीं बनता। सभी इक्विटी फंडों का औसत रिटर्न 4.75 फीसद रहा। बीएसई जैसे सूचकांकों का रिटर्न तो महज 3.2 फीसद रहा। बेहतर रिटर्न देने वाले फंड गिने–चुने हैं। हां टेक्नालॉजी फंडों ने बढ़िया रिटर्न दिया है। इनमें औसत सालाना रिटर्न 52 फीसद रहा। खराब से खराब टेक्नालॉजी फंड भी 40 फीसद रिटर्न देने में कामयाब रहे। फार्मा सेक्टर के चुनिंदा फंडों ने 20 फीसद से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। बाकी दोहरे अंकों में रिटर्न देने वाले फंड अंतराष्ट्रीय फंड हैं।

नाउम्मीद फिक्स्ड आय निवेशक – कायदे से फिक्स्ड इनकम निवेश में हर हाल में अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए और यह 'वास्तविक' होना चाहिए। यानी रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा होना चाहिए। परंतु 2013 में फिक्स्ड इनकम निवेश पूरी तरह विफल साबित हुआ। सभी फिक्स्ड इनकम प्रपत्रों में मुद्रास्फीति दर से कम रिटर्न मिला। जुलाई में अमेरिकी घोषणा के बाद ये फंड संकट में आ गए। बांडों के मूल्य नाटकीय ढंग से गिरे। लिक्विड फंडों समेत सभी फंडों के एनएवी में गिरावट आ गई।

निस्तेज सोना – पिछले पांच–छह सालों से सोने के भावों में तेज वृद्धि हुई और इसमें निवेश करने वालों को अच्छा रिटर्न भी मिला। हालांकि वर्ष 2013 में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बुरी तरह टूटीं। वर्ष 1981 के बाद 2013 में सोने का सबसे बुरा हाल रहा। सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमत 28.88 फीसद गिर गई। हालांकि घरेलू बाजार में कीमत केवल 7.8 फीसद गिरी है। लेकिन यदि सोने के आयात पर पाबंदियां हटाई जाती है तो भारतीय बाजारों में सोने के दामों में तेज गिरावट आ सकती

है। सितंबर 2011 के सर्वोच्च स्तर के बाद सोने की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब 35 फीसद कम है। लिहाजा सोने में निवेश में अक्लमंदी नहीं है। अभी भी कुछ विदेशी स्वर्ण निवेश विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2014 में सोने के दामों में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसे में सोने में दीर्घकालिक निवेश तो अच्छा साबित हो सकता है पर अल्पकालिक

निवेश में सोना खरा साबित होने की उम्मीदें कम ही हैं।

अंतरराष्ट्रीय फंडों में दम – समझदार निवेशकों को अंतराष्ट्रीय फंडों में निवेश करना चाहिए। उन्हें 13 फीसद से ज्यादा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। निवेशकों को मुख्यधारा के ऐसे विविधीकृत इक्विटी फंडों पर ध्यान देना चाहिए जो अमेरिका तथा अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करते हैं।

आम चुनाव में उम्मीदें – ज्यादातर निवेशकों को लगता है कि 2014 के चुनाव बदलाव की शुरूआत करेंगे। अभी तो लगता है कि इन बदलावों की शुरुआत राजग सरकार के हाथों हो सकती है। तमाम संभावित राजनीतिक समीकरणों पर नजर दौड़ाएं तो राजग सरकार से ही सर्वाधिक विकास की उम्मीद है। फंड निवेशकों को इसी हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। बाजार तो अच्छे हालात में भी अनिश्चितता का शिकार होती हैं। इसलिए हम ऐसे नजरिये की पैरवी करते हैं जो हर हाल में काम आए।

2014 में निवेश की रणनीति – यद्यपि आप निवेश में यकीन रखते हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निवेश करना चाहते है तो निवेश को समझना आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप एक मोटा अनुमान लगाइए कि अगले पांच–सात सालों में आपको कितनी राशि की बचत करनी चाहिए। इसमें कुछ आपात राशि होगी, कुछ संभावित बड़े खर्च होंगे जैसे शादी, शिक्षा, मकान के लिए डाउन पेमेंट वगैरह। इस राशि को आप किसी आवधिक (डेट) प्रपत्र में लगाएं। यह

पीपीएफ, अल्पकालिक डेट म्यूचुअल फंड कुछ भी हो सकता है। बाकी राशि ऐसे विविधिकृत इक्विटी म्यूचुअल फंडों में डालनी चाहिए जिनका लंबे समय से अच्छा रिकार्ड रहा हो। किसी भी इक्विटी फंड में नया निवेश नियमित और सतत रूप से किया जाना चाहिए। चार–पांच फंड में निवेश काफी हैं।

रीयल इस्टेट में निवेश – पिछले दशक में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के बावजूद भारत में भू–संपदा (रीयल इस्टेट) में पर्याप्त स्थिरता देखने में आई। यही नहीं, बल्कि डालर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट का लाभ भी भू–संपदा क्षेत्र के व्यवसाय को मिला। बहुत सारे विदेशी निवेशकों, खासकर एनआरआई वर्ग के लोगों ने भारत के आवास एवं भू–संपदा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश किया है। पिछले दशक में भू–संपदा क्षेत्र का निवेश काफी लाभदायक साबित हुआ है। पिछले दशक में महानगरों में आवास एवं भू–संपदा में किए गए निवेश ने 15 से 20 प्रतिशत की दर से लाभ दिलाया है। लगभग पिछले पांच–सात

सालों में सभी संपत्तियों के दामों में दो गुना बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। छोटे शहरों में भी आवास एवं भू–संपदा क्षेत्र में किए गए निवेश पर अच्छा प्रतिफल प्राप्त हुआ है।

यहां पर यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आवास एवं भू–संपदा के क्षेत्र में निवेश की राशि काफी बड़ी होती है। सलाहकारों का यह भी मानना है कि आवास क्षेत्र में भारी रकम ऋण के रूप में लेकर निवेश करना अक्लमंदी नहीं है। इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेशकों को ही आना चाहिए और इसके साथ ही आवास क्षेत्र के निवेश में पचास फीसदी से अधिक का कर्ज लेकर निवेश नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि एक ही महानगर में बड़ी पूंजी लगाने से बेहतर यह रहता है कि कई महानगरों या शहरों में छोटी–छोटी इकाइयों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि आवास एवं भू–संपदा के क्षेत्र में मूल्यों में उतार–चढ़ाव अलग–अलग शहरों में भिन्न–भिन्न होता है जो भिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मसलन अभी कुछ शहरों/महानगरों में जिन इलाकों में मैट्रो रेल आई, वहां आवास–इकाइयों में तेजी से दाम चढ़े हैं। इसके साथ ही एक शहर में कीमतें इस लिए चढ़ीं कि वहां हवाई अड्डा बनने की घोषणा हुई, यहां तक कि जगह भी चिंहित की गई, लेकिन सरकार बदलने के साथ हवाई अड्डा बनने की योजना निरस्त हो गई, फलस्वरूप आवास संपदाओं में तेजी से गिरावट आई। ऐसे में, यदि भिन्न शहरों में निवेश होता है तो घाटे या लाभ की स्थितियां प्रतिकूल एवं अनुकूल दोनों ही हो सकती है यानि कि कहीं का घाटा, कहीं अन्य जगह पर लाभ का सौदा हो सकता है।

कुल मिलाकर, किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले उसका गहन अध्ययन कर लेना चाहिए। वहां पर मांग एवं आपूर्ति सेक्टर का भी मूल्यांकन करना चाहिए तथा निवेश करने से पूर्व निवेशक कंपनियों की प्रोफाइल और उस के आगे–पीछे के रिकार्ड को भी जांच लेना चाहिए। आवासीय–संपदा के मामलों में सभी आवश्यक अभिलेखों, दस्तावेजों, अनापत्ति प्रमाणपत्रों आदि की जांच करने के बाद निवेश करना चाहिए तथा सारे रिकार्ड व दस्तावेज प्राप्त कर लेने चाहिए।

छोड़ो चिन्ता - आगे बढ़ो

राम नारायण चौधरी, उप प्रबंधक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के इस युग में मानव का जीवन जटिल हो गया है और तनाव उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। जीविका निर्वाह तथा आत्मरक्षा हेतु हमें सर्वत्र तीव्र प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। अपेक्षित सफलता की प्राप्ति न होने पर हमारे मानसिक संतुलन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अन्ततः ये मस्तिष्क में चिंता, तनाव तथा भय के उत्पन्न होने का कारण बनते है। यदि हम कुछ मूल्यों तथा सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवनयापन करना सीख लें, तो हम चिंता तथा तनाव से उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों से बच सकते हैं।

चिंता तथा उससे बचने का उपाय प्राचीन काल से ही अध्ययन तथा अनुसंधान का विषय रहा है। अध्ययन से पता चला है कि हम जीवन में अनेक बार बेवजह चिंताएं करते रहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री ने अपने पति से कहा – "अगले 15 दिनों के अंदर बेटे की विद्यालय की फीस जमा करवानी है और आपको कोई चिंता ही नहीं है"। पति का उत्तर था "ठीक है, किंतु चौदह दिन पूर्व ही उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमें चिंता नहीं, बल्कि फीस देनी है। स्कूल की फीस की सूचना में चिंता करने की कोई षर्त नहीं लिखी है" एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है; मेरे एक हुष्ट–पुष्ट शरीर वाले एवं स्वस्थ मित्र बीमार पड़ गये तथा कुछ ही दिनों के अंदर उनका स्वास्थय काफी गिर गया। काफी पूछने पर पता चला कि उनकी यह स्थिति उनके एक परम मित्र के गम्भीर रूप से घायल एवं अस्पताल में भर्ती होने के कारण हुआ था। सच तो यह था कि उन्होंने अपने मित्र के एक बैंक ऋण हेतु गारन्टी दी थी तथा उसकी सम्भावित, मृत्यु के बाद कर्ज चुकाने के डर से वह चिन्तित था। बाद में जैसे ही पता चला कि उनका मित्र अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, चिंताएं स्वतः चली गई और वह तुरंत स्वस्थ हो गया। स्वाभाविक है जीवन में हम लोग कई बार इस तरह की अनिश्चत परिस्थितियों से सामना करते हैं। विवेक की जगह चिन्तारूपी मकड़जाल में फंसते चले जाते है। एक अन्य उदाहरण देना चाहूंगा, मैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ए.पी.एफ. सी परीक्षा 2012 में बैठा था। परीक्षा से पूर्व मेरी तैयारी काफी अच्छी तथा सकारात्मक दिषा में चल रही थी। पिछली परीक्षाओं पर आधारित माडल प्रश्न पत्र का, परीक्षा की तिथि से लगभग 15 दिनों पूर्व स्वमूल्यांकन हेतु समाधान करने का प्रयास किया, जिसमें मुझे 50 – 60% से ज्यादा अंक कभी नहीं प्राप्त हुए। परिणामतः धीरे–धीरे मेरे सकारात्मक मन पर निराशावादी विचार हावी होता गया और तकरीबन परीक्षा की तिथि से पांच दिन पूर्व ही आगे की तैयारी यह सोचकर छोड़ दी कि परीक्षा में बैठना उनके लिए अब सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गया है। लेकिन प्रश्न–पत्र विगत परीक्षा की तुलना में काफी आसान था और 2 या 3 अंक की कमी से लिखित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। यदि बेवजह चिन्ता की जगह पांच दिनों का बर्बाद किया गया समय, तैयारी में लगा होता तो परिणाम कुछ सकारात्मक हो सकता था। उपरोक्त उदाहरणों से मेरा तात्पर्य है कि जबतक समस्या आपके द्वार पर न आ जाये, तब तक बेवजह चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम यह भूल जाते हैं कि चिंता करने से न कोई समस्या हल होती है, न ही कोई रचनात्मक कार्य सम्पन्न होता है।

बाल्मीकि मुनि कहते हैं – "एक विषधर (सर्प) बालक को डसकर मार डालता है, पर चिंता मनुष्य को जकड़कर उसका विनाश कर डालती है। दुःखी, चिन्तित तथा हताश व्यक्ति चाहे जो भी करे, अन्ततः वह स्वयं को ही बर्बाद कर डालता है।" कहा भी गया है "चिता मुर्दे को जलाती है, परन्तु चिन्ता व्यक्ति को जिन्दा ही जला डालती है।" डॉ0 जोसेफ एफ. मान्तेग के अनुसार, "पेट का अलसर इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस बात पर कि आपको कौन–सी चिन्ता खा रही है। डॉ0 चार्ल्स मेयो ने भी कहा है कि, "चिन्ता, क्रोध, भय आदि आपके रक्त संचार, पाचन तथा स्नायुतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं आपके स्वास्थ के लिए हानिकारक है। मैंने किसी व्यक्ति को कठिन परिश्रम के फलस्वरूप मरते हुए नहीं देखा, पर मैंने अनेक लोगों को मानसिक तनाव तथा चिंताओं के दुष्प्रभाव से मरते हुए देखा है।"

प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ दुःख, कष्ट, तनाव आदि के अनुभव होते हैं। एक औसत व्यक्ति के पास उसका सामना करने की शक्ति होती है। मानव शरीर में अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता विद्यमान है। उदाहरणार्थ, हवाई अड्डे के समीप रहने वाले लोग प्रारम्भ में हवाई जहाज के उड़ने तथा उतरने के समय होने वाले शोरगुल से विक्षुब्ध होते हैं, पर कुछ दिनों के बाद वे इससे इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनके दैनिक जीवन में इस शोर का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है

कहने का तात्पर्य यह है कि कभी–कभी किसी समस्या का समाधान समय

गुजरने के साथ–साथ स्वतः हो जाता है। हममें से कई लोग दैनिक कार्य को निपटाने के क्रम में कतार में खड़े होते हैं। लम्बी कतार देखकर अनायास बेसब्र हो जाते हैं। ऑफिस जाने, परीक्षा में बैठने, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाने के क्रम में बेवजह कई बार विलम्ब हो जाता है तथा परिणामस्वरूप जल्दबाजी के चक्कर में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इनसे मानसिक अशांति पैदा होने के साथ रक्तचाप में अनियमितता पैदा होती है। भय, क्रोध तथा चिंताएं अनेक रोगों का प्रत्यक्ष कारण होती है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार इनसे होने वाले रोगों तथा इनकी प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार है :– रोग प्रतिशत 1.गैस्ट्राइलिस (आंत्रषोथ)–99% 2.थकावट व दुर्बलता –90% 3.चक्कर आना/सिर दर्द –80% 4.कब्ज –70% 5.पेप्टिक अल्सर – 50% आदि नकरात्मक भावनाएं हानिकारक रसायनों को उत्पन्न करती हैं। अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ होते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते। हमारी उदासी, निराशा तथा नकारात्मक विचार हमें ड्रिपेशन या उदासी की ओर ले जाने में मदद करते हैं। हम इससे मुक्त हो सकते हैं। अमेरिकी चिकित्सा विज्ञानी डॉ0 डेविड वर्न्स के अनुसार – "हम अपने विचारों पर नियन्त्रण पाकर अनचाही उदासी से बच सकते है।" आप अपने नकारात्मक विचारों पर विजय पाने की कोशिष करें। निर्भय होकर काम करें, जिसमें असफलता के प्रति आपके नकारात्मक विचार आपको डरा रहे हैं। आप उस काम में सफलता पाकर स्वयं देखेगें कि आपके नकारात्मक विचार कितने व्यर्थ थे और आप फिजूल ही परेशान और चिन्तित थे। दरअसल मन की उदासी, असफलता की आशंका, निराशा और भावों के प्रति पहले से सावधान रहें। उन्हें अपने मन–मस्तिष्क में जड़ें न जमाने दें। यदि एक बार में जड़ें जमा ली तो उन्हें उखाड़ फेंकने में काफी परिश्रम तथा समय लगाना पड़ सकता है। मन में उदासी, अवसाद या विशाद का भाव लाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता। चिंता से उदासी, उदासी से निरर्थक एवं विकृत विचारों का जन्म होता है। ये हमारे मन को अवसादग्रस्त बना डालते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए आत्मबल होना चाहिए तथा आत्म–विश्वास से भरा होना चाहिए। आत्म–विश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहीं काम करें जिससे डरते हैं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि जो मनुष्य आत्म विश्वास से सुरक्षित है, वह उन चिन्ताओं, आशंकाओं से मुक्त रहता है, जिनसे दूसरे लोग दबे रहते हैं। इसलिए कठिन समय में भी आत्म–विश्वास नहीं खोना चाहिए। आत्म विश्वास हमारे मन को प्रसन्नचित तथा शान्त बनाये रखने में मदद करता है। स्वामी जी ने आगे यह भी कहा है "जितना हम शांत रहेंगे, हमारे मनोवेग तथा तत्रिका तंत्र उतने ही अधिक संतुलन में रहेंगे, कार्य–निश्पादन तथा सीखने की गति काफी तीव्र होगी।

अतः हमारे जीवन में अपने कार्य एवं अपने मनोदशा में काफी संतुलन कायम करना होगा। असंतुलित व्यक्ति जीवन में प्रायः निराश रहते हैं जो अन्ततः उनके कार्य–निष्पादन की गति तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वह न तो घर में अथवा न ही कार्यालय में संतुष्ट रह पाता है। अन्य उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के काम के प्रति हमेशा तनाव में रहता था। उसे लगता था कि यह काम मेरे सिवाय कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। अतः वह जो काम कार्यालय में निष्पादन नहीं कर पाता उसे घर ले आता था। फिर भी समाप्त नहीं हो पाता। अतः वह परेशान होता गया। उसका स्वास्थ्य गिरता गया। अन्ततः डाक्टर को सारी बातें बताई। लेकिन डाक्टर ने उसे कोई दवाईयां नहीं दी। डाक्टर ने सिर्फ यह कहा आपको कुछ नहीं हुआ है, आप प्रतिदिन एक घंटे का व्यायाम करें तथा टहलें। आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप वहां टहलें जहां मुर्दे को दफनाया जाता है तथा मृतकों की याद में उस जगह उनके लिए स्मारक बनाये जाते हैं। रोगी चकित होकर डाक्टर से पूछता है कि दवा देने की जगह आप ये क्या बता रहे हैं? डाक्टर का जवाब था कि उस जगह टहलने से आपको सच्चाई की अनुभूति होगी कि मृत्यु ध्रुव सत्य है। आपकी तरह के सोच वाले को भी एक दिन यहीं दफनाया जाएगा। आपके बिना भी आपके कार्यालय का कार्य चलता रहेगा। रोगी सच्चाई समझ गया। फिर डाक्टर ने अंत में कहा कि जीवन में संतुलन से किसी भी कार्य को कम समय में भी प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। अतः आप अपने स्वास्थ्य, घर, परिवार, कार्यालय सभी को महत्व दें। इससे कार्य–निष्पादन की क्षमता घटने की बजाय और बढ़ेगा ही। स्वस्थ मन से किया गया कार्य ज्यादा सकारात्मक और प्रभावशाली होता है। यह आम बात है कि आज कल लोगों को जितनी अपनी असफलता पर चिंता और निराशा नहीं होती है उससे ज्यादा दूसरे की सफलता को देखकर जलन होती है। आप अक्सर सुनते होगें कि अमुक व्यक्ति के ऊपर तो लक्ष्मी की वर्षा हो रही है, अमुक व्यक्ति मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोने की वर्षा होती है, अमूक कर्मचारी/अधिकारी का विदेषी दौरा वर्ष में एक बार तो हो ही जाता है। अमूक व्यक्ति आफिस में काम नहीं करता फिर भी पदोन्नति में पीछे नहीं रहता आदि–आदि। यह मनुष्य का स्वाभाविक प्रकृति है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनसे ऊपर उठकर सोचते हैं, अपनी कमियों का विश्लेषण करके नये ऊर्जा के साथ जीवन पथ पर निकल पड़ते हैं तथा सफलता की महान ऊचांईयों को स्पर्श कर लेते हैं। बेंजामिन डिजरैली तथा अब्राहम लिंकन को अपनी योग्यताएं पर पूरा विश्वास था तथा जीवन की ऊचांईयों पर पहुंचने का अटूट विश्वास था। इसी आत्मविश्वास ने डिजरैली को इंगलैंड का प्रधानमंत्री तथा लिंकन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया। डिजरैली का कथन सही है "मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है – उसका व्यर्थ की चिंता करना तथा चिन्ता को जीवन में महत्व देना निरर्थक है।" महान व्यक्तियों की सफलता का सूत्र होता है, काम के प्रति लगन, आत्म–विश्वास तथा अपने दल में सदस्य के काम के प्रति विश्वास भी। इस संसार में हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। ऐसा भ्रम पालन करना कि हम सभी काम अकेले कर सकते हैं, मूर्खता है तथा बेकार की चिंता है।

चिंता से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपने आपको अच्छे कामों में व्यस्त रखें। कहा भी गया है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वर्नार्ड शॉ का कहना है कि आप दुःखी और चिंतित तभी हो सकते हैं जब आपके पास सुखी या दुःखी होने के लिए खाली समय होता है। भौतिकतावादी सुख की पीछे पागलों की तरह भागने के बजाय जीवन में संतुलन होना चाहिए। जीवन मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। यह भी देखा गया है कि आज का युवा वर्ग लाखों रुपये के पैकेज तो पाते हैं लेकिन उन्हें अपने लिए, परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता है। वे प्रायः शरीर की आवाज को नहीं सुनते। फलस्वरूप कई बार एक बड़ी बीमारी ही उनकी लाखों की कमाई को चट कर जाती है। कहने का तात्पर्य है कि हमें काम के प्रति गम्भीरता के साथ–साथ जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान रखना होगा। हम जो भी काम करें, जहां भी करें पूरी लगन व ईमानदारी से करें। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पदोन्नति पाकर ऊंचे पद तक पहुंचना तथा काफी धन–सम्पत्ति अर्जन करना ही नहीं होना चाहिए। अपितु मनुष्य जीवन मानवता से ओत–प्रोत होना चाहिए। उनका कार्य ऐसा होना चाहिए जो न तो उसे चिन्तित करे और न दूसरों की चिंता का कारण बनें। इस संसार में सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो सकता। अतः हमें अपनी इच्छाओं का नियमन करना जरूरी है। व्यर्थ की चिंता से ऊपर उठना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चिंतामुक्त, संतुलित जीवन, आत्म संतुष्टि, परोपकार, परहित एवं मानवता के प्रति लगाव ही मानव के जीवन को परिपूर्णतः प्रदान करता है। एक परिपूर्ण जीवन ही लोक एवं परलोक का सही अर्थों में उपभोग करता है।

नेकी कर दरिया में डाल

रवि कुमार सिंह, प्रबंधक

एक साधु सदैव कहते, जो हुआ अच्छा है जो होगा वह और अच्छा है। इंसान का काम है कि सदैव अच्छे काम करे। वह अक्सर कहते – "नेकी कर दरिया में डाल" यानि कि सदैव अच्छा काम करो और भूल जाओ। उसके फल की चाहत नहीं करनी चाहिए। उनका मानना है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होता है। लोगों को सदुपदेश देते समय वे कई एक कथाएं सुनाते। आज ऐसी ही कुछ कहानियां प्रस्तुत हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि एक गांव में एक परिवार था। उस घर में रहने वाली एक औरत परिवार के लिए रोटियां सेकती तो हर रोज एक रोटी ज्यादा बनाती। उस रोटी को वह घर के बाहर खुलने वाली खिड़की की पटरी पर किसी भूखे के लिए रख देती। रोज एक कुबड़ा आता और रोटी ले जाता। जाते–जाते बुड़बुड़ाता, 'बुरे कर्म जमा हो जाते हैं और अच्छे कर्म लौट कर आते हैं।' यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। गृहिणी को धीरे–धीरे खीझ आने लगी। वह सोचती कि कभी दो बोल कृतज्ञता के नहीं बोलता, जाने क्या बुड़बुड़ाता है। ये कुबड़ा बड़ा ही ऐहसान फरामोश है। अब वह इस रोज–रोज के झंझट से छूटना चाहती थी। उसे ऐसी घृणा हुई कि एक दिन उसने रोटी में जहर मिला दिया। लेकिन रोटी खिड़की पर रखने लगी तो सोचा, 'यह मैं क्या कर रही हूं।' अपराध बोध में कांपते हुए उसने रोटी को जला दिया और फिर उसने स्वस्थ मन से एक रोटी बना कर रोज की तरह रख दी।

उसका बेटा कई महीने से बाहर गया हुआ था। कोई खैर–खबर नहीं मिल रही थी। उसने प्रार्थना की – 'हे प्रभु मेरा बच्चा लौट आए।' उसी शाम दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। खोला तो देखा, बेटा खड़ा था। दुर्बल शरीर, फटे हाल, भूखा–प्यासा। मां को देखते ही बोला, 'मां मैं तुम्हारे पास आ सका, इसे चमत्कार ही समझो। घर पहुंचने में एक मील की दूरी थी। मैं कई दिन का भूखा–प्यासा था। कमजोरी से गिर पड़ा। तभी एक कुबड़ा आदमी पास से गुजरा। मुझे भूखा देखकर उस बेचारे ने मुझे एक पूरी रोटी दे दी और बोला – मैं रोज इतनी ही रोटी खाता हूं। पर आज तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है।' मां का रंग पीला पड़ गया। वह कांपने लगी। उसे दरवाजे का सहारा लेना पड़ा। उसे वह जहर मिली रोटी याद आई। यदि उसने वह रोटी न जलाई होती तो आज अपने ही बेटे ने खाई होती। अब उसे उन शब्दों का महत्व समझ में आया। यानि कि नेकी कर दरिया में डाल। अच्छे काम करो और कभी रूको मत। कोई उसकी प्रशंसा करे न करे, तब भी। जिस क्षण निःस्वार्थ भाव से किये गये अच्छे कर्म के बदले हम फल की आशा करने लगते हैं, उसी क्षण वे शुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं।

साधु महोदय ने लोगों को एक कथा और सुनाई। बोले एक गांव में एक तपस्वी रहते थे। लोग बड़े आदर भाव के साथ उनका सम्मान करते और सभी लोग उन्हें सिर झुका प्रणाम करते। वे हाथ उठाकर आर्शीवाद देते – जो हुआ अच्छा है, जो होगा वह और भा अच्छा है। एक दिन उस गांव के सरपंच के लड़के का गंडासे से काम करते हुए पूरा अंगूठा कट गया। थोड़ी देर बाद वही तपस्वी गुजरे तो सरपंच के लड़के ने प्रणाम किया उनके मुंह से निकला – "जो हुआ अच्छा है, जो होगा वह और भी अच्छा है।" सरपंच के लड़के को क्रोध आ गया, उसने तपस्वी के बारे में उलटा–सीधा कहकर कुछ अपशब्द बक दिए। तपस्वी मुस्कराते हुए आगे बढ़ गए।

इस घटना के लगभग एक वर्ष बाद उस राज्य पर विदेशी राज्य के राजा ने हमला बोला। राजा ने तुरंत घोषणा करवायी कि राज्य के सभी 20 से 30 वर्ष की आयु वाले युवा अनिवार्य रूप से फौज में भर्ती हो जाऐं और युद्ध के मोरचे पर पहुंचे। जब वह लड़का भी फौज में भर्ती होने गया तो उसका कटा हुआ अंगूठा देखकर उसे अनफिट करार दे दिया, फलतः वह फौज में भर्ती नहीं हो सका। आज वह मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो अगूंठा न होना, अच्छा साबित हुआ, कम से कम युद्ध में बेमौत मरने से तो बच गया। जब वह गांव वापस आया, तो उसे देखकर उसके परिवार वाले बड़े खुश हुए। वे तपस्वी उस गांव से गुजरे तो लड़के ने उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने वहीं आर्शीवाद दिया – "जीते रहो, जो हुआ अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा।" आज वह लड़का तपस्वी के पैरों में गिर पड़ा और पिछले दिनों किए गए दुर्व्यवार के लिए क्षमा मांगी।

साधु बोले कि आपने देखा कि संसार में हम कुछ नहीं करते। हम तो मात्र ईश्वर के हाथ के इशारे पर नाचती कठपुतलियां हैं। सुख, दुख, अच्छा बुरा एक अहसास है। जैसा जो करता है उसका फल भी वैसा ही मिलता है। कई लोग करोड़ों कमाते हैं फिर भी सुखी नहीं महसूस करते। उनके पास समस्त साधन होते हैं तब भी मन को संतोष नहीं मिलता। कुछ लोग केवल अपनी

लोभ–लालसा एवं लालच के वशीभूत होकर अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं और कुछ संयम एवं संतुष्टि से इतना कमाते है कि स्वयं का भरण–पोषण हो और उनके द्वार से कोई भूखा न जाए। रहीम ने ठीक ही कहा है –

रहिमन इतना दीजिए, जामे कुंटुंब समाय।
आप न भूखा रह सके, साधु न भूखा जाए।

विज्ञान का यह सिद्धांत अटल है कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। जैसा कारण होगा उसका परिणाम वैसा ही होगा। इसलिए दुष्कर्मों का परिणाम तत्काल न भी मिले, वह हमारे खाते में जमा हो जाता है। पूर्व जन्म में किये पाप का फल मनुष्य इस जन्म में भोगता है। इस प्राचीन मान्यता को न भी माने तो भी कुछ समय पहले जो बीज हम डालते हैं, वही समय आने पर फलता है। 'बोये पेड़ बबूल का आम कहां से होए' इसी सत्य को रेखांकित करता है। इसका उपचार भी संतों ने बताया है कि 'जो तोको कांटा बुवै, ताको बुवै तू फूल। तोको फूल के फूल हैं, वाको है तिरशूल'।

प्रजातंत्र और कुआं

बी.प्रभु, उप प्रबंधक

वैसे तो दुनिया भर में कई गणतंत्र है जहां प्रजातांत्रिक ढंग से शासनप्रणाली काम करती है। इन में जहां अमेरिका एवं इंग्लैंड सहित तमाम यूरोपियन देशों में प्रजातंत्र है, वहीं ऐशिया में भी कई देशों में सफलतापूर्वक जनतंत्र काम कर रहा है। इन सबमें भारत का स्थान सर्वोपरि है। वह न सिर्फ आकार एवं जनसंख्या में विशाल है बल्कि पिछले 66 वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है जबकि कई देशों में बीच में फौज या तानाशाहों का शासन भी कायम हो चुका है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। उसका कारण भारत की विशाल जनसंख्या है। प्रजातंत्र में संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे, अगर गुण महत्वपूर्ण होता, तो हमारा प्रजातंत्र सबसे गुणवान ही होता। कारण, हमारा प्रजातंत्र (डेमोक्रेसी) सर्वगुणसंपन्न है। ठीक वैसे ही सर्वगुणसंपन्न, जितना शादी के वास्ते दिखायी जाने वाली एक लड़की। कुछ गुण उसमें होते हैं, कुछ जोड़ दिये जाते हैं। हमारे प्रजातंत्र में भी कुछ ऐसे गुण जोड़े गए हैं, जिसके बारे में दूसरे प्रजातंत्र में कल्पना भी नहीं की जा सकती।

यूं तो प्रजातंत्र (डेमोक्रेसी), विदेशी विचार से उपजी राजनैतिक व्यवस्था है। जब प्रजातंत्र हमारे हाथ लग गया, तो हमने वही किया, जो करने में हम माहिर है – यानि की मिलावट। अरे भाई इसे गलत नहीं समझना, मिलावट शब्द बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है। मिलावट तो सिर्फ मेल–मिलाप जैसा शब्द है। कहने का अर्थ है कि जब आदमी लोग मिलते हैं, तो उसको मेल–मिलाप बोलते हैं। जब किसी चीज में कोई वस्तु मिलती है तो उसको मिलावट बोलते हैं। अब अगर मेल–मिलाप नकारात्मक नहीं है, तो फिर मिलावट कैसे हुआ? खैर, हम सब हिंदुस्तानियों ने प्रजातंत्र (डेमोक्रेसी) के विदेशी विचार में खास हिंदुस्तानी गुण मिला दिये। उससे हिंदुस्तानी प्रजातंत्र का एक खास शैली में विकास हुआ। इस विकास की तुलना को हम दूध में पानी मिलाने से भी कर सकते हैं। पानी मिलाने से एक बड़ा फायदा होता है। दूध की मात्रा बढ़ जाती है और दूध वाले का आर्थिक विकास होता है। प्रजातंत्र में मिलावट करने से नेता लोगों को भी दूधवालों जैसा फायदा होता है। अगर आप मानते हैं कि दूध में पानी मिलाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो फिर आपकी सोच नकारात्मक है। उलटे इसका लाभ यह है कि पानी मिला दूध हजम करना अधिक आसान हो जाता है। भारतीय प्रजातंत्र का हाजमा भी बहुत अच्छा है। तभी तो बहुत से नेता सब कुछ हजम कर जाते हैं। हमारे देश में तो ऐसे–ऐसे नेता हैं जो पशुओं का चारा हजम कर जाते हैं और स्पोर्टस के सामान से लेकर सूचना तंत्र, सड़के, पुल तथा रेल व कोयला तक डकार जाते हैं। बावजूद इसके शान से ताल ठोंक कर चुनाव में कूदते हैं और जनता के आगे एक सांप्रदायिकता का भूत खड़ा कर देते हैं। देश टूटने का संकट पैदा कर देते हैं। इस प्रजातंत्र में हिंदुस्तानी गुण मिलाने से कई और फायदे हुए हैं। धर्म और जाति के नाम पर लोग जागृत हो गये। हिंदुस्तान अनेक जाति और धर्म का देश है। प्रजातंत्र ने इस जाति और धर्म को विकसित किया। इस विकास से वोट बैंक नाम की संस्था विकसित हुई। वोट बैंक में, बैंक काफी महत्वपूर्ण शब्द है। हिंदुस्तानी प्रजातंत्र ने अपना लक्ष्य पाने के लिए शानदार ध्येय–वाक्य बनाया – सत्यमेव जयते। कुछ लोग ये वाक्य सुन कर हंसते हैं। हंसने वाले लोग शायद नहीं जानते कि सत्य कब जीतता है? तब, जब वो असत्य से लड़ता है। यानि कि असत्य के बिना सत्य की क्या महत्ता रह जाती है। अच्छाई के सामने बुराई भी तो होनी ही चाहिए। मतलब, सत्यमेव को जयते बनाने की खातिर असत्य का मौजूद होना जरूरी है। मतलब, सत्य को कायम रखने के वास्ते असत्य को कायम रखना जरूरी है। हमारे नेता लोग ये सार्थक काम बड़ी कुशलता से करते हैं। हमारा प्रजातंत्र महान है, यही कारण है कि देश का हर झूठा नेता सत्य का पक्षधर है। सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाला सबसे बड़ा सेकुलर होता है।

क्या आपको नहीं मालूम था आप मालूम नहीं करना चाहते कि देश को सबसे ज्यादा लूटने वाले और परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने वाले सबसे बड़े प्रजातंत्र एवं सेकुलरिज्म के ठेकेदार बनते है यह बात अलग है कि उसे पोषित करने के लिए सांप्रदायिक दंगे उन्ही के शासन काल में होते हैं। मतलब साफ है कि सेकुलरिज्म का महत्व तो तभी होगा जब सामने सांप्रदायिकता को खड़ा रखा जाए। कहते हैं कि रोम एक दिन में नहीं बना था। क्या आपको मालूम है रोम जल्दी क्यों नहीं बना? शायद इसे हिंदुस्तान से बना कर इटली भेजा गया था। अरे भाई हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के अलावा कोई भी काम जल्दी करना मना है।

हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना करने वाले लोग बड़े दूरदर्शी थे। तभी तो उन लोगों ने स्पीकर की कुर्सी के सामने बड़ी सी खाली जगह छोड़ी। और उस खाली जगह को नाम दिया – 'वैल ऑफ द हाउस'। जिसको अंग्रेजी में 'वैल' बोलते हैं, उसको हिंदी में कुआं बोलते है। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र की स्थापना करने वाले लोग ने ये कुआं क्यों बनाया? कारण, वे जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, जब देश के नेता लोग कुएं में कूद जाएगें। वैसे, जब कोई नेता कुएं में कूदता है तो अकेला नहीं कूदता। उसके साथ–साथ देश का वो हिस्सा भी कुआं में जा गिरता है, जिसका नेता प्रतिनिधित्व करता है।

नेता कुआं में क्यों कूदते हैं? क्योंकि नेता अच्छे तैराक होते हैं। क्या हमारा देश भी अच्छा तैराक है? क्या ये देश तैरना जानता भी है? कोई दिन, कहीं ऐसा न आवे कि कुआं में कूदे नेता और डूब जावे देश? हमारे देश का डेमोक्रेसी में अब कुछ भी असंभव नहीं लगता।

देश के हमारे इन नेताओं ने पिछले पांच साल संसद में शोर मचाकर गुजार दिए। कहते हैं कि संसदीय इतिहास में यदि सबसे कम संसद चली है तो इन्हीं पांच सालों में। सत्ता पक्ष कहता है कि विरोधी पक्ष संसद नहीं चलने देते जबकि विरोधी पक्ष का कहता है कि सत्ता पक्ष संसद चलाना ही नहीं चाहता। इसीलिए वह लगातार घोटालों पर घोटाले करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम तो चाहते हैं कि संसद चले, पर प्रधानमंत्री आकर कुछ बोलें तो, आश्वासन दें कि आगे ऐसा कुछ घटित नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री विशुद्ध राजनीति की उपज नहीं हैं, इसी कारण वे शोर–शराबा पसंद नहीं करते और मौन धारण कर बैठे रहते हैं। उन्हें गांधी जी के तीन बंदरों की फिलॉसफी बेहद पसंद है, इसी कारण वे न तो बुरा देखते हैं, न बुरा सुनते हैं और न बुरा कहते हैं। प्रधानमंत्री के इस मौन का असर यह हुआ कि विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष के लोग भी संसद चलने में रोडा लगाते रहे और हर रोज संसद के कुंए में कूदते रहे। अब देश डूबे तो डूबे, उनकी बला से ।

सकारात्मक आत्म चिंतन

रंजन कु० बरूआ, क्षेत्रीय प्रबन्धक

जब सकारात्मक आत्म चिंतन की बात मन में आती है तो अक्सर अखबारों की मुख पृष्ठ की खबरों का ख्याल आ जाता है जिसमें सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक चिंतन को ज्यादा तरजीह दी जाती है। इसका संभवत मुख्य कारण अखबार की लोकप्रियता से जुड़ा होता है एवं सही भी है कि अगर आज हम भी अखबार पड़ेंगे तो नकारात्मक एवं आलोचनात्मक खबरों को चटखारे लेकर रूचि से पढ़ा जाता है। महान संपादक श्री अक्षय कुमार जैन ने लिखा है कि लोग अखबारों को चटपटी खबरों के लिए पढ़ते हैं यदि सीधी–सपाट खबरें हो फिर उन्हें कौन पढ़ना चाहेगा। यही कारण है कि लोग नकारात्मक खबरों में सकारात्मक तत्व ढूंढने की कोशिश करते हैं।

इसी संदर्भ में एक घटना याद आती है कि सन् 1917 ई0 में होने वाली क्रांति के पहले की बात है काउट विल्टे रूस के प्रधानमंत्री थे एवं उनकी कार्यप्रणाली से जनता के कुछ वर्ग असंतुष्ट थे एवं उनके विरुद्ध अखबारों आदि में काफी लिखा जाता था। कुछ संपादक एवं कुछ लेखक लगातार उनके विरुद्ध लिखा करते थे।

एक दिन विल्टे जी ने अपने प्रेस अधिकारी को बुलाया एवं उन्हें कहा कि ऐसे संपादकों और पत्रकारों की सूची तैयार करो जिन्होंने मेरे बारे में पेपरों में आलोचनात्मक टिप्पणियां लिखी हैं। उनके आदेश पर ऐसे पत्रकारों आदि की सूची बनाकर उनके अधिकारी ने उन्हें पेश की और पूछा कि क्या सर आप इन्हें दंडित करने की योजना बना रहे हैं। परंतु आशा के विपरीत विल्टे जी ने उत्तर दिया – "जिस व्यक्ति ने मेरी शासन प्रणाली के विरुद्ध तर्कपूर्ण नकारात्मक एवं तीखी टिप्पणी लिखी होगी, उसे मैं अपना सलाहकार बनाऊंगा और उन्होंने ऐसा किया भी। श्री विल्टे का कहना था कि – "वही सच्चा हितैषी होता है जो गलत कार्यों की आलोचना करके सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। कट्टर से कट्टर विरोधी की बात भी ध्यान से सुनकर उसे समझने की कोशिश करने वाला कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता।

परंतु कितने व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार की सोच रखते हैं एवं अधिकांश व्यक्ति अपने विशेष प्रकार के चिंतन की सीमाओं में बंधे रहते हैं और बाहर के विचारों को वह अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आसानी से प्रवेश नहीं करने देते। हमारे चिंतन का निर्माण तथा व्यवहार के स्वरूप का निर्धारण उस वातावरण से होता है जिसमें हमारा पालन पोषण हुआ है यानि परिवार, धर्म, परपंराएं आदि से हमारा पूर्ण व्यक्तित्व बनता है।

अगर यह कहा जाए कि हमारे विचार प्राय उधार लिए होते हैं तो गलत नहीं होगा, परंतु हम प्रकट यह करते हैं कि ये विचार हमारे अपने हैं। स्थिति स्पष्ट है हम प्रत्येक क्षण अन्य व्यक्तियों के विचारों के संपर्क में आते रहते हैं। पढ़कर सुनकर हम कुछ विचारों को ग्रहण कर लेते हैं और कुछ विचारों को त्याग देते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि हम कुछ विचारों को सर्वस्व समझ बैठते हैं और किस अप्रिय विचार का जीवन में स्वागत ही नहीं करते। रुस के शासक का उदाहरण हमें ऐसी ही स्थिति के प्रति विचार करने के लिए प्रेरित करता है; क्योंकि अनुपयोगी विचारों का त्याग एवं उपयोगी विचारों का ग्रहण सदैव आवश्यक है। यानि विचारों के त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया निरंतर एवं शाश्वत रूप से चलती रहनी चाहिए। परंतु आवश्यक यह है कि युवा वर्ग जीवन के प्रति गहरी दृष्टि रखे, यानी जीवन में घटने वाली घटनाओं के प्रति सजग रहे और उनके प्रति गहरी पैठ करने का भी प्रयास करें तब हमारी समझ में यह बात आएगी कि हमारे व्यक्तित्व कई कोटि के हैं अथवा हमारे एक से अधिक "मैं" का निर्माण होता रहता है अथवा यह कहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक से अधिक "मैं" का धनी होता है।

आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि रूस के जिस शासक ने अपने प्रबलतम आलोचक को अपना परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय किया था उसका "मैं" कितना सकारात्मक एवं आत्म वितारशील रहा होगा और सकारात्मक "मैं" को सशक्त एवं उदार बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को लक्ष्य करके शायद रहीम ने ये पंक्तियां लिखी होंगी –

निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल कने सुभाय

कहना यह है कि नकारात्मक "मैं" को विकसित न होने देना ही जीवन निर्वाह की कला है और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आंतरिक व्यक्तित्व को नकारात्मक सोच विचारों एवं अभावात्मक व्यवस्था से असंतृप्त रखें, तभी हम स्वनिर्मित बंदीगृह से अपना पीछा छुड़ाकर जीवन का आनंद ले सकेंगे।

मोक्ष

ध्यान की प्राप्ति के पथ पर सिद्धार्थ की मुलाकत हठधर्मी अनेक महात्माओं से हुई और वे भूख, प्यास, सर्दी–गर्मी पर विजय प्राप्त कर मोक्ष की साधना में ध्यानमग्न थे। वे स्वयं के लिए मोक्ष चाहते थे। सिद्धार्थ सबके हिस्से में मोक्ष चाहते थे। वे चाहते थे सभी को दुःखों से छुटकारा मिले। शांति का पथ कैसा हो? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मार्ग कैसा हो? इन सभी मार्गों को प्राप्त करने के लिए उन सभी हठधर्मी महात्माओं का भी सिद्धार्थ को आर्शिवाद प्राप्त था। हम सिद्धार्थ की तरह गौतम बुद्ध नहीं बन सकते मगर बहुआयामी प्रतिभा के धनी बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता।

"स्वामी तथागत भारती"

प्रतीक्षा

डॉ. जी.एन. सोमदेवे, सहा. म.प्र. एवं संपादक

गांव के एक बुजुर्ग नेताजी का स्वर्गवास हो गया, उनकी उम्र कोई 80 से कम नहीं होगी। मित्रगण उन्हें बराबर याद करते रहे। उनसे मुलाकात हुए 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया था। चूंकि उनके पास मोबाइल या फोन जैसा कोई साधन नहीं था इसलिए बात भी न हो सकी थी। कइयों का गांव आना–जाना महज चंद घंटे या दिनों के लिए होता। पता करने पर बतलाया जाता कि आप कहीं बाहर गये हैं। मुलाकात न हो पाती, चर्चा न हो पाती। दिन बीतते गए और वर्षों बाद खबर आई की आप इस दुनिया से कूच कर किसी और दुनिया में खो गए हो। खबर देने वाला भी उनका ही एक मित्र था। उस मित्र ने खबर दी कि नेता जी चल बसे।

मुझे याद आता है वह समय जब मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता था। मेरे घर के सामने वाली चॉल के पहले मकान में किसी के घर आप मेहमान थे। मेरे पिता जी अक्सर उदाहरण दिया करते कि वह कौन इंसान है जो इतना व्यस्त रहता है कि मैदान में शौचालय जाते वक्त अखबार साथ रखता है एवं शौच करते हुए पढ़ता है? वह कोई और नहीं, वह आप थे। सफेद झक्क खादी वस्त्रों में आपका डील डौल निराला ही था। आप उस वक्त नेताजी के रूप में सर्वत्र पूजनीय थे। लोगों से उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सदैव आप घिरे रहते थे। जगह–जगह आपका सम्मान होता मैंने देखा है। एकदम नये कोरे खादी के सफेद वस्त्रों में आप होली खेलते। मुझे याद है टेलर ने आपके खादी के पैजामे में किसी और सूती वस्त्र का नाड़ा डाल दिया था तब आप उस पर खूब बिगड़े थे। वह टेलर कोई और नहीं मैं स्वयं था। बाद में खादी का ही नाड़ा सिलकर आपको दिया गया था तब जाकर आप शांत हुए थे। आप जीवनभर एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े रहे किंतु राजनीति में ज्यादा सफलता आपके हिस्से न आ सकी। मैंने सुना है आप आईटीआई के सलाहकार मंडल में, राज्य वन सलाहकार समिति में, रोजगार नियोजन सलाहकार समिति में नामित किये गये थे। आप विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) भी नामित किये गये थे। इससे ज्यादा कुछ प्राप्त न हो सका। जहां तक मेरी जानकारी है। मैंने सुना था कि देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री आपके सहपाठी थे परंतु आपने जिंदगी में उनसे कुछ नहीं मांगा। कभी एक पेट्रोल पंप लेने की बात आपने की थी। मगर आपने बतलाया कि मित्र से कभी कुछ मांगने की आपकी हिम्मत नही हुई। नागपुर के नामी कॉलेज से ग्रेजुऐशन किया आपने, परंतु आप सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य में जुटे। आपको अफसर की नौकरी बड़ी आसानी से मिल सकती थी। आप बड़े पद से सेवानिवृत्त होते। महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री के तो आप मानस पुत्र के रूप में जाने–जाते थे। वे हमेशा आपको अपने साथ रखते लेकिन कालांतर में राजनीति बाजों और आपके विरोधियों को आपका और उनका साथ पसंद नहीं आया और उनकी मृत्युपश्चात आपको राजनीति से अलग कर दिया गया। यह सारी बाते मुझे आपके सहयोगियों ने बतलाई थी। चुनाव के वक्त आपकी बहुत पूछताछ बढ़ जाती थी और तब राजनीतिक पार्टियां आपकी सहायता हेतु लालायित रहती। आदिवासी और गरीब क्षेत्रों में आपकी अच्छी पैठ थी। लोग आपको आदर देते और आपकी बात मानते थे। चुनाव के वक्त ही आपकी थोडी कमाई हो जाती थी। शेष समय में मैं नही समझता कि आमदानी का और कोई जरिया आपके पास था। अगर था तो केवल एक बड़ा परिवार। पांच–छह बच्चे, पिता और आने–जाने वाले सगे संबंधी। कैसे गुजारा आप करते होंगे? आज भी आपके कुछ बच्चों की शादियां नहीं हुई है। आमदानी का कोई भी साधन आप जुटा न सके। परिवार के प्रति आपको जिम्मेदारी की समझ तो जरूर रही होगी, मगर किस्मत ने साथ न दिया। लोगों में अच्छी पैठ व सम्मान होने के कारण आप सांसद, मंत्री या विधायक तो बन ही सकते थे। ऐसा क्या हुआ कि आपको हाशिये पर फेंक दिया गया? कुछ लोग चंद दिनों की नेतागिरी में ही मालामाल हो जाते हैं मगर जीवनभर की नेतागिरी के पश्चात आपके हिस्से कंगाली क्यों आई? मेरा मानना यही है कि जिसके पास अपना खाने–पीने का इंतजाम पहले से हो वह सफल नेतागिरी कर सकता है। घर में खाने पीने का इंतजाम करने के लिए की गई नेतागिरी सफल नहीं होती। दूसरा यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जन्म का स्थान चुनना हमारा अधिकार होते हुए भी गलत स्थान में जन्म लेना दुख का बड़ा कारण है। आपने गलत जगह चुनी जन्म लेने के लिए। आप महज 40 कि.मी. दूर आदिवासियों के बीच मध्य प्रदेश के जंगल में पैदा होते तो आप बड़े सफल राजनीतिज्ञ होते। महाराष्ट्र में अधिक शिक्षित एवं जाग्रत लोग हैं। वहां बाहरी आदमी की नेतागिरी नही चलती, जबतक आपका कोई ठोस आधार न हो। मित्र आपका कोई विशेष आधार नही था। बस यही वजह थी की आप महाराष्ट्र की राजनीति में जम न सके। आपके नाम के साथ भाऊ साहेब, दादा साहेब, राव साहेब, ऐसा संबोधन भी नहीं था। न आप पाटील थे और न ही देशमुख। मैं समझता हूं एक साधारण आदमी को महज अपनी योग्यता के आधार पर राजनीति प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। साम, दाम, दंड और भेद के आधार पर राजनीति का सूत्रपात होता है। आप इन सबसे तालमेल नही बिठा सके। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में दलित आदिवासियों की राजनीति चमक नहीं सकती। इसका मित्र आपने ठीक–ठीक अनुमान नहीं लगाया।

मित्र आपके और आपके परिवार के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करते हुए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में आप किसी बड़े राजनीतिज्ञ के घर जन्म लें, ताकि आप अपनी सभी काबिलियत के बलपर सफल राजनीतिज्ञ बन सकें। मित्र में आपके मृत्यु का समाचार पाकर व्यथित हुआ। मेरा पूरा परिवार गमगीन हुआ। मैं व्यथित तब भी हुआ था जब हम दोनों के एक मित्र 'पहलवान' का निधन हुआ। उनसे मेरी दोस्ती गांव में चर्चा का विषय थी। मैं उनका निजि सहायक था और वे मेरे मार्गदर्शक। सगे बड़े भाई से बढ़कर। खैर वह अलग कहानी है। सरपंच जी के निधन पर भी मैं बहुत गमगीन हुआ था। उनका इलाके में कितना मान सम्मान था। गांव की शान थे वे मेरे ससुर के मित्र होने के नाते मुझे जमाई मानते थे। मैं जानता हूं आप जैसे लोग बारबार इस धरती पर जन्म नहीं लेते। हमारा गांव धन्य हुआ आप जैसे धरती पुत्रों को पाकर। आपके माता–पिता भी धन्य हैं जिन्होंने आप जैसे पुत्रों को जन्म दिया। इलाके के बुद्धिजीवियों को अवश्य ही आप सब पर गर्व है और रहेगा। आप लोगों का जन्म लेना परमात्मा की असीम कृपा का प्रसाद है। मैं आपको तहे दिल से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे नतमस्तक प्रणाम स्वीकार करें।

आपके धरती पर शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा में।

घमंड का अंत

स्तुति ऋचा, प्रबंधक

जंगल का राजा शेर, एक दिन जंगल में चहलकदमी कर रहा था, तभी अचानक उसे एक भेड़ दिखी और उसने भेड़ का शिकार करने की सोची। भेड़ का शिकार करने के पश्चात शेर उसको खाने ही वाला था, कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ चला जहां उसे कराहता हुआ एक सियार मिला। उसने गीदड़ को सहारा दिया और उसे लेकर अपनी मांद में चला गया और उसकी मरहम पट्टी की। धीरे–धीरे सियार के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वह ठीक हो चला। काफी दिन गुजरने के बाद, शेर ने कहा कि अब वह स्वस्थ हो गया है, इसलिए उसे अपने घर चले जाना चाहिए। गीदड़ ने शेर से करुणापूर्वक विनती की और कहा कि महाराज मुझे अपने

पास रख लीजिए किसी कोने में पड़ा रहूंगा और आपकी सेवा में लगा रहूंगा, आपके छोटे–मोटे काम कर दूंगा, महाराज मुझे अपना सेवक नियुक्त कर लीजिए। गीदड़ ने यह भी विनती करते हुए कहा – बदले में आप मुझे कुछ मत देना, बस खाने के लिए आपका छोड़ा हुआ शिकार दे देना, मैं वही भोजन कर लूंगा।

काफी सोच–विचार के बाद शेर ने कहा, "ठीक है, तुम यहां रह सकते हो, मेरी थोड़ी सहायता भी हो जाएगी। घर की चौकीदारी तो कर ही सकते हो। अब शेर शिकार करता और उसका छोड़ा हुआ शिकार गीदड़ को भोजन के रूप में प्राप्त करने लगा। गीदड़ के लिए शेर की जूठन ही बहुत मजेदार एवं पौष्टिक होती। गीदड़ दिन पर दिन स्वस्थ और मोटा–ताजा होता गया। जिस प्रकार मानव समाज में किसी बड़े नेता के चमचे भी खुद को नेता एवं स्वामी मानने लगते हैं, वैसे ही गीदड़ भी शेर का संरक्षण पाकर वह स्वयं को जंगल का राजा समझने लगा। गीदड़ अब जानवरों पर धौंस जमाने लगा, उन्हें धमकाने, डराने लगा। धीरे–धीरे गीदड़ की बदमाशी एवं दादागीरी बढ़ती गई और वह अहंकार में चूर होकर खुले आम स्वयं को जंगल का राजा, बताने लगा।

एक दिन शेर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अतः वह शिकार पर नहीं जा सका। गीदड़ ने खुद को जंगल का राजा मानते हुए सारी हदें पार कर दीं और शेर के पास जाकर बोला – "आज मैं शिकार करके लाऊंगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ शिकार खाओगे", बताओ किस जानवर का शिकार करूं मैं? शेर को काफी गुस्सा आया पहले तो उसने सोचा कि गीदड़ को अभी ही सबक सिखा

दूं। पर उसने सोचा कि अहांकरी का सिर तभी नीचा होगा, जब उसे सच्चाई का अहसास हो। फिर उसने अक्ल लगाई और कहा, "जाओ, भैंसे का शिकार करके लाओ" सियार ने दूर एक भैंसों का झुण्ड देखा चूंकि गीदड़ को शिकार करने का अभ्यास नहीं था और जीवन भर दूसरों की जूठन पर जिया था। लेकिन वह अंहकार में चूर था एवं खुद को शेर के समान बलवान मान रहा था, अतः शिकार करने के जोश में वह उनके बीच कूद पड़ा। भैंसों ने उसे अपने सीगों एवं खुरों से क्षत–विक्षत कर दिया और उसे दूर पटक दिया। गीदड़ को दिन मैं तारे नजर आने लगे वह एक गड्डे में पड़ा सोचने लगा, "मैंने बुरा किया, जो अपनी क्षमताओं का गलत आंकलन किया और शेर के उपकारों के बदले और उसकी सहनशीलता के बदले, उसे उपेक्षित किया और जिसका फल यह है कि अंततः मैं अपने कर्मों का फल भोगते हुए आज यहां असहाय पड़ा हूं। काश मैंने उसके एहसानों को पहचाना होता और उसका आदर करता और मैं इस प्रकार घमंड में चूर न होता, तो मेरा अंत इतना दयनीय एवं अशोभनीय न होता। मतलब स्पष्ट है कि व्यक्ति को कभी भी अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं को नहीं भूलना चाहिए।

दृष्टि

स्वर्ग और नरक मनुष्य के जीवन को देखने के दृष्टिकोण है। न तो नरक कहीं नीचे है और न कहीं स्वर्ग ऊपर। मनुष्य की दृष्टि में वे दिव्य है। कैसे हम देखते हैं? तो यदि दुख पाना है तो जीवन में अंधेरी रातों को खोजें और अगर आनंद की तरफ आंखे उठानी हैं तो जीवन में फूल भी खिलते हैं, उनको देखें। अपनी दृष्टि में खोजे कि दुख कहां है, पीड़ा कहां है – वहां देखें और वहां कारण स्पष्ट मिल जाएंगे और उन कारणों को बदलना जरा भी कठिन नहीं है।

ओशो

कशेरुकाशोथ (Spondylitis)

डा० वर्षा सोमदेवे, एम.बी.बी.एस
व्याख्याता एवं परीक्षक - इंडियन रेडक्रॉस एवं से. जॉन एम्बूलन्स

कशेरूकाशोथ जिसे पहले बेक्टू के नाम से जाना जाता था, एक दीर्घकालिक संधिशोथ और स्वक्षम रोग है. यह रोग मुख्यतया मेरू–दण्ड या रीढ़ के जोड़ों को प्रभावित करता है। यह सशक्त आनुवंशिक प्रवृत्तियुक्त स्पाडिलांइटिस रोगों के समूह का एक सदस्य है। संपूर्ण संयोजन के परिणामस्वरूप रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से अकड़ जाती है, जिसे बांस जैसी रीढ़ (बैंबू स्पाइन) का नाम दिया गया है.

चिन्ह और लक्षण

18–30 वर्ष की उम्र में इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग या कभी–कभी समूची रीढ़ में दीर्घकालिक दर्द और जकड़न जो अकसर एक या दूसरे नितंब या त्रिकश्रोणिफलक संधि से जांघ के पिछले हिस्से तक महसूस होता है।

स्त्रियों की अपेक्षा पुरूष 3:1 के अनुपात में प्रभावित होते हैं और इस रोग के कारण पुरूषों को स्त्रियों की अपेक्षा अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। 40% मामलों में स्पाडिलांइटिस में में आंख का शोथ होता है जिससे आंखों का लाल हो जाना, दर्द होना, अंधापन, आंखों के सामने धब्बों का दिखना और प्रकाश चकाचौंध आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। एक और सामान्य लक्षण है व्यापक थकान और कभी–कभी उल्टी का होना। महाधमनीशोथ, फुप्फुसशीर्ष की तन्तुमयता और त्रिकज नाड़ी मूल आवरणों का विस्फारण भी हो सकता है। सभी सीरमऋणात्मक स्पाडिलांइटिस का संधि रोगों की तरह नाखून अगूंठों से अलग हो कर निकल सकते हैं।

8 वर्ष से कम की उम्र में होने पर यह रोग भुजा या पैरों के बड़े जोड़ों, विशेषकर घुटने में दर्द और सूजन उत्पन्न कर सकता है। यौवनारम्भ के पहले की उम्र के मामलों में दर्द और सूजन एड़ियों व पांवों में भी प्रकट हो सकता है जहां पार्ष्णिका प्रसर भी विकसित हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी बाद में प्रभावित हो सकती है।

अकसर विश्राम की स्थिति में दर्द अधिक तीव्र होता है और शारीरिक गतिविधि से कम होता है, लेकिन कई लोगों को विश्राम और गतिविधि दोनों स्थितियों में विभिन्न मात्रा में शोथ व दर्द का अनुभव होता है।

विकारी शरीर क्रिया

स्पॉडिलाइटिस एक सार्वदैहिक आमवाती रोग है यानी यह सारे शरीर को प्रभावित करता है और सीरमऋणात्मक कशेरूकासंधिविकारों में एक है। यह सिद्ध नहीं हुआ है कि इस अंतः क्रिया के लिये किसी स्वप्रतिजन की जरूरत होती है और कम से कम प्रतिक्रियात्मक संधिरोग समूह में, जो संक्रमण के बाद होता है, आवश्यक प्रतिजनें संभवतः अंतर्कोशिकीय लघुजीवाणुओं से उत्पन्न होती हैं।

तर्क है कि क्लेबसियेला के मुख्य पोषजों(स्टार्च) के निकास हो जाने पर रक्त में प्रतिजनों की मात्रा कम हो जाती है और पेशी व हड्डियों के लक्षणों में कमी आती है।

स्पॉडिलाइटिस के निदान के लिये कोई सीधी परीक्षा उपलब्ध नहीं है। चिकित्सकीय जांच और मेरू–दण्ड के एक्सरे अध्ययन जिसमें मेरू में विशिष्ट परिवर्तन और त्रिकश्रोणिफलकशोथ दिखाई देते हैं, शामिल है। एक्सरे निदान की एक कमी यह है कि स्पॉडिलाइटिस के चिन्ह और लक्षण एक्सरे फिल्म पर दिखने के 8–10 साल पहले ही अपना स्थान बना चुके होते हैं, जिसका मतलब है कि पर्याप्त उपचार शुरू करने में 10 साल तक की देर हो जाती है। जल्दी निदान के उपायों में त्रिकश्रोणिफलक संधियों की टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजनेंस इमेजिंग उपलब्ध हैं लेकिन इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध है। जांच के समय शोबर्ज टेस्ट कटिप्रदेश की रीढ़ के आकंचन का एक उपयोगी चिकित्सकीय पैमाना है.

तीव्र शोथीय कालों में स्पॉडिलाइटिस के मरीजों के रक्त में सी–रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) की मात्रा में वृद्धि और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट (ESR) में बढ़त देखी जाती है किंतु अनेक रोगियों में CRP और ESR नहीं बढ़ता है, अतः CRP और ESR सदैव व्यक्ति के वास्तविक शोथ की मात्रा को परिलक्षित नहीं करते हैं। कभी–कभी स्पॉडिलाइटिस से पीड़ित लोगों में सामान्य परिणाम होते हैं लेकिन उनके शरीर में शोथ ध्यान देने योग्य मात्रा में होता है।

बाथ स्पॉडिलाइटिस फंक्शनल पैमाना (BASFI) एक क्रियात्मक पैमाना है जो रोगी में रोग से उत्पन्न क्रियात्मक क्षति और उपचार के बाद हुए सुधार को सही

तरह से नाप सकता है। BASFI को सामान्यतः निदान के औजार के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता बल्कि रोगी की वर्तमान दशा और उपचार के बाद हुए लाभ का पता लगाने के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

उपचार

स्पॉडिलाइटिस का कोई पूर्ण रोगमुक्त करने वाला उपचार ज्ञात नहीं है, यद्यपि लक्षण और दर्द कम करने के लिये उपचार और दवाईयां उपलब्ध हैं।

दवाईयों के साथ भौतिक उपचार और व्यायाम स्पॉडिलाइटिस के इलाज का मूल हैं. फिजियोथेरेपी और शारीरिक व्यायाम औषधिक उपचार से शोथ और दर्द को कम करने के बाद कराए जाते हैं और सामान्यतः चिकित्सक की देख–रेख में किये जाते हैं। इस तरह की गतिविधियों से दर्द और अकड़न को कम करने में मदद मिलती है जबकि सक्रिय शोथीय स्थिति में कसरत से दर्द और बढ़ जाता है। रोग के लक्षणों के कारण सामान्य काम–धन्धों में व्यवधान आता है।

कुछ लोगों को लाठी जैसे चलने के सहारे की जरुरत पड़ती है जो चलने और खड़े रहने के समय संतुलन और प्रभावित जोड़ों पर जोर पड़ने से रोकता है। कई रोगियों को 20 मिनट जितने लंबे समय तक बैठने या खड़े होने में बड़ी कठिनाई होती है इसलिये उन्हें बारी–बारी से बैठना, खड़ा होना और विश्राम करना पड़ता है।

चिकित्सा–विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छी शारीरिक मुद्रा बनाए रखने से निदान किये हुए लोगों के एक बड़े प्रतिशत में संयोजित या वक्र मेरू–दण्ड की संभावना कम की जा सकती है। स्पॉडिलाइटिस के उपचार के लिये शोथ–निरोधी दवाएं उपलब्ध हैं।

प्रतिरोधक दवाओं को सबसे आशाजनक उपचार के रूप में दर्शाया गया है जिसने अधिकांश मामलों में रोग की बढ़त धीमी की है और अनेक रोगियों के शोथ व दर्द में पूरी नहीं तो उल्लेखनीय कमी लाई है। उन्हें न केवल जोड़ों के संधिशोथ बल्कि रोग से उत्पन्न मेरूदणड के संधिशोथ का इलाज करने में भी प्रभावकारी पाया गया है। महंगी दवाईयां होने के अलावा इन दवाओं की एक खामी यह है कि इनसे संक्रमण होने का जोखम बढ़ जाता है। इस वजह से किसी भी अवरोधक से उपचार शुरू करने के पहले क्षयरोग के लिये परीक्षा करने का नियम है। बारंबार संक्रमण होने की स्थिति में या गला खराब होने पर भी उपचार को रोक दिया जाता है क्योंकि स्वक्षम शक्ति कम हो जाती है। दवाईयां ले रहे रोगियों को हिदायत दी जाती है कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें जो किसी वाइरस (जैसे जुकाम या इनफ्लुएंजा) के वाहक हों या जीवाणु या फफूंदी संक्रमण से ग्रस्त हों।

शल्यचिकित्सा

रोग के गंभीर मामलों में जोड़ों खासकर घुटनों और कूल्हों को बदल देने की शल्यक्रिया एक उपाय है। मेरूदण्ड, विशेषकर गर्दन की मुड़ जाने की गंभीर विकृति(तीव्र नीचे की ओर वक्रता) होने पर भी शल्यचिकित्सा द्वारा इलाज संभव है, यद्यपि यह प्रणाली काफी जोखममरी मानी जाती है।

ऊपरी सांसनली में आए परिवर्तनों के कारण सांसनली में नली डालने में कठिनाई हो सकती है, स्नायुओं के कैल्सीकरण के कारण स्पाइनल व एपीड्यूरल एनेस्थीसिया मुश्किल हो सकती है, और कुछ मामलों में बड़ी धमनी में प्रत्यावहन रह सकता है. छाती की पसलियों की अकड़न के कारण श्वासक्रिया मध्यपटीय हो जाती है जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी हो सकती है।

भौतिक चिकित्सा

सभी भौतिक चिकित्साओं के लिये पहले आमवाती रोग विशेषज्ञ की सहमति ली जानी चाहिये क्योंकि जो गतिविधियां सामान्यतः स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लाभदायक होती हैं, वे ही स्पॉडिलाइटिस के रोगी को नुकसान पहुंचा सकती हैं; मालिश और भौतिक हस्तोपचार केवल इस रोग से परिचित भौतिकचिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा ही किये जाने चाहिये। कुछ चिकित्साएं जिन्हें रोगियों के लिये लाभदायक पाया गया है उनमें शामिल है:

- भौतिक चिकित्सा / फिजियोथेरेपी
- तैराकी, वरीयता प्राप्त कसरतों में एक, क्योंकि यह कम गुरूत्वाकर्षण के वातावरण में सभी पेशियों और जोड़ों का समावेश करती है, तथा
- धीमी गति की, पेशियों को सीधा करने वाली कसरतें जैसे खींचना, योग, चढ़ाई, ताई ची, पिलेट्ज विधि आदि.

मध्यम से उच्च असर वाली कसरतों, जैसे धीमे चलने, की साधारणतः सिफारिश नहीं की जाती या कुछ रोक–टोक के साथ करने की सलाह दी जाती है क्योंकि प्रभावित भाग के हिल जाने से कुछ रोगियों में दर्द और अकड़न बढ़ सकती है.

पूर्वानुमान

स्पॉडिलाइटिस में हल्के से लेकर लगातार कमजोर करने वाली और इलाज से नियंत्रित से लेकर अनियंत्रित बीमारी तक हो सकती है। कुछ लोगों के सक्रिय शोथ के बाद कभी–कभार तकलीफ से छुटकारा भी मिलता है, जबकि अन्य लोगों को कभी छुटकारा नहीं मिलता और तीव्र शोथ व दर्द बना रहता है। बिना इलाज किये मामलों में, अधिक समय तक निदान न होने पर, जिनमें उंगली का शोथ या एंथेसाइटिस हुआ हो, खासकर जब मेरू–दण्ड का शोथ सक्रिय न हुआ हो, सामान्य आमवात का गलत निदान हो सकता है। अधिक समय तक निदान न होने पर मेरू–दण्ड का अस्थिह्रास या अस्थिसुषिरता हो सकती है जिससे अंततः दबावजनित अस्थिभंग और कूबड़ हो सकता है। विकसित रोग के विशेष चिन्हों में एक्सरे में स्नायुप्रवर्धों का दृष्टिगोचर होना और मेरू–दण्ड पर अस्थिप्रवर्धों जैसे असामान्य प्रवर्धों का उत्पन्न होना आदि हैं। नाड़ियों के चारों ओर के ऊतकों के शोथ के कारण कशेरूकाओं के संयोजन की जटिलता उत्पन्न होती है.

प्रभावित अवयवों में मेरूदण्ड और अन्य जोड़ों के अलावा हृदय, फेफड़े, आंखें, बृहदांत्र और गुर्दे शामिल हैं। अन्य जटिलताओं में बड़ी धमनी का प्रत्यावहन, अचिल्ज स्नायुशोथ, एवी नोड अवरोध और अमीलायडोसिस हैं। फुप्फुसीय तन्तुमयता के कारण छाती के एक्सरे में शीर्ष की तन्तुमयता दिख सकती है जबकि फेफड़े की कार्यक्षमता की परीक्षा में अवरोधक त्रुटि पाई जा सकती है. बहुत विरल जटिलताओं में नाड़ीतंत्र की समस्याएं जैसे कॉडा इक्विना रोगसमूह शामिल है।

चातुर्य बनाम विवेकहीनता

संजीव कुमार सिंह, उपप्रबंधक

गांधी जी के तीन बंदरों को देखते हुए एक शिक्षक ने सीधे व सरल शब्दों में बताया कि इनमें एक एक बंदर ने आंखे बंद की हुई हैं, दूसरे ने कान और तीसरे ने मुंह। इसका अर्थ है कि न बुराई देखों, न बुराई सुनों और न किसी की बुराई करो। उसका विचार था कि आंखे बंद करने या कान और मुंह बंद करने का मतलब है कि दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर दुनिया लुट रही हो तो भी न तो देखना चाहिए, न सुनना चाहिए और न ही बोलना चाहिए और अगर हम सभी ऐसी शिक्षा का पालन करते रहे तो फिर दुनिया तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए मेरा मत है कि किसी को भी न तो आंखें, कान व मुंह बंद करना चाहिए और न ही चुप बैठना चाहिए। हर अन्याय असत्य के प्रति आंखे व कान खुले रखें और जरूरत पड़ने पर आवाज ऊंची करनी चाहिए।

एक आदमी पक्षियों के बाजार में गया। वह तोता खरीदना चाहता था। उसने एक दुकानदार से तोते की कीमत पूछी। उसने कहा, 'सौ रुपये, क्योंकि यह सब भाषाओं में बोलता है।' पड़ोसी दुकानदार सारी बातें सुन रहा था। खरीददार कुछ देर बाद उसकी दुकान पर चला गया। वहां तोता देखकर उसने कीमत पूछी। उसने कहा, 'पांच सौ रुपये।' 'अरे! पांच सौ रुपये? आखिर इसकी विशेषता क्या है?''

दुकानदार बोला, 'हमारा तोता तत्वज्ञानी है। बोलता कम है, सोचता ज्यादा है। एक तीसरा तोता और है, जो न बोलता है, न सोचता है, पड़ा–पड़ा आकाश को देखता रहता है। वह योगी–जैसा है। उसका मूल्य है, हजार रुपये। उसकी खामोशी और न सोचना ..... सब मूल्यवान है।' उस आदमी ने सोचा, यही मौका है, हमें भी इस दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहिए क्यों न मैं भी जनता के बीच इन तोतों के बेचने की भांति व्यापार करने, जो सिर्फ अपनी व्याख्या से चलता हो। मेरे जीवन का अर्थ है संघर्ष, ताकत, मनोबल और कर्मशीलता। मनोबल से ही व्यक्ति खुद की पहचान बना सकता है, वरना करोड़ों की भीड़ में अलग पहचान नहीं बन सकती। सभी अपनी–अपनी पहचान के लिए दौड़ रहे हैं। कोई पैसे से, कोई अपनी सुंदरता से, कोई विद्वता से, कोई व्यवहार से स्वतंत्र पहचान के लिए कोशिश करता है। एक दिन वही व्यक्ति अपनी नौकरी को छोड़कर समाज सेवा के लिए निकल पड़ा। पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने देखा कि एक आदमी सिगरेट पी रहा था। उसने उसके लिए एक हाथ से भी ज्यादा लंबी नली लगा रखी थी। किसी ने पूछा, 'अरे भाई, इतनी लंबी नली क्यों?' वह बोला, 'स्वास्थ्य–रक्षा से पढ़ा है कि नशीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसे पास कैसे ला सकता हूं?' बस फिर क्या था, उस चतुर व्यक्ति को इसी उदाहरण से एक दिशा मिल गई। उसने समझ लिया कि लोगों को ऐसे ही अप्रत्यक्ष रूप से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसे मालूम था या फिर वह मानता था कि जो मैं कहता हूं या करता हूं। वह ही सत्य है, बाकी सब गलत है। इसीलिए वह जा पहुंचा एक बस्ती में जहां उसके अनुसार कोई पढ़ा–लिखा एवं जागरूक नहीं था। वह हर किसी को समझाता कि उसके पास हर समस्या का समाधान है। बस लोग उसकी बात माने और जो वह कहता है वही सब करते जाएं। लोगों ने उसकी बातें आंखे बंद कर मान लीं। सच तो यह है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी समस्या एवं अधिकारों के लिए कोई दूसरा अगुवा बन जाए, बस उसे आगे की पंक्ति पर न खड़ा होना पड़े। आज भी लोग कम पढ़–लिखे व बहुत कम जागरूक होते हैं। गरीब एवं झोपड़ पट्टी वालों की बात को छोड़िए बल्कि पढ़े–लिखे लोग भी आज ऐसी विवेकहीनता दिखा रहे हैं। आज हाल यह है कि चेतना को दूषित करने वाली स्थितियों और विचारों पर खामोश रहते हैं। कोई भी आकर उनका हितैषी बनने का नाटक कर उनकी भावनाओं से खेलता है। उनके नाम पर संघर्ष का नाटक कर अपना उल्लू सीधा करता है और बेचारी जनता वैसी की वैसी ही रह जाती है।

आज हमारे समाज की स्थिति कुछ तीन बंदरों जैसी ही हो गई है। समाज में बच्चों, औरतों एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के लिए सभी ने आंखें व कान ही नहीं बंद किए, बल्कि मुंह भी बंद कर रखा है। यही कारण है कि कुछ गिनेचुने लोग ही वर्षों से सत्ता सुख भोग रहे हैं। संविधान के अनुसार तो वे हमारे जन–सेवक हैं, किंतु उन सबका आचरण राजाओं, नवाबों एवं समाज एवं धर्म के ठेकेदारों की भांति हो गया है। यही कारण है कि जब कोई कानून या अधिनियम पारित होता है तो सत्ताशीसन वर्ग पूरा श्रेय स्वयं लेते हुए ऐसे व्यक्त करता है जैसे वह आज जनता को भीख दे रहा है। वह अपनी जेब से सब कुछ दे रहा है। यही नहीं इसके बदले साल दर साल वोटों की फसलें भी काटते रहते हैं।

राजनीतिज्ञों के इसी तानाशाही एवं अड़ियल रवैये की वजह से समय–समय पर तमाम जनांदोलन खड़े हुए और पार्टी का रूप ले लिया। इन आंदोलनों के कर्णधारों ने जैसे ही सत्ता प्राप्त की, वैसे ही अपने मूल उद्देश्य को भूल गए मौलिक हितों की बलि चढ़ा दी गई। जनता स्वयं को बार–बार ठगा महसूस करती है।

अभी पिछले कुछ वर्षों पहले एक देश व्यापी जनांदोलन छेड़ा गया। यह आंदोलन कई मायनों में अपनी सर्वोच्चता तक पहुंचा और कुछ सफलताएं भी प्राप्ति की। लेकिन इन्हीं के बीच कुछ लोग ऐसे निकल पड़े, जिन्हें सत्ता की चाहत खींचने लगी। नतीजा यह हुआ कि आनन–फानन एक पार्टी खड़ी हो गई। उस पार्टी को एक राज्य में अनापेक्षित सफलता भी मिली। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि राजनीतिक अनुभव की कमी, राजनीतिक अपरिपक्वता एवं आंदोलनकारी मनोस्थिति के चलते संयम एवं चातुर्यतापूर्ण ढंग से सरकार नहीं चलाई गई। इस नए दल के राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षा बहुत ही प्रबल हुई और वे अपने प्रयोग को बीच में ही छोड़ बैठे। जनता ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया।

लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस सत्य, आदर्श, अहिंसा एवं नैतिकता के बल पर ये लोग आगे बढ़े और जनता ने आंखें मींचकर साथ दिया, वही थोड़े ही दिनों में अपने सत्य, अहिंसा, आदर्श एवं नैतिकता के मार्ग से भटक गए। उन्होंने बहुत जल्दी ही जनता के सामने अपना असली चेहरा रख दिया और पता चला कि गाय के मुखौटे के पीछे तो बाघ का चेहरा है। ये लोग हर गलत चीज को सही बनाकर बेचने लगे। इन्होंने अपने अलावा सभी को चोर, भ्रष्ट एवं बिकाऊ घोषित कर दिया। लेकिन तथ्य हीन आरोप अधिक दिन नहीं टिकते और सच सामने आ ही जाता है। इन्होंने जनता को किस तरह मूर्ख बनाने का प्रयास किया, उसके लिए यह कहानी जानना अपेक्षित है।

पर उपदेश...

धीरज कुमार, उपप्रबंधक

महात्मा तुलसीदास ने श्री राम चरित्र मानस में एक जगह लिखा है "पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं वे नर न घनेरे" यानि कि इस संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो दूसरों को उपदेश देने में माहिर हैं, पर खुद उस उपदेश का आचरण नहीं करते। हर नेता, उपदेशक, पंडित मौलवी अच्छे आचरण का उपदेश तो देते हैं पर वही बातें खुद पालन नहीं करते हैं। आदर्श बातों का पालन करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन जो ऐसा करते हैं वे निश्चित ही दूसरों से अलग एवं आदर के पात्र बनते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है–

सर्दी का मौसम था। एक राजा अपने महल की खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहा था। शाम ढलने को थी। तभी एक साधु आया और महल के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके बदन पर एक लंगोटी को छोड़कर और कोई कपड़ा नहीं था। राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने तुरंत एक नौकर के हाथ कुछ गरम कपड़े साधु के पास भेज दिए। थोड़ी देर बाद राजा ने फिर बाहर झांका। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साधु अब भी नंगे बदन बैठा था। राजा ने सोचा – साधु को अपने तप का घमंड है, इसलिए उसने कपड़ों का तिरस्कार किया। राजा को क्रोध आया पर उसने नियंत्रण रखा। तभी अंधेरा घिर आया। राजा ने खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर बाद वह सो गया। सुबह राजा घूमने निकला तो साधु के पास ठिठक गया। नंगे बदन साधु अब भी पेड़ के नीचे मौजूद था। राजा ने साधु से पूछा– महाराज! कहिए, रात कैसी कटी? साधु बोला – "कुछ आप जैसी ही कटी और कुछ आप से अच्छी कटी।" यह सुनकर राजा बोला – "महाराज! आप की बात मेरी समझ में नहीं आई।" साधु बोला– "आपने समझा होगा कि मैंने आपकी भेंट का अपमान किया, पर ऐसी बात नहीं थी। एक गरीब आदमी सर्दी से कांपता हुआ जा रहा था। वे कपड़े मैंने उसे दे दिए। परहित में जो सुख है, उसके आगे सर्दी का क्या भय। जब तक मैं जागता रहा, भगवान का भजन करता रहा। आपको उस समय भी दुनिया भर की चिंताएं घेरे हुए थी। इसलिए मेरा वह समय आप से अच्छा कटा। लेकिन जब हम दोनों सो रहे थे, हम मनुष्य मात्र थे। यानि कि हम दोनों बराबर थे। राजा लज्जित हो गया। उसने साधु से क्षमा मांगी।

साधु ने राजा से कहा – राजन! इंसान इस माया–मोह में पड़ा रहता है कि वह राजा है, दूसरा रंक है पर सच तो यह है कि ईश्वर की नजर में हम केवल इंसान होते हैं। इसी प्रकार सुख एवं दुख तो मन की अनुभूति मात्र है। आप जो सुख स्वर्ण की शैया पर नहीं प्राप्त कर पाते, उसे हम आंखे बंदकर ईश्वर की भक्ति में पा लेते हैं। आप राजा है तो आपको धन–धान्य एवं राज्य विस्तार तथा प्रजा की चिंता रहती है। आप उस समय ईश्वर के प्रतिनिधि मात्र न बनकर एक शासक बन जाते हैं। मन स्वार्थी एवं लालची हो जाता है। लेकिन सच तो यह है कि यदि मन में संतोष है तो फिर –

गोधन, गजधन, बाजधन और रतन–धन खान।
जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान।।

राजा ने साधु से कहा – "महाराज! आपने सही कहा। आज से मैं खुद को इस राज्य का सेवक मात्र समझूंगा और अधिक से अधिक परहित के काम करूंगा। वास्तव में यह सब तो ईश्वर का दिया है, मैं तो एक साधन मात्र हूं।" साधु को प्रणाम करता हुआ राजा आगे बढ़ गया।

अब चूंकि बात पर उपदेश की चल रही है तो यह एक उदाहरण और भी प्रस्तुत है जो हमारे अच्छे आचरण पर अच्छे प्रतिफल की प्राप्ति को प्रतिपादित करता है। बात दरअसल राजस्थान के एक दूरस्थ देहात की है, जहां एक गांव में एक मुखिया रहते थे। वे बड़े ही सहृदय एवं दयालु व्यक्ति थे। वे सभी को विनम्र रहने तथा पर हित के काम करने की शिक्षा देते। वे न सिर्फ शिक्षा देते, बल्कि खुद ही ऐसा पूरे तन एवं मन से करते।

यही कारण था कि जब भी उनके गांव से कोई पथिक, पर्यटक या पाहुना गुजरता तो वे उससे न सिर्फ विनम्रतापूर्वक मिलते बल्कि उसका स्वागत सत्कार करते और गुड़ पानी पिलाते। उनसे जो भी रूखा–सूखा बन पड़ता खिलाते और हंसते हुए विदा करते। यही उनका नित्यक्रम था। ऐसे जीवन की शुरुआत उन्होंने 20 वर्ष की उम्र से की थी। इस काम में उनकी पत्नी ने पूरा साथ दिया और कभी भी उफ नहीं किया। वे लगभग 60 साल के होंगे, तभी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब घर का भार उनके बहु–बेटे पर आ गया। बेटे ने कभी भी पिता के काम में बाधा नहीं डाली और सदैव सहयोग किया। लेकिन पुत्र वधू को यह अच्छा न लगता था। स्वसुर की इस उदारता और पर हित की आदत से जहां दो पैसे खर्च होते थे, वहीं उसे खाना–पीना जैसे काम करने पड़ते थे।

कहते हैं समय का फेर कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं होता। यदि वक्त बदले तो राजा फकीर और फकीर राजा बन जाता है। इस परिवार पर भी बुरा वक्त आया एक दिन सांप के काटने से मुखिया के बेटे की मृत्यु हो गई। इस शोकमय जीवन के बावजूद मुखिया की आदतों में बदलाव नहीं आया। वक्त गुजरता रहा। लेकिन कुछ वर्षो बाद इतना भंयकर सूखा पड़ा। मुखिया जी भी अपनी पुत्र वधु के साथ गाड़ी बैल लेकर परदेश के लिए निकल पड़े। इस समय वे खाली हाथ थे। उनके पास शाम को खाने–पीने का सामान भी नहीं था। जब वे रात एक गांव में रूके तो यह देखकर हैरान थे कि गांव के कई लोग उनके लिए खाने–पीने का सामान लेकर आ गए। मुखिया जी जिस गांव से गुजरे, वहां सबने ह्रदय से स्वागत किया और खाने–पीने का सामान प्रदान किया। मुखिया की पुत्र वधू भावुक हो उठी और स्वसुर से पूछा कि इस अकाल और अभाव में भी लोग आपको सहर्ष खाने–पीने की सामग्री क्यों दे रहे हैं। मुखिया ने कहा कि तुम खुद ही इन लोगों से पूछना, पुत्र वधू के पूछने पर लोगों ने बताया कि हम लोग वहीं हैं जिसने कभी न कभी आपके यहां खाया–पीया है, तब भला आपको भूखा कैसे छोड़ सकते हैं। आपके ससुर साहब ने सदैव भलाई की है, तब भला हम भलाई का बदला भलाई से क्यों न दें।

आर्थिक जगत एवं महिला

श्रीमती मीनाक्षी देव,
(पत्नी विक्रम देव, प्रबंधक)

आज पूरी दुनिया तेजी से प्रगति कर रही है। यह प्रगति जहां विकसित राष्ट्रों में तेजी से हुई है, वहीं विकासशील देशों में भी पहुंच रही है, भले ही इसकी गति थोड़ी धीमी हो। प्रगति के लिए किसी भी राष्ट्र के लिए अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) बहुत अनिवार्य तत्व है। जिसकी विकासशील देखों में भारी कमी है। यद्यपि इन देशों में अवसंरचना की कमी है तथापि संचार क्रांति का तीव्र असर इन देशों पर भी पड़ा है। अब यह सीधे वैश्विक ग्राम का एक अंग बनते जा रहे हैं। इसीलिए इन राष्ट्रों में भले ही जीडीपी में वृद्धि न हुई हो, किंतु वहां के निवासियों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है जिसका परिणाम है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुए हैं। जागरूकता का ही परिणाम है कि स्त्रियां भी अपने हक व अधिकारों के लिए प्रयास व संघर्ष करने लगी है और इस दिशा में काफी सफल भी हुए हैं।

औद्योगीकरण और वैश्वीकरण जहां समाज की विचाराधारा को बदला है। वहीं पुरुषों पर निर्भर रहने वाली महिला अब स्वावलम्बी बनकर पूरे परिवार को आर्थिक सहयोग दे रही है। 1992–93 के आंकड़े दर्शाते हैं, कि भारत को 92: परिवारों का संचालन महिलाओं के हाथ में हैं या हम यह भी कह सकते हैं, कि देश की लगभग सभी महिलाएं कामकाजी और स्वावलम्बी हैं। राष्ट्रीय डाटा कलेक्शन एजेंसियों ने भी इस बात को माना है कि अधिकतर कार्यक्षेत्रों में महिला कर्मचारियों की संख्या प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए साफ्टवेयर उद्योग को देखें तो यहां महिला कर्मचारियों की संख्या 30: के लगभग है। शहर ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है। आंकड़ों के अनुसार कुछ काम–धंधों में मजदूरों की संख्या का 89.5: हिस्सा महिलाएं हैं। खेती में लगने वाले पूरे श्रम का आकलन करें तो अनुमानतः 55: से 66: योगदान महिला श्रमिकों का होता है।

विश्व बैंक के 1999 के आंकड़ों के अनुसार, दुग्ध उत्पादन के रोजगार क्षेत्र में महिलाओं का योगदान लगभग 94: है। वहीं सूदूर वन–वासीय क्षेत्रों में भी लघु तथा कुटीर उद्योगों में महिलाओं की संख्या लगभग 51: है। "श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़" एक सफल महिला संचालित कुटीर उद्योग का उदाहरण है। आंकड़े तथा सर्वेक्षण यही बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति अब पहले से बहुत बेहतर हुई है। आज महिलाओं की आर्थिक स्थिति के विषय में चर्चा करना कोई अनोखी बात नहीं है। परन्तु अगर हम भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति पर गौर करें तो वह एक आश्चर्यजनक परिवर्तन का एहसास कराती है। हालांकि, भारतीय संस्कृति में लक्ष्मी, सरस्वती एवं पार्वती जैसी देवियों की पूजा की परंपरा है। परन्तु यह भी अजीब विडम्बना है कि हमारे देश में महिलाओं का आर्थिक रूप से सबल होना एक आश्चर्य की तरह देखा जाता है। "घर की लक्ष्मी घर पर ही शोभा देती है" जैसे कुतर्की लोगों के द्वारा महिलाओं को घर की सीमाओं के दायरे में बांध दिया जाता है। एक तरफ हम यह नारा लगा रहे हैं कि हर एक महिला को शिक्षा का अधिकार है तो अब समय आ गया है कि हम महिलाओं के आर्थिक अधिकार और स्वतंत्रता के नारे लगाएं। यह बात सर्व विदित है कि यदि "एक महिला शिक्षित होती है वहां पूरा परिवार शिक्षित होता है", उसी प्रकार "जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तब पूरा परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा।" आज समाज में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हुई है, परन्तु इतिहास हमें कुछ और ही बतलाता है। इतिहासकारों के अनुसार, विभिन्न कालों में परिवर्तित समाज में महिलाओं की आर्थिक परिस्थितियों में काफी बदलाव आते रहे हैं। वैदिक काल में मातृसत्तात्मक परिवार परंपरा होती थी, जिसमें सारे निर्णय लेने एवं क्रियान्वित करने का अधिकार महिला को होता था। लेकिन समय के साथ बदलाव आया और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। सैद्धान्तिक रूप से महिला परिवार की मुखिया होती थी लेकिन वास्तविकता कुछ अलग थी। आर्थिक मामलों में महिलाओं का अधिकार क्षेत्र नहीं के बराबर था। लगभग दो हजार साल पहले से महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। बल्कि वे स्वयं संपत्ति की तरह पुरुषों के अधिकार में रहती थीं। अचंभित करने वाली बात तो यह है, कि जब कोई महिला रोजगार के लिए घर से बाहर निकलती थी तो उसे समाज में कलंकित माना जाता था। एक दूसरा पक्ष भी हमारे इतिहासकारों द्वारा बताया गया है, जो महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण बताता है, वह है, विदेशी आक्रमण। स्त्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनपर कई प्रतिबंध लगाए गए। विदेशी आक्रमण तो समाप्त हो गए; परन्तु स्त्रियों के आर्थिक विकास में कोई सुधार नहीं हुआ। गुलामी के समय में देश कि आर्थिक एवं सामाजिक ताने–बाने की स्थिति काफी खराब थी। इतिहास एवं साहित्य में स्त्रियों कि स्थिति का तो कहीं उल्लेख भी केवल नाम मात्र के

लिए होता रहा है। हां रीति कालीन साहित्य में उसे एक नायिका के रूप में विभिन्न प्रकार से अवश्य चित्रित किया गया है, जिसमें वह श्रृंगार एवं विलास का साधन मात्र थी। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के पश्चात भारत में गांधी जी के सहयोग एवं प्रोत्साहन से एक बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग की महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक क्षेत्रों की ओर बढ़ना प्रारम्भ कर दिया। किंतु यह कहानी का प्रारंभ मात्र है। आज भी कई घरों की महिलायें आजादी के बाद भी गुलाम बनी रह गईं। इन महिलाओं को गुलामी की स्थिति के लिए न सिर्फ पुरुष वर्ग जिम्मेदार है, बल्कि अशिक्षा से ग्रस्त स्त्रियां भी रूढ़ियों का शिकार होकर अपनी स्थिति पर संतुष्ट है। यही कारण है कि स्वयं स्त्रियां पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा दे रही हैं। वे आज भी बेटी के स्थान पर बेटे की कामना करती हैं।

सरकार ने विकास संबंधी अनेक योजनाएं बनाकर महिलाओं का उत्थान करने का प्रयत्न किया है। फलस्वरूप काफी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा तथा स्वरोजगार का प्रशिक्षण देकर स्त्रियों को सबला कार्यक्रम में शामिल किया गया। वर्तमान परिपेक्ष्य में अगर देखा जाए तो महिलाएं हर जगह अपनी दक्षता एवं काबिलियत को प्रमाण दे चुकी हैं। वर्ष 2006 में, बॉयकान की संस्थापक, किरन मजुमदार सॉ को भारत की सबसे धनी महिला का खिताब दिया गया, तो महिलाओं की बदलती आर्थिक दिशा में क्षेत्र में एक चमकती किरण सा प्रतीत हुआ। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत पकड़ का प्रमाण एक बार फिर तब देखने को मिला जब ललीता डी0 गुप्ते और कल्पना मोहपरिशा की 'फोर्बस वर्ल्डस मोस्ट पावॅरलफुल विमेन'' की सूची में इन दोनों भारतीय महिलाओं का नाम प्रभावशाली व्यवसायिक महिला के रूप में आया। वैसे तो हमारे देश में हो रहे विकास कार्यों ने हमें आर्थिक जगत में एक नई पहचान दे दी है। प्रगति की दिशा में भारत के तेज बढ़ते कदम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि विगत् 20–25 वर्षों में ना सिर्फ समाज की स्थिति में बदलाव आया है, बल्कि सामाजिक विचारधाराएं भी आधुनिकता से प्रभावित हुई हैं। हमारे देश के कई प्रांतों में एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी हीन भाव से देखा जाता था। आज के दौर में शिक्षा तथा मानव संसाधन मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई तमाम नीतियों की बदौलत, वर्तमान भारत के सभी प्रांतों में महिलाएं आर्थिक सबलता के लिए जागरूक हो रही हैं। यदि सरकार के द्वारा ईमानदारी एवं दूरदर्शिता के साथ कल्याणकारी एवं सशक्तीकरण की तमाम योजनाएं, नीतियां तथा सामाजिक जागरूकता चलती रहे तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले कुछ वर्षों में 100 फीसदी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी तथा हर शहर के हर गांव में किरण बेदी, चंदा कोच्चर, इंदिरा नूयी तथा कल्पना चावला जैसी अनेकानेक महिलाएं मौजूद होंगी।

उसी प्रकार ''जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तब पूरा परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा।'' आज समाज में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर हुई है, परन्तु इतिहास हमें कुछ और ही बतलाता है। इतिहासकारों के अनुसार, विभिन्न कालों में परिवर्तित समाज में महिलाओं की आर्थिक परिस्थितियों में काफी बदलाव आते रहे हैं। वैदिक काल में मातृसत्तात्मक परिवार परंपरा होती थी, जिसमें सारे निर्णय लेने एवं क्रियान्वित करने का अधिकार महिला को होता था। लेकिन समय के साथ बदलाव आया और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। सैद्धान्तिक रूप से महिला परिवार की मुखिया होती थी लेकिन वास्तविकता कुछ अलग थी। आर्थिक मामलों में महिलाओं का अधिकार क्षेत्र नहीं के बराबर था। लगभग दो हजार साल पहले से महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था। बल्कि वे स्वयं संपत्ति की तरह पुरुषों के अधिकार में रहती थीं। अचंभित करने वाली बात तो यह है, कि जब कोई महिला रोजगार के लिए घर से बाहर निकलती थी तो उसे समाज में कलंकित माना जाता था। एक दूसरा पक्ष भी हमारे इतिहासकारों द्वारा बताया गया है, जो महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण बताता है, वह है, विदेशी आक्रमण। स्त्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनपर कई प्रतिबंध लगाए गए। विदेशी आक्रमण तो समाप्त हो गए; परन्तु स्त्रियों के आर्थिक विकास में कोई सुधार नहीं हुआ। गुलामी के समय में देश कि आर्थिक एवं सामाजिक ताने–बाने की स्थिति काफी खराब थी। इतिहास एवं साहित्य में स्त्रियों कि स्थिति का तो कहीं उल्लेख भी केवल नाम मात्र के लिए होता रहा है। हां रीति कालीन साहित्य में उसे एक नायिका के रूप में विभिन्न प्रकार से अवश्य चित्रित किया गया है, जिसमें वह श्रृंगार एवं विलास का साधन मात्र थी। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के पश्चात भारत में गांधी जी के सहयोग एवं प्रोत्साहन से एक बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग की महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक क्षेत्रों की ओर बढ़ना प्रारम्भ कर दिया। किंतु यह कहानी का प्रारंभ मात्र है। आज भी कई घरों की महिलायें आजादी के बाद भी गुलाम बनी रह गईं। इन महिलाओं को गुलामी की स्थिति के लिए न सिर्फ पुरुष वर्ग जिम्मेदार है, बल्कि अशिक्षा से ग्रस्त स्त्रियां भी रूढ़ियों का शिकार होकर अपनी स्थिति पर संतुष्ट है। यही कारण है कि स्वयं स्त्रियां पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा दे रही हैं। वे आज भी बेटी के स्थान पर बेटे की कामना करती हैं।

सरकार ने विकास संबंधी अनेक योजनाएं बनाकर महिलाओं का उत्थान करने का प्रयत्न किया है। फलस्वरूप काफी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा तथा स्वरोजगार का प्रशिक्षण देकर स्त्रियों को सबला कार्यक्रम में शामिल किया गया। वर्तमान परिपेक्ष्य में अगर देखा जाए तो महिलाएं हर जगह अपनी दक्षता एवं काबिलियत को प्रमाण दे चुकी हैं। वर्ष 2006 में, बॉयकान की संस्थापक, किरन मजुमदार सॉ को भारत की सबसे धनी महिला का खिताब दिया गया, तो महिलाओं की बदलती आर्थिक दिशा में क्षेत्र में एक चमकती किरण सा प्रतीत हुआ। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत पकड़ का प्रमाण एक बार फिर तब देखने को मिला जब ललीता डी0 गुप्ते और कल्पना मोहपरिशा की 'फोर्बस वर्ल्डस मोस्ट पावॅरलफुल विमेन'' की सूची में इन दोनों भारतीय महिलाओं का नाम प्रभावशाली व्यवसायिक महिला के रूप में आया। वैसे तो हमारे देश में हो रहे विकास कार्यों ने हमें आर्थिक जगत में एक नई पहचान दे दी है। प्रगति की दिशा में भारत के तेज बढ़ते कदम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि विगत् 20–25 वर्षों में ना सिर्फ समाज की स्थिति में बदलाव आया है, बल्कि सामाजिक विचारधाराएं भी आधुनिकता से प्रभावित हुई हैं। हमारे देश के कई प्रांतों में एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी हीन भाव से देखा जाता था। आज के दौर में शिक्षा तथा मानव संसाधन मंत्रालयों द्वारा शुरू की गई तमाम नीतियों की बदौलत, वर्तमान भारत के सभी प्रांतों में महिलाएं आर्थिक सबलता के लिए जागरूक हो रही हैं। यदि सरकार के द्वारा ईमानदारी एवं दूरदर्शिता के साथ कल्याणकारी एवं सशक्तीकरण की तमाम योजनाएं, नीतियां तथा सामाजिक जागरूकता चलती रहे तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले कुछ वर्षों में 100 फीसदी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी तथा हर शहर के हर गांव में किरण बेदी, चंदा कोच्चर, इंदिरा नूयी तथा कल्पना चावला जैसी अनेकानेक महिलाएं मौजूद होंगी।

विकलांग मैत्री आवास एवं परिसर

श्रीमती उमा सोमदेव

सहजगमनीयता एवं बाधा रहित वातावरण बनाने का मुद्दा विकलांगता अधिकार अभियान के समसमायिक चरण का एक अभिन्न अंग है। विकलांगता संबंधित विधानों का निर्माण, विशेष रूप से विकलांगता युक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 एवं वर्ष 2008 में

विकलांगता युक्त व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसमर्थन को अनुपालित करते हुए तथा भारत में अधिकार आधारित परिप्रेक्ष्य से विकलांगता नीति के पुनर्गठन ने विकलांगता युक्त व्यक्तियों को सशक्तिकृत करने हेतु अभियान को एक नई प्रेरणा प्रदान की है। भारत सरकार ने तमाम विधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी कार्यालय परिसर आवासीय क्षेत्र एवं विश्वविद्यालय परिसर विकलांग मैत्री है। सभी सार्वजनिक सेवाएं यथा परिवहन, शौचालय आदि भी विकलांग मैत्री हो ताकि वे भी उन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सके जो सामान्य व्यक्ति प्राप्त करने का हकदार है। इन मापदंडों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को यह निर्देश जारी करने हेतु प्रेरित किया कि वे अपने परिसर एवं अवसंरचना का विकलांग – मैत्री बनाएं तथा विकलांगता अध्ययनों के अध्यापन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। हालांकि, विकलांगता युक्त व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में सुगमनीयता के लक्ष्य को हासिल करना अभी भी एक दुःस्वप्न है। यद्यपि कुछ विश्वविद्यालयों जैसे कि जेएनयू (भारत सरकार द्वारा अभिचिन्हित) ने अपने परिसर में बाधा रहित माहौल बनाने हेतु कुछ विशिष्ट उपायों को गति प्रदान की है और निश्चित रूप से इन उपायों को अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

भारत के संविधान ने एक समतावादी एवं समावेशी समाज की नींव डालते हुए सभी नागरिकों (विकलांगता युक्त व्यक्तियों सहित) के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं स्वाभिमान को सुनिश्चित बनाया है। विशेष रूप से 1970 वें दशक से वैश्विक स्तर पर जन नीतियों में आमूल परिवर्तन देखा जा सकता है एवं समसामाजिक वैश्विक नीतियों के केन्द्र बिंदु को विकलांगता के प्रत्याभास ने नागरिक अधिकार मुद्दों में प्रमुखता पाई है।

अब यह अति बाहुल्यता से अहसास किया गया है कि विकलांगता युक्त व्यक्ति एक बेहतर एवं सम्मान पूर्ण स्वतंत्र जीवन जी सकता है तथा राष्ट्र की समावेशी वृद्धि में भागीदारी कर सकता है, यदि उसे भी शिक्षा, भौतिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों में सुगम पहुंच के समान अवसर प्रदान किए जाएं।

समाज वंचित विभिन्न समूह समान व्यवहार की कामना करते हैं तथा सामाजिक वंचित विभिन्न समूह शैक्षिक खोज–बीन के विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित कर रहे हैं – जैसे कि महिला अध्ययन, जनजातिय अध्ययन, अल्पसंख्यक अध्ययन इत्यादि के साथ भारतीय विश्वविद्यालयों में विकलांगता युक्त व्यक्तियों को सशक्तिकृत करने के अभियान (जिन्हें सामान्यतः विकलांगता अधिकार अभियान के रूप में संदर्भित किया जाता है) एवं इनके शैक्षिक अंग 'डिसएबिलिटी स्टडीज' (विकलांगता अध्ययन) अपेक्षाकृत अशोधित है, विशेष रूप से समाजीय मुद्दों को बढ़ाने वाले प्रवचनों के आधिक्य के संदर्भ में। यहां पर इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकलांगता युक्त व्यक्तियों को ऐसी चुनौतियों से भारी मात्रा में जूझना होता है, जबकि विद्यमान भौतिक (शारीरिक) बाधाएं भी उन्हें उच्च शिक्षा की गमनीयता से रोक रही होती हैं। उनके लिए उच्च शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों में जागरूकता पैदा करना प्रमुख है। शिक्षा, सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा, विशेष रूप से सार्थक काम–धंधे में लाभकारी रोजगार का एक भविष्य सूचक है और इस प्रकार जीवन शैली (कैरियर) एवं गुणवत्ता पूर्ण जीवन हेतु नए द्वार खोलता है। हालांकि, विकलांगता युक्त व्यक्ति के मामले में शिक्षा का अधिकार अभी तक भी एक पहेली बना हुआ है। जोकि अभी तक मुख्य धारा के शिक्षण संस्थानों (जिसमें पूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक से लेकर कालेज और विश्वविद्यालय तक आते हैं) में समिश्रित होने से तमाम बाधाओं/समस्याओं का सामना करते हैं। हमारे जैसे विकासशील देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व के मामले में यहां भी कोई दीप्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। जहां पर उनकी जनसंख्या के एक बहुत ही छोटे अंश को अब तक आवृत किया गया है। हालांकि उनके लिए रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा के मामले में स्थिति और भी अधिक चेतावनीपूर्ण है जोकि विकलांग है और साधन विहीन भी है।

यद्यपि विकलांगता युक्त व्यक्तियों के लिए जमीनी स्तर पर स्थिति इतनी सुखद नहीं है, चूंकि वे विभिन्न विकलांगता बाधाओं से उलझे होते हैं – विशेष रूप से भौतिक विन्यासात्मक, मनोवैज्ञानिक, संचारात्मक, सामाजिक तथा आचार–व्यवहारात्मक; जोकि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं तथा आज भी शिक्षा का अधिकार विकलांग व्यक्तियों के लिए दुःस्वप्न साबित हो रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में उनके निम्न प्रतिनिधित्व को देखते हुए कोई आलोकपूर्ण स्थिति नहीं है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील में जहां उनकी जनसंख्या का एक बहुत ही सूक्ष्म भाग आज की तारीख तक सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों ने नाममात्र के लिए आवृत है। यह बात जानते हुए भी कि विकलांगता युक्त व्यक्ति भी इस देश के मानव संसाधन का महत्वपूर्ण अंग है तथा विकलांगता पर राष्ट्रीय नीति के साथ–साथ विकलांगता युक्त व्यक्ति के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सुदृढ़ता से यह प्रबलित करता है कि उन्हें समान सुअवसर प्रदान करने वाले सघन

वातावरण को सुनिश्चित बनाना, उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा समाज में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित ढंग से अनुपालित करने पर दृढ़ता से जोर देती है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ करने तथा चार प्रमुख विधानों के विनिर्माण करने के बावजूद उन्हें मुख्य धारा में लाने का विजन एवं लक्ष्य अभी भी पहले की भांति बहुत दूर है।

भारत सरकार का मानना है कि बहु मंजिला इमारतें, एपाटेमेंट्स एवं विभिन्न आवास परिसरों को विकलांग–मैत्री नीति से बनाए जाएं। यानि कि उनके लिए आवागमन सुगम हो, सीढ़ी के अलावा ढलानें हों, लिफ्ट की सुविधाएं हों ताकि वे आसानी से आवागमन कर सकें।

फिलहाल, जहां तक उच्च शिक्षा के परिदृश्य की संबद्धता है, यूजीसी ने सभी विश्व विद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों को अधिदेशित किया हुआ है कि अपनी अवसरंचनाओं को अधिकाधिक विकलांग–मैत्रीपूर्ण बनाएं। इन प्रयासों को और अधिक बल मंत्री समूह की रिपोर्ट (जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012 हेतु विकलांगता युक्त व्यक्तियों को सशक्तीकृत करने हेतु योजना आयोग हेतु कार्यकारी दल की रिपोर्ट की समीक्षा हेतु गठित किया गया था) के द्वारा प्राप्त हुआ, जोकि मुख्यतः दो निर्णायक मुद्दों – दो–तीन वर्ष के औचित्यपूर्ण समय में शैक्षिक संस्थानों को बाधा रहित बनाना (जिसमें ब्रेल पुस्तकों एवं संकेत भाषा व्याख्याता (द्विभाषिए) का प्रावधान सहित) और विश्वविद्यालय एवं कॉलेज स्तर पर विकलांगता अध्ययन को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। हालांकि आज की जो स्थिति विद्यमान है, उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांगता युक्त व्यक्तियों की सुगमनीयता काफी निम्नतर है; यहां तक कि अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों (केन्द्रीय विश्वविद्यायों, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएमएस तथा राष्ट्रीय संस्थानों) सहित सभी के परिसर पूर्णतः बाधा रहित नहीं बनाए गए हैं, जो कि वैश्विक मापदंड को पूरा करते हों।

विकलांगता–मैत्रीपूर्ण अभिसंरचना (डिजायन) एवं वास्तुविदता की कमी के कारण विकलांगता युक्त व्यक्तियों को अपने उच्च शिक्षा प्राप्ति के सपने को तिलांजलि देनी पड़ती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में विकलांगों की सुगमनीयता की कमी, समर्थक सेवाओं का अभाव, नकारात्मक सामाजिक रवैया के साथ–साथ निम्न वित्तीय क्षमता के कारण उनके निम्न पंजीयन एवं उच्च ड्रापआउट (अधूरी शिक्षा छोड़ना) की दर इस समस्या को और अधिक जटिल बना देती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत स्कूल से लेकर कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के स्तर पर संवेदनशीलता सहित जागरूकता पैदा करने की है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के साथ–साथ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटी एक्ट (1985) की धारा 26 तथा बच्चों हेतु मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के साथ यह शासन की जिम्मेदारी है कि 18 वर्ष की आयु तक के, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। जहां तक, फिलहाल, उच्च शिक्षा के परिदृश्य की संबद्धता की बात है, यूजीसी ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों को भी निर्देशित किया हुआ है कि वे अपनी अवसंरचना को विकलांगता मैत्रीपूर्ण बनाएं।

गमनीयता लेखा–परीक्षा के आधार पर कह सकते हैं कि इसका मूल कारण इन संस्थानों की संकुचित दृष्टि अथवा अधूरे मन से उपागमों के अपनाव में निहित है जोकि एक बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए सबसे पहली अपेक्षा होती है। आदर्श रूप में, जब गमनीयता की रणनीति का आकलन कर रहे हों तो मुद्दों के अधिक्य (जैसे कि परिसर में आना–जाना या आस–पास आगमन, परिसर में उपलब्ध सेवाओं का उपयोग, भवन से बाहर आरना–जाना, भवन का प्रबंधन एवं सेवाएं) को सबसे पहले सघनता के साथ देखा जाना चाहिए।

विकलांगता युक्त व्यक्ति की उच्च शिक्षा प्राप्ति में सबसे प्रमुखतता बाधाओं के रूप में विकलांग मैत्रीपूर्ण कमी वाली वास्तुविदता अभिन्यास, अवसंरचना समर्थक सेवाओं की अपर्याप्तता और नकारात्मक सामाजिक प्रवृत्ति तथा पूर्वाग्रहों को देखा जा सकता है। हालांकि यहां पर उम्मीद की किरण यह है कि भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय एवं कॉलेज इन चीजों को बदलने के लिए प्रयासशील हैं, हालांकि उन्हें पूर्णतः विकलांग मैत्रीपूर्ण बनने हेतु काफी मंजिल तय करनी होगी। अगमनीयता की समस्या को न्यूनीकृत एवं अगमनीयता के अंतर को यदि समाप्त नहीं किया जा सकता तो महत्वपूर्ण रूप से घटाया या पाटा जा सकता है, जिसके लिए सहायताकारी प्रौद्योगिकी को अपनाया जा सकता है।

औचित्यपूर्ण परिप्रेक्ष्य से देखने पर गमीनयता प्रबंध वस्तुतः वास्तुविदता एवं भौतिक बाधाओं पर बहुत अधिक अभिकेन्द्रित नहीं है। बल्कि यह विकलांगता युक्त व्यक्ति के उच्च शिक्षा के अधिकार की प्रभावी सुखानुभूति एवं समान सुअवसरों के सुनिश्चयन पर अधिक केन्द्रित है। विकलांगता युक्त व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस – यथा तीन दिसंबर का कीर्तिमान हमें प्रतिवर्ष एक सुअवसर देता है कि हम विकलांगतायुक्त व्यक्ति के सशक्तीकरण हेतु अपनी प्रतिबद्धता एवं उत्तरदायित्व को पुनः अभिपुष्ट (सुदृढ़) करें।

भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1966 में स्थापित प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (3) को भारत सरकार के द्वारा एक माडल (प्रतिमान) उच्च शिक्षा संस्थान माना गया है। तदनुसार, विश्वविद्यालय ने जेएनयू परिसर को बाधा रहित वातातरण बनाने हेतु एक कमेटी संघटित की, ताकि वैश्विक मानक के अनुसार एक माडल (आदर्श) बाधा रहित उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में एक रणनीति विकसित करने का काम करें। मशहूर जैव वैज्ञानिक एवं जेएनयू के वीसी एवं प्रोफेसर सुधीर कुमार सोपोरी के आदर्शवादी निदेशन के तहत एक प्रयास की जिम्मेदारी उठाई गई, ताकि विकलांग एवं वंचित अध्येयताओं को उच्च शिक्षा सुगम बनाई जाए जिसके लिए नैगमिक सामाजिक उतर दायित्व के एक अंग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से समर्थन प्राप्त किया गया। इस के साथ ही जेएनयू ने परास्नातक, एमफिल तथा पीएचडी कार्यक्रमों को प्रस्तावित करने हेतु डिवीजन आफ डिसएबिलिटी स्टडीज की स्थापना हेतु कार्य किया। इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि एक सेंटर फार साइन लैग्वेज स्टडीज के लिए एक आंतरिक अनुशासनिक इकाई स्थापित करने की दिशा में विश्वविद्यालय प्रशासन कार्यरत है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय एक कार्यकारी बदलाव के चरण से गुजर रहा है जो अवसंरचनात्मक, वास्तुविद शास्त्रीय तथा पर्यावरणीय है ताकि एक आदर्श बाधा रहित शैक्षणिक परिसर निर्मित करे जो उसके सकारात्मक कार्य योजना को एक हिस्सा है। अतैव, भारत एवं विदेशों के उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा जेएनयू के उदाहरणों को निश्चित रूप से प्रतिकृति (नकल) कर अपनाया जाना चाहिए।

हम आशा करते है कि जेएनयू की तरह ही अन्य विश्वविद्यालय जल्द से जल्द वास्तु संरचनात्मक बदलाव कर अपने परिसरों को विकलांग मैत्री बनाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार आवास क्षेत्र के निर्माता भी अपने सभी निर्माणों में यह ध्यान रखेंगे कि परिसर को विकलांग मैत्री कैसे बनाया जाए ताकि सबको समावेशी विकास का लाभ मिल सके।

लोक कथा और लोमड़ी

पी. श्रीजा, प्रबंधक

यदि किसी भी साहित्य में लोक कथाओं को सबसे पुरानी विद्या कहा जाए तो शायद यह गलत न होगा। लेखन से पहले जनमानस के बीच यह लोक कथाएं एवं जनश्रुतियां प्रचलित नहीं है। इनके माध्यम से समाज में जहां मनोरंजन होता था, वहीं ये अच्छे संदेश को प्रचारित करने का एक माध्यम भी रही है। उन लोक कथाओं में जहां मानव पात्रों की बहुतायत है, वहीं पशु–जगत के तमाम जीवों को शामिल किया गया है। इनमें जंगली पशुओं में लोमड़ी एवं गीदड़ को भारी मात्रा में चालाक एवं धूर्त के रूप में दर्शाया गया है। आइए ऐसी ही एक लोक कथा में एक लोमड़ी के चतुराई को जानते हैं।

यह कहानी जंगल के राजा शेर से शुरू होती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहा करता था। बढ़ती उम्र और बुढ़ापे के कारण, शेर अब शिकार करने के लायक नहीं रहा। वो चाह कर भी किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकता था और वह यह बात समझ गया था। अब सोच में पड़ गया कि आखिर वह अपना बाकी का जीवन कैसे व्यतीत करे? काफी सोच विचार के बाद उसने एक योजना बनाई। वो अपनी गुफा के अंदर गया और लेट गया और जोर–जोर से कराहने लगा। अंदर से आती कराह सुन कर बाहर जाने वाले एक हिरण को जंगल के राजा पर दया आ गयी और वो अंदर हालचाल पूछने चला गया। शेर ने मौका पाकर उसका शिकार कर लिया और उसे खा गया। शेर को ये योजना बेहद लाभदायक लगी और वो इसी तरह अपना दिन निकालने लगा। कई सारे जानवर रोज़ उस रास्ते से गुजरते और जिनमें से एक दो को शेर की कराह सुन कर दया आ जाती, वह अंदर चला जाता और फिर कभी वापस न आता। काफी दिन इसी तरह गुजर गए ओर शेर की जिंदगी मजे से कटने लगी।

कुछ दिनों बाद उसी रास्ते से एक लोमड़ी गुजर रही थी। उसने शेर की दर्द भरी कराह सुनी और गुफा की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंची, वो रूक गयी और उसने वहीं से शेर को आवाज दी। शेर ने दर्द भरी आवाज में कहा कि वह बहुत बीमार है और अपना आखिरी वक्त गिन रहा है। शेर ने लोमड़ी से अंदर आने को कहा कि उसकी हालत इतनी खराब है कि अब वह कुछ खा भी नहीं सकता और सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। शेर ने कहा कि यही वजह है कि कई जानवर रोज उसे मिलने आते हैं, उसे सांत्वना देते हैं। उसकी सेवा–सुश्रुषा करते हैं और मैं उन्हें आर्शीवाद देकर विदा करता हूं। लोमड़ी रानी अब तो यह चला–चली की बेला आ गई है और मैंने सब माया–मोह एवं खान–पान त्यागकर शाकाहारी जीवन जी रहा हूं।

यह सब सुनकर लोमड़ी वही द्वार पर खड़ी रही। यह देख कर शेर ने उससे पूछा – क्या तुम्हे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? और कहा कि यदि विश्वास न हो तो गुफा के अंदर आकर देख लो। शेर ने कहा कि रोज कई सारे जानवर मित्र उसे मिलने आते हैं। लोमड़ी काफी समझदार व चालाक थी। वह शेर की चिकनी चुपड़ी एवं मीठी बातों में नहीं आई। लोमड़ी ने तुरन्त कहा, क्षमा करे महाराज। मैं अनेक पशुओं के बने वही पद चिन्ह देख कर ही यहां रूक गई हूं। शेर आश्चर्य में पड़ गया। फिर लोमड़ी ने कहा कि महाराज मैं आपसे मिलने अंदर ही आने वाली थी कि तभी मैंने देखा कि आपकी गुफा की ओर कई सारे जानवरों की पद चिन्ह दिखायी पड़ते हैं। पर एक भी जानवर के पैरों के निशान गुफा से निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। महाराज इससे पता चलता है कि कई सारे जानवर अंदर तो गये, पर उनमें से एक भी गुफा से बाहर वापस नहीं आया। यह सुन कर शेर स्तब्ध रह गया। लोमड़ी ने तुरंत ही जंगल के सभी पशुओं को खबर कर दी कि कोई भी शेर की चिकनी चुपड़ी बातों में न आए। वह ढोंगी और कपटी है तथा धोखेबाज भी। यदि उसका विश्वास कर कोई उसकी गुफा में अंदर जाता है तो वह जीवित नहीं बचता। कोई भी शेर की सच्चाई बताने के लिए वापस नहीं लौटता है।

लोमड़ी ने लोगों को सलाह दी कि दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर इससे पूर्व यह जांच लेना चाहिए कि सामने वाला सच में मदद के लायक है या सिर्फ दूसरों का फायदा उठाने के इच्छुक है। मदद उनकी करों जिन्हें उसकी जरूरत है और इस तरह करो कि दूसरों का भला भी हो, पर अपना नुकसान भी ना हो। चतुर लोमड़ी शेर की मदद के लिए आगे तो बड़ी, पर उसे समझ और समय स्फूर्ति ने उसे शेर की शिकार होने से बचा लिया। यही नहीं उसने आगे जाकर जंगल के सारे जानवरों को भी आगाह कर दिया, जिसके पश्चात कोई भी जानवर गुफा के तरफ नहीं गया और इस तरह लोमड़ी ने खुद की और कई दूसरे मासूम जानवरों की जान बचाई। इस कहानी का सार ये है कि हम में से हर एक को सतर्क और चेतनापूर्ण रहना चाहिए।

सुगंध

बुढ़ापे की उम्र ईश्वर भक्ति, परमात्मा की खोज और अध्यात्म का साधन नहीं बन सकती। यह बिल्कुल बचकानी बात है कि आप वृद्धावस्था में परमात्मा की अराधना में डूबे। कुछ हासिल न होगा। जिसने रास्ता मांगा उसे मंजिल कभी नहीं मिली। अध्यात्म के लिए शक्ति ऊर्जा और उम्र चाहिए और यह जवानी में ही संभव है। सभी अध्यात्मिक गुरू बचपन या युवास्था में दीक्षित, प्रशिक्षित एवं सन्यस्थ हुए। इसलिए, ओशो ने नव सन्यास की परिकल्पना दी। जवानी में जो बीज बोया उसका वृक्ष बनेगा। बुढ़ापे में उसके फल खाए जा सकेगें किन्तु बुढ़ापे में बीज न बोए जा सकेगें। शरीर संभल जाएं इतना ही बहुत है। चलो जीवन जागृत करो। युवावस्था में गृहस्थीमय संयास ग्रहण करो। तुम्हारी जय होगी। विजय होगी। जवानी बुढ़ापे के महायज्ञ की पहली आहुति है। परमात्मा बुढ़ापे को गले न लगा सकेगा। परमात्मा को आकृष्ट करने के लिए तुम्हारे भीतर से सुंगध निकलनी चाहिए। बुढ़ापे में सत्संग टाइम पास प्रक्रिया है। पहले सुगंधित बनो।

माँ ज्ञान सुमन

महानतम सामाजिक विडंबना - दलितों की अस्मिता

डॉ० जी.एन. सोमदेवे, सहा. महाप्रबंधक

हमारे समाज में ब्याज हजारों विडंबनाओं के खेल को समझने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि अधिक दुर्देव, परेशानी, छल और मुश्किल दलितों को क्यों झेलनी पड़ी? दलित हजारों वर्षों तक अस्पृश्य समझी जाने वाली उन तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त होता है जो हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित है। संवैधानिक भाषा में इन्हें ही अनुसूचित जाति कहा गया है यह अलग बात है। भारत की जनसंख्या में लगभग 20 प्रतिशत आबादी दलितों की है। दलित शब्दि का शाब्दिक अर्थ है– दलन किया हुआ। इसके तहत वह हर व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण–उत्पीडन हुआ है। रामचंद्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा है, मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, विनष्ट किया हुआ। पिछले छह–सात दशकों में 'दलित' शब्द का अर्थ काफी बदल गया है। अब दलित शब्द अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों की आंदोलनधर्मिता का परिचायक बन गया है। भारतीय संविधान में इन जातियों को अनुसूचित जाति नाम से अभिहित किया गया है।

ऐतिहासिक परिपेक्ष

भारत में दलित आंदोलन की शुरूआत ज्योतिराव गोविंदराव फुले के नेतृत्व में हुई। ज्योतिबा जाति से माली थे और समाज के ऐसे तबके से संबध रखते थे जिन्हे उच्च जाति के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके बावजूद ज्योतिबा फूले ने हमेशा ही तथाकथित छोटी जाति के लोगों के अधिकारों की पैरवी की। भारतीय समाज में ज्योतिबा ने सबसे पहले दलितों की शिक्षा का प्रयास किया था। ज्योतिबा ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने दलितों के अधिकारों के साथ–साथ दलितों की शिक्षा की भी पैरवी की। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए सराहनीय कदम उठाए। भारतीय इतिहास में ज्योतिबा ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए न केवल विद्यालय की वकालत की बल्कि सबसे पहले दलित विद्यालय की भी स्थापना की। उन्होंने भारतीय समाज में दलितों को एक ऐसा पथ दिखाया था जिसपर आगे चलकर दलित समाज और अन्य समाज के लोगों ने चलकर दलितों के अधिकारों की कई लड़ाई लडी। यूं तो ज्योतिबा ने भारत में दलित आंदोलनों का सूत्रपात किया था लेकिन इसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। एक बात और जिसका जिक्र किए बिना दलित आंदोलन की बात बेमानी होगी वो है बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व 600 ईसवी में ही बौद्घ धर्म ने समाज के निचले तबकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। बुद्ध ने इसके साथ ही एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति लाने की भी पहल की। इसे राजनीतिक क्रांति कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय सत्ता पर धर्म का आधिपत्य था और समाज की दिशा धर्म के द्वारा ही तय की जाती थी। ऐसे में समाज के निचले तबके को क्रांति की जो दिशा बुद्ध ने दिखाई वो आज भी प्रासांगिक है। भारत में चार्वाक के बाद बुद्ध ही पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ न केवल आवाज उठाई बल्कि एक दर्शन भी दिया। जिससे कि समाज के लोग बौद्धिक दासता की जंजीरों से मुक्त हो सकें।

यदि समाज के निचले तबकों के आंदोलनों का आदिकाल से इतिहास देखा जाए तो चार्वाक को नकारना भी संभव नहीं होगा। यद्यपि चार्वाक पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं इसके बावजूद चार्वाक वो पहला शख्स था जिसने लोगों को भगवान के भय से मुक्त होना सिखाया। भारतीय दर्शन में चार्वाक ने ही बिना धर्म और ईश्वर के सुख की कल्पना की। इस तर्ज पर देखने पर चार्वाक भी दलितों की आवाज उठाता नजर आता है। उस वक्त दलितों के अधिकारों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारत रत्न बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर ने लड़ाई शुरू कर दी थी। जब हमारा देश भारत ब्रिटिश उपनिवेश की श्रेणी में आता था। ये लोगों की दासता का समय रहा हो लेकिन दलितों के लिए अंगेजों की दासता के कोई मायने नहीं थे वे तो पहले से ही गुलामों सी जिंदगी जी रहे थे।

आधुनिक भारत व दलित अधिकार

आज दलितों को भारत में जो भी अधिकार मिले हैं उसकी पृष्ठभूमि अंग्रेजी शासन की देन थी। यूरोप में हुए पुर्नजागरण और ज्ञानोदय आंदोलनों के बाद मानवीय मूल्यों का महिमा मंडन हुआ। यही मानवीय मूल्य यूरोप की क्रांति के आर्दश बने। इन आर्दशों के जरिए ही यूरोप में एक ऐसे समाज की रचना की गई जिसमें मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी गई। ये अलग बात है कि औद्योगिकरण के चलते इन मूल्यों की जगह सबसे पहले पूंजी ने यूरोप में ली। लेकिन इसके बावजूद यूरोप में ही सबसे पहले मानवीय अधिकारों को कानूनी मान्यता दी गई। इसका सीधा असर भारत पर पड़ना लाजमी था और पड़ा भी। इसका असर हम भारत के संविधान में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर सभी अनुच्छेद इन्ही मानवीय अधिकारों की रक्षा करते नजर आते हैं। भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा सबसे सशक्त रूप में डॉ. अम्बेडकर ने उठाया। डॉ अम्बेडकर दलित समाज के प्रणेता हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की। उन्होंने भारतीय समाज के तात्कालिक स्वरूप का विरोध और समाज के सबसे पिछड़े और तिरस्कृत लोगों के अधिकारों की बात की। राजनीतिक और सामाजिक हर रूप में इसका विरोध स्वाभाविक था। यहां तक की महात्मा गांधी भी इन मांगों के विरोध में कूद पड़े। बाबा साहब ने मांग की कि दलितों को पृथक निर्वाचिका मिलना चाहिए यह दलित राजनीति में आज तक की सबसे सशक्त और प्रबल मांग थी। देश की स्वतंत्रता का बीड़ा अपने कंधे पर मानने वाली एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी की सांसें भी इस मांग पर थम गई थीं। कारण साफ था समाज के ताने बाने में लोगों का सीधा स्वार्थ निहित था और कोई भी इस ताने बाने में जरा सा भी बदलाव नहीं करना चाहता था। महात्मा गांधी जी को इसके विरोध की लाठी बनाया गया और बैठा दिया गया आमरण अनशन पर। आमरण अनशन वैसे ही देश के महात्मा का सबसे प्रबल हथियार था और वो इस हथियार को आये दिन अपनी बातों को मनाने के लिए प्रयोग करते रहते थे। बाबा साहब किसी भी कीमत पर इस मांग से पीछे नहीं हटना चाहते थे। वे जानते थे कि इस मांग से पीछे हटने का सीधा सा मतलब था दलितों के लिए उठाई गई सबसे महत्वपूर्ण मांग के खिलाफ में हामी भरना। लेकिन उन पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगा और अंततः पूना पैक्ट के नाम से एक समझौते में दलितों के अधिकारों की मांग को धर्म की दुहाई देकर समाप्त कर दिया गया। इन सबके बावजूद डॉ.अंबेडकर ने हार नहीं मानी और समाज के निचले तबकों के लोगों की लड़ाई जारी रखी। अंबेडकर के प्रयासों का ही ये परिणाम है कि दलितों के अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह दी गई। यहां तक कि संविधान के मौलिक अधिकारों के जरिए भी दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की गई। दलित समाज के अन्य प्रेरणा स्रोत महामानवों में कबीरदास, रैदास, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, डॉ० भीमराव आंबेडकर, जगजीवन राम, के.आर. नारायणन तथा कांशीराम की गिनती होती है।

दलित साहित्य

हालांकि साहित्य में दलित वर्ग की उपस्थिति बौद्ध काल से मुखरित रही है किंतु एक लक्षित मानवाधिकार आंदोलन के रूप में दलित साहित्य मुख्यतः बीसवीं सदी की देन है। रवीन्द्र प्रभात ने अपने उपन्यास "ताकि बचा रहे लोकतन्त्र" में दलितों की सामाजिक स्थिति की वृहद चर्चा की है वहीं डॉ.एन.सिंह ने अपनी पुस्तक 'दलित साहित्य के प्रतिमान' में हिन्दी दलित साहित्य के इतिहास को बहुत ही विस्तार से लिखा है।

रामविलास शर्मा के लेखन में अस्मिता विमर्श को मार्क्सवादी नजरिए से देखा गया है। वे वर्गीय नजरिए से जातिप्रथा पर विचार करते हैं। आमतौर पर अस्मिता साहित्य पर जब भी बात होती है तो उस पर हमें बार–बार बाबासाहेब के विचारों

का स्मरण आता है। दलित लेखक अपने तरीके से दलित अस्मिता की रक्षा के नाम बाबा साहेब के विचारों का प्रयोग करते हैं। दलित लेखकों ने जिन सवालों को उठाया है उन पर बड़ी ही शिद्दत के साथ विचार करने की आवश्यकता है। आम्बेडकर–ज्योतिबा फुले का महान योगदान है कि उन्होंने दलित को सामाजिक विमर्श और सामाजिक मुक्ति का प्रधान विषय बनाया। अस्मिता विमर्श का एक छोर महाराष्ट्र के दलित आंदोलन और उसकी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है, तो दूसरा छोर यू.पी–बिहार की दलित राजनीति और सांस्कृतिक प्रक्रिया से जुड़ा है। अस्मिता विमर्श का तीसरा आयाम मासमीडिया और मासकल्चर के राष्ट्रव्यापी उभार से जुड़ा है। इन तीनों आयामों को मद्देनजर रखते हुए अस्मिता की राजनीति और अस्मिता साहित्य पर बहस करने की जरूरत है।

अस्मिता के सवाल आधुनिक युग की देन हैं। आधुनिक युग के पहले अस्मिता की धारणा का जन्म नहीं होता। आधुनिक काल आने के साथ व्यक्तिगत को सामाजिक करने और अपने अतीत को जानने–खोजने का जो सिलसिला आरंभ हुआ उसने अस्मिता विमर्श को संभव बनाया। अस्मिता राजनीति में विगत 150 सालों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। खासकर नव आर्थिक उदारीकरण और उपग्रह मीडिया प्रसारण आने बाद परिवर्तनों का सिलसिला तेज हुआ है। खासकर उत्तर आधुनिकतावाद आने के साथ सारी दुनिया में उत्तर आधुनिक अस्मिता की धारणा का तो बबंडर ही चल निकला। उत्तर आधुनिक अस्मिता का अर्थ है तर्क, सत्य, प्रगति और सार्वभौम स्वतंत्रता वाले आधुनिक आख्यान का अंत। इन दिनों अस्मिता के छोटे छोटे आख्यान केन्द्र में आ गए हैं। स्त्री से लेकर दलित तक, भाषा से लेकर संस्कृति तक, साम्प्रदायिकता, पृथकतावाद, राष्ट्रवाद आदि तक अस्मिता की राजनीति का विमर्श फैला हुआ है। आखिरकार आधुनिक युग में अछूत कैसे जीएंगे हम नहीं जानते थे। हम कबीर को जानते थे, रैदास को जानते थे। ये हमारे लिए कवि थे। साहित्यकार थे। संत थे। किंतु ये अछूत थे और इसके कारण इनका संसार भिन्न किस्म का था यह सब हम नहीं जानते थे। अछूत की खोज आधुनिक युग की महानतम सामाजिक उपलब्धि है।

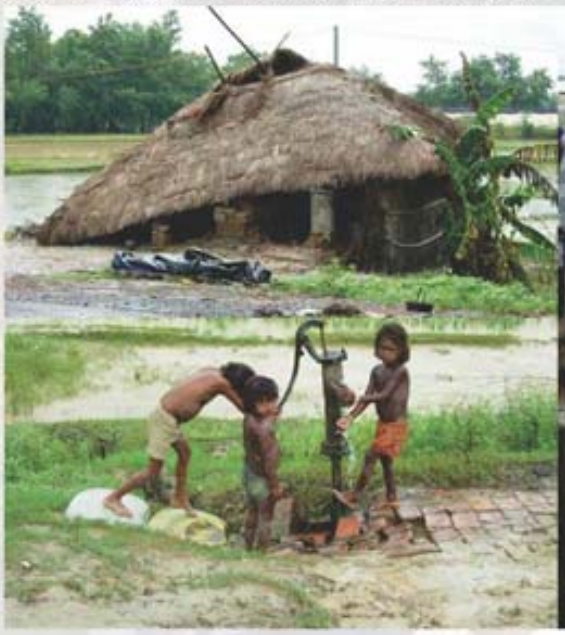

पहली बार देश के विचारकों को पता चला वे भारत को कितना कम जानते हैं। भारत एक खोज को अछूत की खोज ने ढंक दिया। आज भारत एक खोज सिर्फ किताब है, सीरियल है, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी मूल्यवान किताब है। इस किताब में भी अछूत गायब है। उसका इतिहास और अस्तित्व गायब है। आंबेडकर ने भारत को सभ्यता की मीनारों पर चढ़कर नहीं देखा बल्कि शूद्र के आधार पर देखा। शूद्र के नजरिए से भारत के इतिहास को देखा, शूद्र की संस्कृतिहीन अवस्था के आधार पर खड़े होकर देखा। इसी अर्थ में आंबेडकर की अछूत की खोज आधुनिक भारत की सबसे मूल्यवान खोज है। भारत एक खोज से सभ्यता विमर्श सामने आया, अछूत खोज ने परंपरा और इतिहास की असभ्य और बर्बरता की परतों को खोला। आंबेडकर इस अर्थ में सचमुच में बाबासाहेब हैं कि उन्होंने भारत के आधुनिक एजेण्डे के रूप में अछूत को प्रतिष्ठित किया। आधुनिक युग की सबसे जटिल समस्या के रूप में अछूत समस्या को पेश किया।

आधुनिक काल में किसी के लिए स्वाधीनता, किसी के लिए समाज सुधार, किसी के लिए औद्योगिक विकास, किसी के लिए क्रांति और साम्यवादी समाज से जुड़ी समस्याएं प्रधान समस्या थीं किंतु आंबेडकर ने इन सबसे अलग अछूत समस्या को प्रधान समस्या बनाया। अछूत समस्या पर बातें करने, पोजीशन लेने का अर्थ था अपने बंद विचारधारात्मक कैद घरों से बाहर आना। जो कुछ सोचा और समझा था उसे त्यागना। अछूत और उसकी समस्याओं पर संघर्ष का अर्थ है पहले के तयशुदा विचारधारात्मक आधार को त्यागना और अपने को नए रूप में तैयार करना। अछूत समस्या से संघर्ष किसी क्रांति के लिए किए गए संघर्ष से भी ज्यादा दुष्कर है। आधुनिक काल में क्रांति संभव है, आधुनिकता संभव है, औद्योगिक क्रांति संभव है किंतु आधुनिक काल में अछूत समस्या का समाधान तब ही संभव है जब मानवाधिकार के प्रकल्प को आधार बनाया जाए।

बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के बारे में रामविलास शर्मा ने जिस नजरिए से विचार किया है उसके आधार पर अस्मिता की राजनीति को समझने में हमें मदद मिल सकती है। इस प्रसंग में रामविलास शर्मा की गाँधी आम्बेडकर लोहिया और इतिहास की समस्याएँ किताब बेहद महत्वपूर्ण है। सामंतवाद, साम्राज्यवाद, क्रांति, आधुनिकता, औद्योगिक क्रांति इन सबका आधार मानवाधिकार नहीं हैं। बल्कि किसी न किसी रूप में इनमें मानवाधिकारों का हनन होता है। अछूत समस्या मानवीय समस्या है इसके खिलाफ संघर्ष करने का अर्थ है स्वयं के खिलाफ संघर्ष करना और इससे हमारा बौद्धिक वर्ग, राजनीतिज्ञ और मध्यवर्ग भागता रहा है। ये वर्ग किसी भी चीज के लिए संघर्ष कर सकते हैं किंतु अछूत समस्या के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। अछूत समस्या अभी भी मध्यवर्ग और पूंजीपतिवर्ग के चिन्तन को स्पर्श नहीं करती। अछूत समस्या को वे महज घटना के रूप में दर्शकीय भाव से देखते हैं। अछूत समस्या न तो घटना है और न परिघटना और न संवृत्ति ही है। बल्कि मानवीय समस्या है मानवाधिकार की समस्या है। मानवाधिकारों के विकास की समस्या है। हमारे समाज में मानवाधिकारों के विकास को लेकर जितनी जागृति पैदा होगी अछूत समस्या उतनी ही कम होती जाएगी। जिस समाज में मानवाधिकारों का अभाव होगा वहां पर अछूत बहिष्कार की समस्या उतनी प्रबल रूप में नजर आएगी।

"भारत में वर्ग हैं, जाति बिरादरी हैं। दोनों यथार्थ हैं। परंतु वर्ग ऐसा यथार्थ है जो जीवंत है, जो आगे बढ़ रहा है और जाति बिरादरी ऐसा यथार्थ है जो मर रहा है और पिछड़ रहा है। आम्बेडकर ने कहा थाः जब परिवर्तन आरंभ होता है, तब सदा पुराने और नए के बीच संघर्ष होता है। नए का समर्थन न किया जाए तो यह खतरा बना रहता है कि वह इस संघर्ष में निरस्त कर दिया जाएगा।" रामविलास शर्मा ने आम्बेडकर की विश्वदृष्टि की खोज करते हुए रेखांकित किया कि उनके दृष्टिकोण का आधार वर्ग हैं। मजदूरवर्ग है। न कि जाति। उन्होंने लिखा है," यदि इस समय अभ्युदयशील वर्गों का समर्थन न किया गया, जाति–बिरादरी का समर्थन किया गया, तो यह संभव है, जाति–बिरादरी बनी रहे और वर्गों की भूमिका पीछे छूट जाए। जाति–बिरादरी के भेद वर्गों के संगठन और वर्ग संघर्ष द्वारा ही संभव किए जा सकते हैं। आम्बेडकर ने कहा था, मजदूरवर्ग को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा थाः मजदूरों को केवल अपने संघ कायम करने से संतोष नहीं करना चाहिए उन्हें घोषित करना चाहिए कि उनका उद्देश्य शासन–तंत्र पर अधिकार करना है।" दुखद बात यह है कि आम्बेडकर की वर्गीय दृष्टि की बजाय अस्मिता की राजनीति करने वालों ने जाति और वर्ण के बारे में लिखी बातों को अपना लिया है और बाकी सारी बातों को त्याग दिया है।

शेष अगले अंक में .....

सुभाषचंद्र बोस

पुनीत चौहान, उपप्रबंधक

इस वर्ष देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी चुपचाप निकल गया। संसद भवन में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने के लिए चंद नेता जी जुटे। इस अवसर पर प्रमुख सत्ताधारी दल के नेता भी नहीं आए। आप का जन्म दिन एक साधारण रस्म अदायगी भर रहा। न तो इसे दृश्य मीडिया ने ही उठाया और न ही प्रिंट मीडिया ने भी। इससे पता चलता है कि आज़ादी के 67 सालों में ही हम अपने शहीदों को क्या सम्मान देते हैं। आज सभी दल केवल सत्ता सुख को भोगने के लिए तत्पर हैं। अपने देश, देशवासियों, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों एवं अपनी विरासत की किसी को भी चिंता नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी देश अपनी संस्कृति के बिना एक संवेदना व भाव हीन शरीर के समान होता है। आइए इस अवसर पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी का स्मरण करते हुए एक सच्ची श्रद्धांजलि दें।

नेताजी को अपने देश और अपनी संस्कृति से सदैव एक लगाव था। उन्होंने अपने भारत के लिए एक सपना संजोया था, जिसकी एक झलक 19 अगस्त, 1939 को बंगाल में दिए गए इस भाषण में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा था – "हम अपने लोगों के अतीत और भविष्य से नजर हटा नहीं सकते। इसी जमीन से स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा था, जो आधुनिक भारत का सुधारवादी व नवजागरण आंदोलन था। उस आंदोलन के सामने कोई क्षेत्रीय सीमा नहीं थी और उसने भारत को एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत बनाया। क्या राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण परमहंस के संदेश मानवता के संदेश नहीं हैं? क्या उन्होंने भारत को जागरूक बनने का आह्वान नहीं किया था? इसमें कोई शक नहीं कि हम उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के उतराधिकारी हैं। आधुनिक भारत का उदार मन अपने कर्म से इसे हाजिर करना चाहता था, पर एक तरफ वह खुद को ब्रिटिश हुकूमत से बंधा पाता रहा, तो दूसरी तरफ, उसने सामाजिक बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस किया। इसके बाद ही राजनीतिक व सामाजिक दासता से देश के लोगों को मुक्ति दिलाने का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के लिए भी हमारे देश की धरती उसी तरह उर्वर है, जैसे पहले के आंदोलन में थी।

'इस राजनीतिक आंदोलन के आसमान में अंधेरा छाया है और कांग्रेस इतिहास के एक चौराहे पर खड़ी हुई है। क्या हम संविधानवाद के दिनों को याद करेंगे, जिसे हम मानकर चलते हैं कि साल 1920 में ही उसे खारिज कर दिया गया था? या हम जन–आंदोलन के रास्ते पर चलना जारी रखेंगे, जो अंततः जन–संघर्ष के रूप में खत्म होगा? मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भारत के जागरूक लोग स्व–सहायता और आत्म–निर्भरता के तरीके को छोड़ नहीं सकते हैं। वे जन–संगठन व जन–संघर्ष के तरीकों का त्याग नहीं कर सकते। इनसे ही उन्हें सफलता हासिल हुई है और आने वाले समय में इस रास्ते से ही बड़ी सफलताएं आएगी। वे स्वतंत्रता के अपने जन्म–सिद्ध अधिकार को विदेशी साम्राज्यवाद के साथ घटिया खरीद–फरोक्त के लिए त्याग नहीं सकते। आज हम लोग न सिर्फ आजाद भारत का सपना देख रहे हैं, बल्कि ऐसे भारत राष्ट्र का भी सपना देख रहे हैं, जिसकी नींव न्याय और समानता के सिद्धांतों पर रखी गई हो, जहां ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था हो, जिसमें हमारे सभी गुण और समर्पण शामिल हों।"

आज का भारत क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा देखे गए सपनों का भारत है। आज जिस तेजी से सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ–साथ राजनैतिक गिरावट आई है, वह बेहद निराशाजनक एवं अफसोस जनक है। आज राजनीति के क्षेत्र में जिस प्रकार बाहुबलियों, गुंडातत्वों एवं धनपतियों की जमात बढ़ रही है, वह भी देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। देश की सारी जनता को सोचना होगा कि क्या जाति, धर्म व संप्रदाय में विभाजित राजनीतिक प्रक्रिया देश की अस्मिता एवं संवृद्धि के लिए उपयुक्त है?

आज समय आ गया है कि देश की नई पीढ़ी को नेता जी सुभाष चंद्र बोस जैसे त्याग एवं बलिदान की मूर्ति के बारे में जानकारी हासिल हो ताकि वे उनसे कुछ आदर्श बातें सीखकर भारत को एक प्रभुतासपन्न राष्ट्र बनाने में अपना योगदान कर सके। आज देश को ऐसी पीढ़ी की जरूरत है जो भ्रष्ट तंत्र से ऊपर उठकर भारत को विश्व पटल पर सबसे बड़े प्रसार तांत्रिक गणराज्य के रूप में विश्व के सामने एक नई मिसाल पेश करें, जहां सभी जाति धर्म व समुदाय के लोग सौहार्दपूर्वक एक साथ बहकर देश को आगे बढ़ाने में समर्पित हो।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनका नौवीं संतान और पांचवें बेटे थे।

कटक के प्रोटेस्टेण्ट यूरोपियन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजियेट स्कूल में दाखिला लिया। मात्र पन्द्रह वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानन्द साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इण्टरमीडियेट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शनशास्त्र (ऑनर्स) में बीए के छात्र थे किसी बात पर प्रेसीडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व सम्हाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसीडेंसी कॉलेज से एक साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबन्ध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजीमेण्ट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु दृष्टि कमजोर होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरीटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गये। फिर सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए (ऑनर्स) की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था।

पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बनें किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंनें पिता से चौबीस घण्टे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाये। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितम्बर 1919 को इंग्लैण्ड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किट्स विलियम हाल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास (ऑनर्स) की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। हाल में एडमीशन लेना तो बहाना था असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली।

कोलकाता के स्वतन्त्रता सेनानी देशबंधु चितरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दासबाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैड से उन्होंने दासबाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रवींद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुम्बई गये और महात्मा गांधी से मिले।

उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रक्खा था। दासबाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गये। 1922 में दासबाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधान सभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दासबाबू कोलकाता के महापौर बन गये। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख

कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिये गए।

बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गये। जवाहर लाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इण्डिपेण्डेंस लीग शुरू की। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तक कांग्रेस ने उसे काले झण्डे दिखाये। कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोती लाल नेहरू की सैन्य तरीके से सलामी दी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी। लेकिन सुभाष बाबू और जवाहर लाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए एक साल का वक्त दिया जाये। अगर एक साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे तभी पुलिस ने उनपर लाठी चलायी और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारियों को रिहा करने से साफ इंकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी ने सरकार से बात तो की परंतु नरमी के साथ। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें। लेकिन गांधी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गयी। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष, गांधी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गये।

सन् 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। सुभाष यूरोप में विठ्ठल भाई पटेल से मिले। विठ्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्रणा की जिसे पटेल–बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी के नेतृत्व की जमकर निन्दा की। उसके बाद विठ्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गये तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की। मगर विठ्ठल भाई पटेल नहीं बचे, उनका निधन हो गया।

1934 में सुभाष को उनके पिता के मृत्युशय्या पर होने की खबर मिली। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है फिर भी वे कोलकाता गये। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। यह कांग्रेसका 51 वां अधिवेशन था। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया।

इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बनाये गये। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो था मगर उन्हें सुभाष की कार्यपद्धति पसंद नहीं आयी।

1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का वक्त आया तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाये जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा। लेकिन गांधी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभि सीतारमैया को चुना। कविवार रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी को खत लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने की विनती की। लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। महात्मा गांधी ने अध्यक्ष पद हेतु पट्टाभि सीतारमैय्या का साथ दिया हैं लोगों ने समझा वे चुनाव आसानी से जीत जायेंगे। लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीमारमैय्या को 1377 मत मिले।

3 मई, 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतन्त्र पार्टी बन गयी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतन्त्रता संग्राम को और आर्थिक तौर करने के लिए जन जागृति शुरू की। 3 सितम्बर, 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितम्बर, 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रूख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमन्त्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा।

इसके परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया पर घर पर नजरबंदी में रखा।

नजरबन्दी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनायी। 16 जनवरी, 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरदबाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रण्टियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी, मियां अकबर शाह मिलें। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात, किर्ती किसान पार्टी के भगतराम तलवार से करा दी। भगतराम तलवार के साथ सुभाष पेशावार से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े।

बर्लिन में नेता जी ने जर्मनी के कई नेताओं से मुलाकात की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का सहयोग मांगा। वे 29 मई, 1942 को हिटलर से भी मिले। मुलाकात में कोई खास बात नहीं बनी। हां मुलाकात के दौरान नेता जी ने हिटलर की आत्मकथा में भारतीयों के प्रति खराब नजरिए की शिकायत भी की। वे जर्मन पनडुब्बी से मेडागास्कर द्वीप गए और वहां से एक जापानी पनडुब्बी की मदद से इंडोनेशिया पहुंचे और वहां से जापान चले गए।

उनके द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया। आपने "जय हिन्द" और "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा" का नारा भी उनका उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। नेता जी ने 5 जुलाई, 1943 को सिंगापुर के टाउन हाल के सामने 'सुप्रीम कमाण्डर' के रूप में सेना को संबोधित करते हुए "दिल्ली चलो!" का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कामनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया।

21 अक्टूबर, 1943 को सुभाष बोस ने आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार बनायी जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपाइन, कोरिया, चीन, इटली, मान्चुको और आयरलैंड ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिये। 1944 को आजाद हिन्द फौज ने अंग्रेजों पर दोबार आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा दिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल, 1944 से 22 जून, 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ।

6 जुलाई, 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनायें मांगी। इसी संबोधन में नेता जी ने गांधी जी को पहलीबार "राष्ट्र पिता" कह कर सम्मान दिया था, जो बाद में एक पहचान बन गया।

नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका जन्म दिन धूमधाम से मनाया जाता है वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किये?

16 जनवरी, 2014 (गुरुवार) को कलकता हाई कोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुडे खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दिया। आशा है जल्द ही नेता जी की मृत्यु से रहस्य का पर्दा उठेगा और उन्हें भी पूरा राष्ट्र सम्मान से नमन कर कृतज्ञता ज्ञापित करेगा।

यू.पी. का सफर

पंकज चड्ढ़ा, प्रबंधक

एक दिन कार्यालय में धर्मपत्नी जी का फोन आया
फोन पर उन्होंने प्यार से बतलाया।
आने वाले बुधवार के लिए छुट्टी आवेदन कर दो
हमारे साथ एएमयू (अलीगढ़) जाना है यह बात चित्त में धर लो
हमने श्रीमती जी के हुक्म को सर माथे लिया और
तुरन्त ही अवकाश के लिए आवेदन दिया
उ0प्र0 जाने का मेरा यह पहला अवसर था,
पर ना जाने क्यों खुशी से ज्यादा अनहोनी का डर था।

यद्यपि श्री अमिताभ बच्चन जी ने कभी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बतलाया था
मगर उनके सुपुत्र श्री अभिषेक ने भी अपनी फिल्म में जोर–जोर से गाया था
"ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं,
ऐसी मारी लंगड़ी के सोया जगा नहीं"

हमने तुरंत अपने रिश्तेदारों को फोन घुमाया
कहां जाना है, कैसे जाना है, यह उनसे पुछवाया
हमारे प्रिय जानकारों ने, मददगारों ने
राष्ट्रीय राजमार्ग तथा यूपी की सड़कों का गुनगान किया
शायद इसलिए अपनी गाड़ी की जगह यूपी स्टेट की
परिवाहन बस सेवा को अपनाने का भरोसा दिया।

बहुत मुश्किल से हमने श्रीमती जी को मनाया
यूपी परिवहन बस सेवा इस्तेमाल करने का विश्वास मत पास करवाया
हमें क्या पता था कि इतना बुरा हाल होगा
राजमार्ग पर हर जगह गड्ढों का जाल होगा, और
दिल्ली से यूपी का यह सफर हमारे जी का जंजाल होगा
जैसे–तैसे हमने यह सफर पूरा किया
एक कड़वी सच्चाई का सामना किया।

आज जाना कि नेता कैसे वादा मुकरते हैं
हालांकि वे चांद पे ले जाने का दावा करते हैं
ज़मीनी हकीकत जानते हुए भी झूठा दिखावा करते हैं
खुद तो मौज से हरदम हवाई जहाज पर उड़ते हैं।

हर बार की तरह इस बार भी उल्लू न बनें
जब चुनाव हो, तो किसी सच्चे और अच्छे को ही चुनें।
वोट की ताकत जाया न करें, भले ही नोटा को चुनें।

पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद

डॉ अमर सिंह सवान, राजभाषा अधिकारी

मत भारत को देखो नफरत से यह धरती प्यार बांटती है
बाहर से आने वालों को भी दिल देकर गले लगाती है।
धर्म व मजहब के ठेकेदारों को यह कभी समझ न आएगा,
सर्वधर्म समभाव' का नारा, सच्चा भारतवासी ही लगाएगा।

कुछ मुल्क चाहते नहीं यहां, प्रगति एवं विकास की हवा चले
हम सब मिलकर गंगा–जमुना की संस्कृति में खूब फलें–फूले
यह वक्त बड़ा ही नाजुक है, देखो है नजर शत्रु की भारत पर
हर संभव प्रयास कर तोड़ेगा, जो न जोड़ सका है अपना घर।

आतंकवाद की मंशा है कि हमले से उथल–पुथल मच जाएगी
भारत का भाई–चारा टूटेगा, जनता आपस में लड़–मर जाएगी।
हर भारतवासी का है फर्ज आज, यह नफरत नहीं फैल पाए
जो बुरा इरादा है शत्रु मुल्क का, वह कभी कामयाब न हो पाए।

भले विचारों के मतभेद रहें, पर हम लड़े न आपस में भाई
आतंकवाद भी हारेगा जब सुख शांति, समृद्धि बराबर हो छाई ।
मारो वोट की ऐसी चोट कि सब बुराइयां जमींदोज हो जाए
भारत तन मन धन से सबल बनेगा, संदेश पड़ोसी को जाए।

हम सहनशील व धैर्यवान हैं, इसको कायरता न समझे मेरी
यदि भारत ने अस्त्र उठाया तो फिर खैर नहीं ओ मुल्क तेरी।
बार–बार क्यों पात्र हंसी का बनते हो और जगहंसाई कराते हो
तुम डूब चुके हो कर्जों में, फिर भी आतंक की नाव चलाते हो।

राष्ट्रीय आवास बैंक
नई दिल्ली –110003, 19 मार्च, 2014
अधिसूचना संख्या. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.10/सीएमडी/2014

राष्ट्रीय आवास बैंक जनहित में एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा देश में आवास वित्त प्रणाली विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ व इसके लाभार्थ यह आवश्यक समझता है कि ऐसा करना अपेक्षित है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (इसके बाद प्रमुख निर्देशों के रूप में उल्लिखित) को तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है –

1. अनुच्छेद 2 में संशोधन

प्रमुख निर्देशों के अनुच्छेद 2 के उप अनुच्छेद (1) की धारा (वाई) में –

(क) उप–धारा (vi) में "उनको शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ" शब्दों के स्थान पर "जो अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तित होंगे" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ख) उप–धारा (ix) में निम्न शब्दों को अंत में शामिल किया जाता है – "बशर्ते कि निर्गमन कर्त्ता के पास अवधि के बीच में रिकाल करने का कोई विकल्प न हो।"

2. अनुच्छेद 12 में संशोधन

प्रमुख निर्देशों के अनुच्छेद 12 के उप अनुच्छेद (v) के अंत में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है –

"निम्न उप अनुच्छेद (vii) के अध्यधीन, एक समस्याप्रद आवास वित्त कंपनी द्वारा ऋण का अनुदान अथवा।"

3. अनुच्छेद 17 में संशोधन

प्रमुख निर्देशों के अनुच्छेद 17 में,

(क) उप अनुच्छेद (1) में, धारा (एच) के बाद, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है –

(i) इसके द्वारा मांगी गई जमाराशि बीमाकत नहीं है।

(ख) उप–अनुच्छेद (1) में इसके बाद, निम्न नया उप अनुच्छेद (1) (ए) शामिल किया जाता है –

"(1) (क) जहां एक आवास वित्त कंपनी, जमाराशि की मांग के बिना भी, इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यम जैसे टीवी में कोई विज्ञापन प्रदर्शित करती है, वहां कंपनी ऐसे विज्ञापनों में एक अनुशीर्षक/बैंड समाविष्ट करेगी जिनमें निम्न को शामिल किया जाएगा –

"कंपनी की जमाराशि लेने के क्रियाकलाप के संबंध में, दर्शक सार्वजनिक जमा की मांग के लिए समाचारपत्र/आवेदन प्रपत्र में प्रदान की गई सूचना का संदर्भ ले सकते हैं;

कंपनी के पास राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए के तहत, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी मान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांकित ..... है। हालांकि, राष्ट्रीय आवास बैंक कंपनी की वर्तमान वित्तीय सुदृढ़ता अथवा किसी विवरण की सत्यता हेतु अथवा कंपनी द्वारा आवेदित तथ्यों एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं कंपनी द्वारा दायित्वों के निवर्हन/जमाराशि के पुनर्भुगतान हेतु कोई जिम्मेदारी न तो स्वीकार करता है एवं न ही उसकी कोई गारंटी लेता है।"

(राज विकास वर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पंजी सं. दिल्ली इन/2001/6138

कीजिए अपने निवेश का भरपूर पोषण

रा.आ.बैंक की इन बचत योजनाओं में निवेश कर बेहतर वापसी

प्राप्त कीजिए

एन एच बी सुनिधि सावधि जमा योजना

अधिक वापसी•सुरक्षित•स्मार्ट

अधिक वापसी, सुरक्षित, स्मार्ट

- रु0 10,000/– के गुणकों में कम से कम 50,000/–रु0 का निवेश
- अधिकतम की कोई सीमा नहीं, किंतु 5 करोड़ रु0 या अधिक जमा राशि हेतु रा.आ.बैंक से पूर्व स्वीकृति आवश्यक
- जमा अवधि – 12 माह/24 माह/36 माह/60 माह
- ब्याज दर – 9.25 प्रति वर्ष की दर पर/वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.6% अतिरिक्त ब्याज की सुविधा (वर्तमान में लागू)

एन एच बी सुवृद्धि सावधि जमा योजना (कर बचत)

अधिक वापसी•सुरक्षित•स्मार्ट

(आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट)

अधिक वापसी, सुरक्षित, स्मार्ट

- रु0 10,000/– के गुणकों में कम से कम 10,000/–रु0 का निवेश
- अधिकतम 1 लाख रु0 प्रति वित्त वर्ष हेतु
- स्थिर अवधि पांच वर्ष
- ब्याज दर – 9.25 प्रति वर्ष की दर पर/वरिष्ठ नागरिकों के लिए 0.6% अतिरिक्त ब्याज की सुविधा (वर्तमान में लागू)

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें: कोर 5–ए, चतुर्थ तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

कवर एवं सज्जा : हाइब्रिड प्रिन्ट प्रा.लि. : 9818651234

मुद्रण तिथि – 30 अप्रैल 2014